रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ़ 11, 1937
No. 424] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASHADHA 11, 1937

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

## (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

**सा.का.नि. 530(अ).**— भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार **मध्य प्रदेश** राज्य सरकार से परामर्श करके भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद- संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में **"मध्य प्रदेश"** शीर्षक के लिए और उनके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"मध्य प्रदेश**

| | | |
|---|---|---|
| राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद | | 180 |
| | प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल अध्यक्ष | 1 |
| | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) और मुख्य वन्य जीव वार्डन | 1 |
| | प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना एवं वन भूमि अभिलेख | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार तथा लोक वानिकी | 1 |
| | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन | 1 |
| | | |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं योजना | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा-I | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निवास एवं विस्तार | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा-II | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रबंधन, आयोजना एवं पारिस्थितिक-पर्यटन | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं शिकायतें | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूमि प्रबंधन | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जे. एफ. एम. एवं एफ. डी. ए. | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, समन्वय | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, निगरानी एवं मूल्यांकन | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भूमि रिकॉर्ड | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना- मुख्यालय | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर | 3 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जनसंपर्क), नई दिल्ली | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव सुरक्षा | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सीएएमपीए | 1 |
| | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ग्रीन इंडिया मिशन | 1 |
| | | |
| | **मुख्य वन संरक्षक, वन्य रेंजर महाविद्यालय, बालाघाट** | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्र) रीवा, शहडोल, बालाघाट, शिवनी, छिन्दवाड़ा, इंदौर, खण्डवा, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, छत्तरपुर एवं बेतूल | 16 |
| | मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक कान्हा टाइगर रिजर्व, मांडला, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया, पेंच टाइगर रिजर्व, शिवनी, संजय टाइगर रिजर्व, रीवा, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी तथा माधव राष्ट्रीय पार्क, शिवपुरी | 7 |
| | मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, सिंह परियोजना ग्वालियर एवं वन विहार राष्ट्रीय पार्क, भोपाल | 2 |
| | मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) रीवा, शिवनी, इंदौर, खांडवा, जबलपुर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, बेतूल एवं रतलाम | 10 |
| | मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) जबलपुर, भोपाल तथा इंदौर | 3 |
| | मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) मुख्यालय | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, वन नियम | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, कृषि | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, मनरेगा एवं आजीविका परियोजना | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | जाने वाले पद, उपर्युक्त मद, 1, 2, 3, और 4 के 33 1/3% प्रतिशत से अधिक नहीं | |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6) | 207 |
| | **कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक्त मद 6+7)** | 296* |

**[सं.16016/2/2014-अ.भा.से.-II(क)]**

**राजीव जैन, अवर सचिव**

**टिप्पणी-1:** इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व मध्य प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 296 थी।

**टिप्पणी-2:** प्रधान विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद का नियतन), में सा.का.नि सं. 1072 (सामान्य सेवा नियम) के रु प में अधिसूचना सं. 6/1/66-अ.भा.से.(IV) दिनांक 31-10-1966 द्वारा अधिसूचित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए हैं:-

| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1673 | 30.10.66 | 21. | 391(अ) | 10.8.73 |
| 2. | 17 | 7.1.67 | 22. | 142 | 24.1.71 |
| 3. | 653 | 6.5.67 | 23. | 28(अ) | 8.5.71 |
| 4. | 654 | 6.5.67 | 24. | 273(अ) | 11.1.72 |
| 5. | 689 | 13.5.67 | 25. | 300(अ) | 20.1.72 |
| 6. | 1083 | 8.6.68 | 26. | 812 | 29.4.72 |
| 7. | 1887 | 9.8.69 | 27. | 2227 | 16.8.75 |
| 8. | 80 | 17.1.70 | 28. | 71 | 17.1.76 |
| 9. | 485 | 21.3.70 | 29. | 407(अ) | 16.6.76 |
| 10. | 545 | 4.4.70 | 30. | 1064 | 24.7.76 |
| 11. | 1802 | 24.10.70 | 31. | 444 (अ) | 6.7.76 |
| 12. | 135 | 24.1.75 | 32. | 750 (अ) | 3.8.76 |
| 13. | 136 | 24.1.71 | 33. | 93 (अ) | 26.2.77 |
| 14. | 665 | 8.5.71 | 34. | 631 (अ) | 5.10.77 |
| 15. | 45(अ) | 20.1.72 | 35. | 13 (अ) | 6.1.78 |
| 16. | 47(अ) | 20.1.72 | 36. | 360(अ) | 13.7.78 |
| 17. | 48(अ) | 20.1.72 | 37. | 436(अ) | 29.8.78 |
| 18. | 478(अ) | 4.12.72 | 38. | 486(अ) | 25.8.80 |
| 19. | 192(अ) | 2.4.73 | 39. | 562(अ) | 30.9.80 |
| 20. | 321(अ) | 27.6.73 | 40. | 626(अ) | 3.11.80 |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | मुख्य वन संरक्षक, नीति अनुसंधान एवं मूल्यांकन | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, बाह्य सहायता परियोजना | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, कौशल विकास | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, रीवा | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना-क्षेत्रीय, ग्वालियर | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, शहरी वानिकी | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव अपराध संरक्षण | 1 |
| | मुख्य वन संरक्षक, आरईडीडी+ | 1 |
| | | |
| | वन संरक्षक (कार्य योजना) रीवा, शहडोल, बालाघाट, शिवनी, छिन्दवाड़ा, खण्डवा, होशंगाबाद, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, छत्तरपुर एवं बेतुल | 13 |
| | वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भोपाल, इंदौर जबलपुर, ग्वालियर सिहौर, छत्तरपुर, दमोह, देवास, गुना, खण्डवा, नरसिंहपुर, सतना, शिवपुरी, विदिशा, होशंगाबाद, दिनदोरी, उमरिया एवं कटनी | 18 |
| | वन संरक्षक, मुख्यालय | 2 |
| | संयुक्त निदेशक, टाइगर परियोजना, कान्हा टाइगर रिजर्व. पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व तथा संजय टाइगर रिजर्व | 6 |
| | वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), झाबुआ | 1 |
| | | |
| | उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बधवाहा, बधवानी, बुरहानपुर, धार, पुरी छिन्दवाड़ा, पूर्वी मांडला, सीधी, हर्दा, खारगोन, मनसौर, मोरैना, नीमच, उत्तरी बालाघाट, उत्तरी बेतूल, उत्तरी पन्ना, उत्तरी सागर, उत्तरी शिवनी, उत्तरी शाहडौल, दक्षिणी शहडोल, अब्दुलगंज, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सिंधवा, शिवपुर, दक्षिणी बालाघाट, दक्षिणी बेतूल, दक्षिणी पन्ना, दक्षिणी सागर, दक्षिणी शिवनी, दक्षिणी छिन्दवाड़ा, शाजापुर, दतिया, अन्नुपुर, अशोक नगर, उज्जैन, पश्चिमी छिन्दवाड़ा, पश्चिमी मांडला, पश्चिमी बेतूल, सिंगरौली, भिन्ड, होशंगाबाद, झाबुआ तथा **अलीराजपुर** | 45 |
| | उप वन संरक्षक (उत्पादन) छिन्दवाड़ा, दिनदौरी, मांडला, दक्षिणी बालाघाट, उत्तरी बालाघाट, शिवनी, बेतूल, देवास तथा रायसेन | 09 |
| | उप वन संरक्षक (वन्य जीवन/टाइगर रिजर्व) **पालपुर कूनो तथा नौरादेही** | 02 |
| | उप वन संरक्षक (दिल्ली डिपो) दिल्ली | 1 |
| | उप वन संरक्षक, रेंजर कॉलेज, बालाघाट | 1 |
| | उप वन संरक्षक, मुख्यालय | 1 |
| | | |
| 1. | **कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद** | **180** |
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं | 36 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं | 45 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 6 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 29 |
| 6. | भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे | 89 |

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक–एफ 7/29/98/10–4 भोपाल, दिनांक 06–12–2004

प्रति,

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
म0प्र0 भोपाल
2 प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य वन विकास निगम,
मालवीय नगर, पंचानन,भोपाल
3 प्रबंध संचालक,
म0प्र0राज्य लघुवनोपज संघ,
भोपाल
4 समस्त अपर मुख्य वन संरक्षक,
म0प्र0 भोपाल, मुख्यालय
5 समस्त मुख्य वन संरक्षक,
म0प्र0 भोपाल, मुख्यालय
6 समस्त वन संरक्षक,म0प्र0
7 समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
वन विभाग

विषयः– अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में निर्देश।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के अधिकारों के प्रत्यायोजन संबंधी पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा केवल उप वन संरक्षक तथा उनके निचले स्तर तक के अधिकारियों के 30 दिनों तक की अवधि के अर्जित अवकाश स्वीकृत किये जा सकेंगे। शेष सभी अर्जित अवकाश प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में एवं वांछित अनुशंसा के साथ राज्य शासन को यथा समय स्वीकृति के लिये भेजे जायें।

(अवनि वैश्य)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक एफ 10-15/2018/10-4 भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2018

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को राज्य से बाहर प्रवास की अनुमति के अधिकार प्रत्यायोजित करने बावत।

---000---

विभाग के पत्र कमांक एफ 12-15/2008/10-4 दिनांक 03.01.2011 के अनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा इनसे ऊपर के अधिकारियों के राज्य से बाहर के प्रवास का अनुमोदन विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

2/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी मुख्यतः राज्य से बाहर प्रवास पर अनिवार्य प्रशिक्षण के लिये तथा दिल्ली में एवं अन्य स्थान पर आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए जाते हैं। अतः तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को राज्य से बाहर प्रवास की अनुमति हेतु निम्नानुसार अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं :-

| अनु. क. | अधिकारी का स्तर | राज्य से बाहर यात्रा का उद्देश्य | अनुमति देने के लिये सक्षम अधिकारी |
|---|---|---|---|
| 1. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक | भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला एवं पांच दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण सेमीनार एवं कार्यशाला में भाग लेना। | संबंधित प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| 2. | अपहर प्रधान मुख्य वन संरक्षक | राज्य से बाहर आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लेने हेतु | प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख |

3/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के लिये राज्य से बाहर प्रवास की व्यवस्था पूर्वानुसार रहेगी।

17/4/18

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ.कमांक एफ 10-15/2018/10-4 भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशा-1, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

LetterfileRamji-2017

# मध्यप्रदेश शासन,
## वन विभाग

क्रमांक/ भोपाल, दिनांक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा में भरती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

## मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) भरती नियम, 2007

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) भरती नियम, 2007 कहलायेंगे।

ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषायें :—

इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।

(ख) "आयोग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है।

(ग) "परीक्षा" से तात्पर्य नियम—11 के अन्तर्गत भरती के लिए ली गई प्रतियोगी परीक्षा से है।

(घ) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।

(ङ) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है।

(च) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है।

(छ) "अनुसूचित जाति" से तात्पर्य है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से तात्पर्य है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जाति या जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ—8—5—पच्चीस—4—84 तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

(ट) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) से है।

(ठ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा : सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन :–

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

1) इन नियमों के लागू करते समय अनुसूची "एक" में उल्लेखित पदों पर मौलिक/ स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्ति;

2) इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा में भरती किए गए व्यक्ति, तथा

3) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये व्यक्ति।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि :–

सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची "एक" में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी।

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भरती का तरीका :–

1) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

क) प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा अथवा साक्षात्कार द्वारा सीधी भरती करना,

ख) वनक्षेत्रपाल के पद से पदोन्नति द्वारा

2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची "एक" में उल्लिखित पदों की संख्या के साथ अनुसूची "दो" में बताये गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन भरती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निश्चित की जाएगी।

4) उपनियम (1) में दिए गए भरती के तरीकों में किसी अवसर पर भरती में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति एवं आयोग के परामर्श से भरती के उक्त तरीकों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगा जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

7. सेवा में नियुक्ति :–

इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–6 में उल्लिखित भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भरती किए जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तें :–

परीक्षा/ चयन में स्पर्धा करने के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात्;

(एक) आयु :–

क) परीक्षा/ चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अपनी आयु के 21 वर्ष पूरे कर लिये हों, किन्तु 28 वर्ष पूरे न किये हों।

(3)

ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

ग) उन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी :–

1) जो उम्मीदवार शासन का स्थायी सेवक हो उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2) अस्थाई पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगी।

3) जो उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहल की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

व्याख्या :– शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरन्तर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

4) जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।

व्याख्या :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व नियोजनीय इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो।

1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्शेसन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो और
   क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर,
   ख) भरती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

4) संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं,

5) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किये गये अधिकारी,

6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक,

7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे,

8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसको गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया हो,

घ) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक उम्मीदवार को सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर को सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

छ) विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी उम्मीदवारों को सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

ज) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों को उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

झ) स्वयं सेवी सैनिकों एवं अनायुक्त अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उपर्युक्तानुसार छूट की सीमा आठ वर्ष होगी अर्थात् ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक/ अनायुक्त अधिकारी की आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ट) म.प्र. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम, 1977 के अनुसार महिला अभ्यार्थियों की उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह छूट आयु सीमा संबंधी अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी,

ठ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ड) कोई भी उम्मीदवार, जिसकी दो से अधिक जीवित सन्तान हो जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

टीप :– उपर्युक्त उपनियम 8 (एक) (ग) (1) तथा 8 (एक) (ग) (2) एवं 8 (एक) (ज) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को परीक्षा/ चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा/ चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जावेंगी।

विभागीय उम्मीदवार को परीक्षा/चयन में बैठने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(दो) शारीरिक स्वस्थता :–

उम्मीदवार को शारीरिक स्वस्थता के निम्नलिखित न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा :–

क) सामान्य :–

उम्मीदवार का स्वास्थ्य और शारीरिक गठन अच्छा होना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार की कायिक या आंगिक खराबी अथवा दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए। उम्मीदवार का शारीरिक परीक्षण होगा, जिसमें पुरूष उम्मीदवार को 25 कि.मी. तथा महिला उम्मीदवार को 14 कि.मी. की दूरी पैदल 4 घण्टे में तय करनी होगी।

ख) ऊंचाई :–

पुरूष उम्मीदवार की ऊंचाई कम से कम 163 से.मी. तथा महिला उम्मीदवार की कम से कम 150 से.मी. होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जनजाति के पुरूष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. एवं महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 से.मी. रहेगी।

ग) सीना :–

बगैर फुलाए सीने की न्यूनतम नाप पुरूष उम्मीदवार के लिए 79 से.मी. तथा महिला उम्मीदवार के लिए 74 से.मी. होनी चाहिए। पुरूष तथा महिला दोनों ही उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम फुलाव 5 से.मी. होना चाहिए।

(तीन) शैक्षणिक अर्हताएं :–

उम्मीदवार के पास सेवा के लिए निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए, जो कि इससे संलग्न अनुसूची तीन में दर्शाई गई हैं, परन्तु–

क) आपवादिक मामलों में आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्ह समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग उम्मीदवार को परीक्षा/चयन में बैठने के योग्य समझता हो, और

ख) आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा/चयन में बैठने के लिए ऐसे उम्मीदवारों के मामलों पर भी विचार कर सकेगा जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो, जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों।

(चार) शुल्क :–

उम्मीदवार को आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. अनर्हता :–

उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में अनर्हता के रूप में माना जायेगा।

10. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा –

परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा/चयन में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी, से समक्ष भेंट (साक्षात्कार) नहीं की जाएगी, जिसे आयोग में प्रवेश प्रमाण पत्र न दिया हो।

11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती :–

1) क) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा/चयन ऐसे अंतराल से ली जाएगी, जिन्हें शासन समय–समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करे।

ख) आयोग द्वारा परीक्षा/चयन ऐसे आदेशों के अनुसार किया जायेगा, जिन्हें शासन समय–समय पर आयोग से परामर्श कर प्रसारित करे।

2) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

3) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 जो समय–समय पर यथा संशोधित हो, के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, परन्तु विचार, नियम–12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जाएगा, चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

4) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।

5) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिए पद आरक्षित रहेंगे।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :–

1) आयोग अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह, उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, शासन को भेजेगा। यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जायेगी।

2) इन नियमों तथा म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जायेगा, जिस क्रम से उनके नाम सूची में आए हों।

3) पूर्वोक्त सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तब कि शासन का, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

4) चयन सूची, आयोग द्वारा उसे जारी किये जाने की तारीख से, एक वर्ष की अवधि तक विधि मान्य होगी।

13. परिवीक्षा की कालावधि :–

1) नियम–12 में, निर्दिष्ट सूची में से सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतया 4 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

2) शासन, यदि उचित समझे तो, परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

3) शासन, परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके अन्त में, किसी भी समय, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है।

14. वानिकी आदि में प्रशिक्षण :–

1) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, नियुक्ति के पश्चात् वानिकी में दो वर्ष का स्नातकोत्तर (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम लेने के लिए तथा दो वर्षों के दौरान विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वन महाविद्यालय (फ़ारेस्ट कॉलेज) देहरादून या उसके समकक्ष किसी अन्य महाविद्यालय में, जैसा कि शासन द्वारा विनिश्चित किया जाए, प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

2) उक्त महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व परिवीक्षाधीन व्यक्ति, विहित प्रारूप में एक करारनामा तथा प्रतिभूति बंध पत्र निष्पादित करेगा।

3) शासन, सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए अध्यापन फीस और महाविद्यालय के नियमों के अधीन अपेक्षित किये गए अनुसार उपकरण भत्ते, के लेखे खर्च को वहन करेगा।

4) क) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुसूची–एक में दिए गए कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम के अनुसार किया जाएगा तथा वह उसकी श्रेणी के अधिकारियों को अनुदेय यात्रा भत्ते भी प्राप्त करेगा।

ख) परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूर्ण होने पर परिवीक्षा की कालावधि की ध्यान में रखते हुए, वेतन नियत किया जाएगा, तथापि, परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि के संबंध में वेतन के बकाया की मंजूरी शासन के विनिश्चय के अधीन होगी, जो ऐसे मामले का विनिश्चय करते समय इस तथ्य को ध्यान रखेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों का तत्परतापूर्वक अनुशीलन किया है, और यह कि परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि इस कारण नहीं थी कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों के परिपालन में परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने उपेक्षा की या उसकी तत्परता में कोई कमी थी।

5) किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जो संबंधित महाविद्यालय द्वारा विहित की गई परीक्षा दो वर्ष की समाप्ति पर उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, परिवीक्षा की शेष कालावधि के दौरान ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने और उसे उत्तीर्ण करने के लिए दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे और यदि वह इन अवसरों का लाभ उठाने में से अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा निष्पादित करारनामा और प्रतिभूति बंध पत्र के निबन्धन तथा शर्तों को उसके विरुद्ध प्रवर्तित किया जाएगा।

टिप्पणी :– इस उप नियम में निर्दिष्ट दो अतिरिक्त अवसरों का लाभ परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा केवल उसकी परिवीक्षा की आरंभिक कालावधि के दौरान ही उठाया जा सकेगा, बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान नहीं।

6) वन महाविद्यालय के दो वर्ष के पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के पश्चात, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करेगा जैसी कि विहित की जाएं।

7) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो परिवीक्षा की कालावधि अथवा परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि के दौरान विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा।

8) शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, सेवा मे स्थायी किया जाएगा।

15. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के लिए विशेष उपबन्ध :–

1) ऐसे व्यक्ति जो, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व ही परिवीक्षा पर नियुक्त किए जा चुके हैं इन नियमों के विद्यमान उपबन्धों द्वारा शासित होते रहेंगे।

2) क) ऐसे व्यक्तियों को, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, वन महाविद्यालय, देहरादून या उसके समकक्ष किसी अन्य महाविद्यालय से पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं, इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय से सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण में पहले से ही व्यतीत कर ली गई कालावधि की गणना, उनकी परिवीक्षा में की जाएगी और वह उनकी पेंशन के हेतु भी संगणित की जाएगी और इस कालावधि को सम्मिलित करते हुए, उनकी परिवीक्षा की कुल कालावधि नियम–13 के उप नियम–(1) में वर्णित किए गए अनुसार 4 वर्ष होगी।

ग) इन नियमों के अन्य उपबंध भी ऐसे व्यक्तियों को लागू होंगे, किन्तु वेतन या भत्ते तथा वृत्तिका के अन्तर के कारण किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :–

1) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी।

2) पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति समिति का गठन नियमों के अंतर्गत अनुसूची "चार" के अनुसार किया जावेगा। समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के नियम 11 के अनुसार निर्धारित होगा।

3) पदोन्नत अधिकारी को तब तक पदोन्नत वेतनमान में वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जायेगी जब तक वह संबंधित प्रवर्ग के लिए शासन द्वारा निर्धारित सभी विषयों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले अथवा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी–3/31/84/3/1 दि. 24.11.84 एवं क्रमांक 627/19–5/3/85 दि. 20.11.1985 में दिये गये प्रावधान अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न प्रदान की गई हो।

(9)

17. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :–

1) विचारण क्षेत्र बाबत् म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति केवल उन व्यक्तियों के नामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी, को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो (स्थानापन्न या मौलिक रूप में) उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जितनी अनुसूची "चार– के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है।

18. चयन सूची :–

1) शासन द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची "चार" के कॉलम (5) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी, उनकी विधि मान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, शासन तथा आयोग की प्रेरणा द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–

1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार की जावेगी। चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्तियां उसी क्रम में की जावेंगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हो।

2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. पदोन्नत अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि :–

स्थानापन्न हैसियत को छोड़, संवर्ग पद पर पदोन्नति द्वारा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, उक्त अवधि में ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करेगा, जो समय–समय पर विहित की जायें, परन्तु यह कि उसके लिए ऐसी किसी भी परीक्षा या परीक्षण को उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा, जो उसने अपनी पदोन्नति के पूर्व पहले ही पास कर ली हो और परन्तु यह भी कि शासन किसी भी मामले में परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से अनधिक अवधि हेतु बढ़ा सकेगा, किन्तु इस वृद्धि के साथ परिवीक्षा अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। परिवीक्षा पर नियुक्त अधिकारी को, यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी किसी भी वर्धित अवधि के भीतर, जिसके लिए समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई हो, शासन को इस बात से समाधान करने में असफल रहता है कि

वह सभी दृष्टि से पदोन्नति के लिए उपयुक्त है, उसे निम्नतर पद पर पदावनत किया जाएगा, जिससे वह परिवीक्षा पर पदोन्नत किया गया था।

21. **क्रमोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :–**

क्रमोन्नति की पात्रता सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के ज्ञापन क्र. एफ 1–1/1/वे. आ.प्र./99 दि. 17.3.99/ 19.4.99 में निहित तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार होगी।

22क) **राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें :–**

1) राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत केवल ऐसे ही अधिकारी सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र होंगे, जो–

(एक) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में उस वर्ष की पहली जनवरी को छः वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, और

(दो) यथास्थिति, सभी विषयों में विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हों या जिन्हें शासन द्वारा ऐसा करने से छूट प्रदान कर दी गई हो।

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जायेगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266–1987–एक (3)–67 तारीख 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा गया हो।

परन्तु यह और भी कि कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति, उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में इन नियमों के अधीन नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने विहित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है।

2) राज्य वन सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों का सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए चयन किये जाने हेतु विचार अनुसूची–चार के प्रावधान अनुसार गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।

3) चयन "वरिष्ठता–सह–योग्यता" के आधार पर किया जायेगा।

22ख) राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) के प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें –

1) "राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) के केवल ऐसे अधिकारी अनुसूची "एक" में यथाविनिर्दिष्ट प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ वेतनमान में उस वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के आठ वर्ष पूर्ण कर लिए हों :–

परन्तु आपात कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266–1987–एक(3)–67 तारीख 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार अवधारित उनकी नियुक्ति की समझी गई तारीख से की जायेगी, परन्तु यह और भी कि कोई कनिष्ठ व्यक्ति, उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व इन नियमों के अधीन सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने हेतु केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने सेवा के विहित वर्ष पूर्ण कर लिए हैं"।

2) राज्य वन सेवा में कार्यरत अधिकारियों का सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किये जाने हेतु विचार अनुसूची–चार के प्रावधान अनुसार गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।

3) चयन "योग्यता–सह–वरिष्ठता" के आधार पर किया जायेगा।

23. निर्वचन :–

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

24 छूट :–

इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उनको उचित और न्याय संगत प्रतीत होती हो,

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हों।

25. व्यावृत्ति :–

इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गए निर्देश/आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

26. निरसन :–

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं :–

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

# अनुसूची–"एक"

## (नियम–5 देखिये)

## मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वनसंरक्षक)

| पद का नाम | सेवा के लिए स्वीकृत किये गये वेतनमानों के प्रवर्गों का विवरण | वेतनमान | वेतनमान में स्वीकृत किये गये पदों की संख्या | | | वर्गीकरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थायी | अस्थायी | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| वन विभाग | 1. कनिष्ठ वेतनमान | 8000–275–13500 | 130 | 61 | 191 | द्वितीय श्रेणी | कुल पदो का 60 प्रतिशत |
| | 2. वरिष्ठ वेतनमान | 10000–325–15200 | 80 | – | 80 | प्रथम श्रेणी | कुल पदों का 25 प्रतिशत |
| | 3. प्रवर श्रेणी | 12000–375–16500 | 48 | – | 48 | प्रथम श्रेणी | कुल पदों का 15 प्रतिशत |
| योग | | | 258 | 61 | 319 | | |

(13)

# अनुसूची–"दो"

(नियम–6 देखिये)

## मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वनसंरक्षक)

| भाग का नाम | स्वीकृत किए गए वेतनमान | स्वीकृत किए गए पदों की संख्या | कॉलम–3 में दिये गये उन पदों का प्रतिशत जो निम्नानुसार भरे जाएंगे | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा | पदोन्नति द्वारा | नियुक्ति (क्रमोन्नति) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| वन विभाग | 1. कनिष्ठ वेतनमान | 191 | 33–1/3 प्रतिशत | 66–2/3 प्रतिशत | — |
| | 2. वरिष्ठ वेतनमान | 80 | — | — | 100 प्रतिशत |
| | 3. प्रवर श्रेणी | 48 | — | — | 100 प्रतिशत |
| योग | | 319 | — | — | — |

# अनुसूची–"तीन"

## (नियम–9 (4) देखिये)

## मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वनसंरक्षक)

| ाग का नाम | सेवा का नाम तथा वेतन जिसमें भरती द्वारा नियुक्ति की जाएगी | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| वन विभाग | मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा कनिष्ठ वेतनमान | 21 वर्ष | 28 वर्ष | उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था से प्राप्त पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, जन्तु विज्ञान, सांख्यिकी, और भू–संरक्षण एवं जल प्रबंधन में एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिए अथवा कृषि विज्ञान, वानिकी, या इंजीनियरी की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। |

(15)

# अनुसूची–"चार"

## (नियम–16 तथा 17 देखिये)

## पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु अर्हता

## मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वनसंरक्षक)

| विभाग का नाम | उस सेवा/पद का नाम जिससे पदोन्नति/क्रमोन्नति की जायेगी | उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति/क्रमोन्नति की जायेगी | पदोन्नति अथवा क्रमोन्नति | पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हताएं | पदोन्नति/क्रमोन्नति का आधार | विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति समिति के सदस्यों के पद नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वन विभाग | मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (वनक्षेत्रपाल) | मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) कनिष्ठ वेतनमान | पदोन्नति | वनक्षेत्रपाल पद पर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। | वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर | 1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत आयोग का सदस्य–अध्यक्ष<br>2. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग–सदस्य<br>3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म.प्र. सदस्य |
| | मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) कनिष्ठ वेतनमान | सहायक वन संरक्षक वरिष्ठ वेतनमान | क्रमोन्नति | सहायक वन संरक्षक के कनिष्ठ वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा सहायक वनसंरक्षकों के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा सभी विषयों में उत्तीर्ण कर चुके हों या जिन्हें शासन द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई हो। | वरिष्ठता सह – योग्यता के आधार पर | 1. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग–अध्यक्ष<br>2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.–सदस्य<br>3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक–सदस्य |
| | मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा सहायक वन संरक्षक वरिष्ठ वेतनमान | सहायक वन संरक्षक प्रवर श्रेणी वेतनमान | क्रमोन्नति | सहायक वनसरक्षक के वरिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो। | योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर | 1. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग–अध्यक्ष<br>2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म.प्र.–सदस्य<br>3. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक/मुख्य वनसंरक्षक–सदस्य |

# मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

## रेसीडेन्सी क्षेत्र इंदौर

## राज्य वन सेवा परीक्षा 2018

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि
18.02.2018

विज्ञापन क्रमांक 06/2017/12.12.2017.
वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाईन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 08.01.2018

### महत्वपूर्ण :-

1. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिये आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 में सम्मिलित होना एवं अर्ह होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2018 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2017, दिनांक **12.12.2017 का अवलोकन करें।**
2. राज्य सेवा तथा वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एक ही कामन ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता संबंधी आवश्यक मापदण्ड पूरे करते हो।
3. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 08.01.2018 (रात्रि 12:00) बजे तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है।
4. आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाईन आवेदन पत्रों में दिनांक 23.12.2017 से 10.01.2018 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा । नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा ।
<u>आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अत: वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें । यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें ।</u>
त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जायेगी।
5. ऑनलाईन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आयु/जन्मतिथि, शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटि सुधार अवधि सनाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
6. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाये तथा परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गये Email Address तथा मोबाइल नंबर पर Email तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर आधार कार्ड का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।
7. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचानेकी संभावना नहीं है । अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है । अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके । सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा ।

**विज्ञापन का प्रकाशन रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जायेगा ।**

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest) तथा वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) के स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किये जाने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गयी है :-

| पद का नाम | कुल पद | रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अना. | अनु.जाति | अनु. जनजाति | अ.पि.व. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सहायक वन संरक्षक | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| वन क्षेत्रपाल | 100 | 72 | 04 | 05 | 19 |

टीप :- (1) शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है । किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी । पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है । चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है ।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12- एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।

(3) <u>सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के विकलांग आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं । उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है, आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)</u>

दो- पद का विवरण-

(A) पद का नाम : सहायक वन संरक्षक

(B) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(D) पदस्थिति : स्थायी

(E) वेतनमान : रूपये 15600-39100+5400/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता :

1. शैक्षणिक

अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक (या समकक्ष) होना चाहिये :- प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र) गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी साइंस), कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साइंस, इंजीनियरिंग (कृषि/ रसायन/ सिविल / कम्प्यूटर/ इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रानिक्स /मैकेनिकल) में स्नातक उपाधि धारण करता हो, या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेन्ड्री/ मैट्रीकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो:-

1. जीव विज्ञान
2. भौतिक शास्त्र
3. रसायन शास्त्र

2. प्रशिक्षण

दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित

उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

3. शारीरिक

बिन्दु चार में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य । : वानिकी एवं वन्य प्राणी प्रबंधन

(A) पद का नाम — वन क्षेत्रपाल

(B) विभाग का नाम — मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

(C) श्रेणी — राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(D) पदस्थिति — स्थायी

(E) वेतनमान — रूपये 9300-34800+3600/- ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

(F) अर्हता :

1. शैक्षणिक

उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/ यांत्रिकी/ कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए और उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो:-

भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र / प्राणी शास्त्र / वनस्पति शास्त्र / भू-गर्भ शास्त्र /गणित / सांख्यिकी / वानिकी / कृषि / उद्यानिकी / यांत्रिकी (सिविल/मैकेनिकल /इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रानिक्स /केमिकल /कंम्प्यूटर)

2. प्रशिक्षण

18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा ।

3. शारीरिक

बिन्दु चार में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा ।

(G) कर्तव्य : वन विकास एवं वन सुरक्षा

टीप- उपर्युक्त पदों के लिए आवेदक के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए । इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थयह कदापि नहीं है कि आवेदक को पद के योग्य मान लिया गया है । चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी ।

तीन- शारीरिक मापदंड

| | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग | 163 से.मी. | 150 से.मी. |
| ऊंचाई अनुसूचित जनजाति | 152 से.मी. | 145 से.मी. |
| 1. सीने की परिधि | 79 से.मी. | 74 से.मी. |
| 2. न्यूनतम विस्तार | 5 से.मी. | 5 से.मी. |
| 3. पूर्ण विस्तार | 84 से.मी. | 79 से.मी. |
| शारीरिक क्षमता परीक्षण | | |
| चार घंटे पैदल चलना | 25 कि.मी. | सहायक वन संरक्षक हेतु : 14 कि.मी.<br>वन क्षेत्रपाल हेतु : 16 कि.मी. |

टीप- (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आउट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जावेगा।

(2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा साक्षात्कार के पूर्व किया जायेगा । अंतिम चयन में उन्ही अभ्यर्थियों को विचारित किया जायेगा जो शारीरिक क्षमता परीक्षण में सफल होंगे ।

(पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करना होगी)

चार- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा ।

(2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें ।

पांच- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -

(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा ।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा ।

छः- आयु सीमा- 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 28 वर्ष पूर्ण न की हो ।

आयु संगणना तिथि 01.01.2018 होगी ।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट - 1 देखें ।

सात- महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी ।

आठ- अधिवार्षिकी आयु - 60 वर्ष

नौ- परिवीक्षा- सहायक वन संरक्षक के पद पर आवेदकों की नियुक्ति 04 वर्ष की परिवीक्षा पर तथा वन क्षेत्रपाल के पद पर आवेदकों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी ।

दस- अनुबंध निष्पादन- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा-

1 चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा ।

2 प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा ।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया के पांच क्रमिक चरण होंगे -

(अ) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)

(ब) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑनलाइन परीक्षा पद्धति से)

(स) शारीरिक क्षमता परीक्षण-राज्य शासन द्वारा (पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटों में पैदल

चलकर तय करना होगी)

(द) स्वास्थ्य परीक्षण-राज्य शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा ।

(इ) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा ।

(अ) परीक्षा योजना -

प्रारंभिक परीक्षा- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2018 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2018 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे । राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है । किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जायेगी । क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र है । प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा । यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी । इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा । अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी । प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 15 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जावेगा । Negative Marking नहीं होगी ।

मुख्य परीक्षा :-

प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी । परीक्षा में निम्नानुसार दो प्रश्नपत्र रहेंगे

उक्त प्रश्न पत्रों के अंक विभाजन व प्रश्न योजना निम्नानुसार होगी :-

| ऑनलाइन परीक्षा | विवरण | प्रश्न संख्या | अंक |
|---|---|---|---|
| प्रथम प्रश्न पत्र | सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारम्भिक गणित, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी आदि | 100 | 200 |
| द्वितीय प्रश्न पत्र | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 100 | 200 |
| ऑनलाइन परीक्षा के कुल अंक | | | 400 |
| साक्षात्कार - | | | 50 |
| कुल अंक :- | | | 450 |

दोनों प्रश्नपत्र अनिवार्य होंगे। समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नपत्र का पूर्णांक 200 होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (A,B,C,D) होंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा। प्रश्नपत्र की अवधि 2 घंटे की होगी।

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूंछे गए प्रश्नों के आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर, आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा ।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा:-
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों ।
   - ऐसे प्रश्न जिनके हिन्दी व अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता है ।

विषय विशेषज्ञ द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी ।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा ।

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गो हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किये जायेंगे । सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल हेतु मुख्य परीक्षा में अर्ह आवेदकों की दो पृथक गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी तथा दोनों पदों हेतु अर्ह आवेदक दोनों ही सूची में सम्मिलित रहेंगे ।

(ब) शारीरिक क्षमता परीक्षण -

पुरूष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल के पद हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटों में पैदल चलकर तय करना होगी ।

(स) स्वास्थ्य परीक्षण -

चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के नापदंड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में वांछनीय (आऊट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जावेगा ।

(द) साक्षात्कार -

मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुना के अनुपात में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा । साक्षात्कार के लिए पूर्णांक 50 निर्धारित है । साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा । साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

बारह- चयन विधि

(1) आवेदक सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिये अथवा दोनों पदों के लिये आवेदन कर सकेंगें । आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं । तत्पश्चात ही आवेदन करें।

(2) मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प है (A) सहायक वन संरक्षक हेतु (B) वन क्षेत्रपाल हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु । दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों ।

(3) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पंद्रह गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा । समान रूप से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा । इस हेतु सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल हेतु पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी ।

(4) साक्षात्कार के पश्चात अंतिम मेरिट सूची A+C (सहायक वन संरक्षक) B+C (वन क्षेत्रपाल) के आधार पर बनाई जायेगी । A+C (सहायक वन संरक्षक) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे वन क्षेत्रपाल के पद हेतु भी विचारित किये जायेंगे ।

तेरह- महत्वपूर्ण :-

- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

चौदह- आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-दो का अवलोकन करें ।

पंद्रह- प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया - परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 01.02.2018 (दोपहर 12.00 बजे) से 16.02.2018 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे । अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे । पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे । प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी । एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रूपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

सोलह- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई-मेल आई. डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी । अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा । आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें ।

सत्रह- अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(1) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट - एक
(2) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट - दो
(3) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश परिशिष्ट - तीन
(4) ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश परिशिष्ट- चार
(5) प्रारंभिक परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट - पांच
(6) मुख्य परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट - छः

सचिव

## परिशिष्ट -एक

### आयु सीमा में छूट

(एक) वन क्षेत्रपाल हेतु -

अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-4/2016/1/3, दिनांक 12/07/2016 के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगी :-

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) /शासकीय सेवकों/ निगम/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्थाए/ नगर सैनिकों एवं महिलाओं) तथा वन विभाग के भर्ती नियमों का अनुसरण करते हुये नियुक्त किए गए विभागीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(दो) सहायक वन संरक्षक हेतु -

(01) मध्य प्रदेश के मूल निवासी निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:-

| क्रमांक | आवेदक | मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में) |
|---|---|---|
| 01 | पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग ) | 28+12=40 वर्ष |
| 02 | महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) | 28+17=45 वर्ष |
| 03 | पुरुष/महिला आवेदक<br>(शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 28+17=45 वर्ष |
| 04 | पुरुष/महिला आवेदक<br>(आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) | 28+17=45 वर्ष |
| 05 | पुरुष/महिला आवेदक<br>(आरक्षित वर्ग - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) | 28+17=45 वर्ष |
| प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में छूट प्राप्त नही होगी | | |

(02) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी ।

स्पष्टीकरण -

(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट :-

(01) अधिकतम 5 वर्ष तकः- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(02) अधिकतम 5 वर्ष तकः- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार "विक्रम अवार्ड" से सम्मानित खिलाड़ी हो:

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पणी:-

(1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) से अधिक नहीं होगी।अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे सहायक वन संरक्षक के पद हेतु आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। वन क्षेत्रपाल के पद

हेतु यह आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(3) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुमेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(4) अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु सीमा मे छूट तभी प्रदाय की जाएगी जब वह प्रारम्भिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो।

(ऊ) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुमेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ साथ हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से अपलोड की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावदेन अमान्य होगें। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2017—आषाढ़ 29, शक 1939

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक: एफ-8-1/2016/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

### नियम

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 है ।**

**(2) ये नियम दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।**

**2. शासकीय सेवकों के प्रवर्ग, जिनको ये नियम लागू होंगे :-**

(क) इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्य कलाप से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू होगें, जिनके भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए राज्य सरकार सक्षम है।

(ख) ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के शासकीय सेवाकें को लागू नहीं होंगे :-

I. उन व्यक्तियो पर, जो पूर्णकालिक सेवा योजन मे नहीं है ;

II. उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमे वे व्यक्ति भी शामिल है, जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है ;

III. उन व्यक्तियों पर, जो अनुबन्ध पर कार्य कर रहे हैं ;

IV. उन व्यक्तियों पर जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सरकारी नौकरी मे लगाये गये हैं ;

V. उन व्यक्तियों पर जो म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 तथाम.प्र. पंचायत तथा ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नियंत्रण में हैं ;

VI. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय चिकित्सा परिषद् और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों पर संदाय पाने वाले व्यक्ति; और

VII. न्यायालयीन सेवा के व्यक्ति

VIII. राज्य शासन के आदेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा घोषित स्थायी कर्मी

IX. उन किसी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हे मध्यप्रदेश के राज्यपाल, आदेश द्वारा, सारे कार्यों से अथवा इन नियमों मे निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित करते हों ।

**स्पष्टीकरण**-खण्ड (iv) के प्रयोजन के लिए, पुनः नियोजित पेंशन भोगी के अन्तर्गत वे पुनः नियोजित पेंशन भोगी सम्मिलित नहीं होगें, जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और ऐसे सैनिक पेंशन भोगी जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और जो राज्य सरकार के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन पुनः नियोजित हैं और विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं ।

**3.परिभाषायें-इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,-**

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किया जाता है इसमें वेतन संरक्षण के फलस्वरूप स्वीकृत व्यक्तिगत वेतन भी सम्मिलित होगा परन्तु इनमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ;

(ii) शासकीय सेवकों के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन" से आशय उस वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन से है जो शासकीय सेवक द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 को स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो) पर लागू हो ;

**स्पष्टीकरण**- किसी शासकीय सेवक के मामले में जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अवकाश पर था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुये भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था "मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन " में किसी पद के लिए वही वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन मान्य होगा जिसे उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, परन्तु उसके मूल संवर्ग/पद पर वापिस आने पर उसे मूल संवर्ग/पद के अनुसार ही वेतन प्राप्त होगा ।

(iii) "विद्यमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है-
(i) वेतन बैंड में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के फलस्वरूप स्वीकृत) का योग ; (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि, का योग ;

(iv) "प्रकल्पित परिलब्धियाँ" से आशय है बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के कारण यदि कोई हो) के योग का 2.57 गुना ;

(v) "वेतन मेट्रिक्स" से आशय है नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 जिसमें वेतन के लेवल तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं ;

(vi) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से आशय है इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तदनुरूपी लेवल;

(vii) "लेवल में वेतन" से आशय है अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन ;

(viii) किसी पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल से अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो ।

(ix) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से आशय है, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन ;

(x) "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से आशय है पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी शासकीय सेवक के लेवल में वेतन ; और

(xi) "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है ।

**4.पदों के लेवल-**

संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तय किये गये हों ।

**5.संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण -**

इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबंध के सिवाय शासकीय सेवक उस पद जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया है अथवा धारित कर रहा है, के लिये लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई शासकीय सेवक मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तक, अथवा वह पद रिक्त करने तक मौजूदा वेतन बेंड में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों मे जहां शासकीय सेवक को दिनांक 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया है, तो वह ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है ।

**स्पष्टीकरण (1)** इस नियम के परन्तुक के अन्तर्गत मौजूदा वेतन संरचना बहाल रखने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के मामले मे स्वीकार्य होगा ।

**स्पष्टीकरण (2)** ऊपर दिया गया विकल्प दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार आया हो ।

**स्पष्टीकरण (3)** जहां कोई शासकीय सेवक मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अन्तर्गत मौजूदा वेतन संरचना को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूल वेतन होगा जो मौजूदा वेतन संरचना के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता या निलंबित न किये जाने तक धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की तरह वह अर्जित करता । मूल संवर्ग/पद पर वापिस आने पर नियम 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा ।

**6.विकल्प का चयन-**

(1) नियम 5 के परंतुक के अन्तर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस प्रपत्र पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उपनियम (2) मे वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के 3 माह के अन्दर पहुँच जाने चाहिये अथवा जहाँ वर्तमान संरचना निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के 3 माह बाद तक पहुँचना मान्य होगा ।

**बशर्ते कि-**

(i) उस मामले में जब शासकीय सेवक इस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर अथवा सक्रिय सेवा में राज्य से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के राज्य में आने और यहाँ का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अन्दर लिखित रूप मे पहुँच जाए; तथा

(ii) जहां कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निलंबित हो तथा उसके काम पर लौटने की तारीख इस नियम के प्रकाशित होने के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है ।

(iii) जहां कोई शासकीय सेवक, भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी, 2016 अथवा पूर्व से पदोन्नत होता है तो वह ऐसे आदेश के जारी होने के तीन महीने के अन्दर विकल्प दे सकेगा ।

(iv) वे शासकीय सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् ओर इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र होगें ।

(2) शासकीय सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों में संलग्न फार्म में अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी ।

(3) अगर शासकीय सेवक का लिखित विकल्प उपनियम (1) के अनुसार निर्धारित तारीख के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नये संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा ।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

**नोट-1** जिन लोगों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिये जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा अनुशासनहीनता के आधार पर सेवामुक्ति के कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी उप नियम-1 के अन्तर्गत विकल्प चयन का अधिकार होगा ।

**नोट-2** जो लोग दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढांचे के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सके थे, उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों के लिये लाभप्रद लगे, उन्होंने नये वेतन संरचना का चयन कर लिया है तथा इस प्रकार किये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

**नोट-3** ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01-01-2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, या ऐसी अवधि जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर हैं, इस नियम के लाभ प्राप्त कर सकेगें ।

**7. संशोधित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण –**

**(1)** किसी शासकीय सेवक जिसने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद-जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या निलंबित होने की स्थिति मे यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राज्यपाल के विशेष नियम या निर्देश ना हों, उसका आरम्भिक वेतन अलग से निर्धारित किया जायेगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जायेगा ; अर्थात्

**(i)** वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा, जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन (नियम 3(iii)(i) अनुसार) को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूप कोई समरूप राशि है, तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उसके ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा ।

उदाहरण :-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1 | वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | |
| 2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400 | ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2100 | **2400** | **2800** |
| 3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 10160 | लेवल | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** |
| | 1 | 18000 | 19500 | 22100 | **25300** | **28700** |
| 4. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400) | 2 | 18500 | 20100 | 22800 | **26100** | **29600** |
| | 3 | 19100 | 20700 | 23500 | **26900** | **30500** |
| | 4 | 19700 | 21300 | 24200 | **27700** | **31400** |
| 5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन : 12600 X 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित) | 5 | 20300 | 21900 | 24900 | **28500** | **32300** |
| | 6 | 20900 | 22600 | 25600 | **29400** | **33300** |
| | 7 | 21500 | 23300 | 26400 | **30300** | **34300** |
| | 8 | 22100 | 24000 | 27200 | **31200** | **35300** |
| 6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 6 | 9 | 22800 | 24700 | 28000 | **32100** | **36400** |
| | 10 | 23500 | 25400 | 28800 | **33100** | **37500** |
| 7. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 6 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 33100. | 11 | 24200 | 26200 | 29700 | **34100** | **38600** |
| | | | | | | |

(ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन का प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप खंड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उक्त प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा;

(2) निलंबित शासकीय सेवक मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिये जाने के अध्याधीन, निलबंन से बहाली की दिनांक को नियत किया जा सकेगा।

(3) जब कोई शासकीय सेवक किसी स्थाई पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनो पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उपनियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थाई वेतन माना जायेगा ।

(4) यदि किसी शासकीय सेवक की मौजूदा परिलब्धियाँ "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती हैं तो उस अन्तर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में इसे समाहित किया जायेगा ।

(5) यदि कोई कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी, 2016 के तुरंत पहले समान केडर के किसी कनिष्ठ सेवक की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ शासकीय सेवक हो ।

(6) जहां कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी 2016 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो उस अन्तर को उस शासकीय सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जावेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित कर लिया जायेगा ।

(7) ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ शासकीय सेवक की दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पहले लागू वेतन बैंड में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ शासकीय सेवक से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हैं, तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शासकीय सेवक का वेतन उसके कनिष्ठ शासकीय सेवक को उच्च पद पर दिये जा रहे वेतन संरचना में वेतन के बराबर कर दिया जाये । यह वृद्धि कनिष्ठ शासकीय सेवक की पदोन्नति की तिथि से की जायेगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात् :-

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ शासकीय सेवकों का एक ही केडर का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुये हैं वह केडर में समान पद होने चाहिये ।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतन संरचना जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, समान होने चाहिये ।

(ग) वरिष्ठ शासकीय सेवक पदोन्नति के समय कनिष्ठ शासकीय सेवक के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों ।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिये । यदि कनिष्ठ पद पर कोई भी कनिष्ठ शासकीय सेवक संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ

शासकीय सेवक की तुलना में अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस उपनियम के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।

(ii) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उपनियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन स्थायी पद में नियत किये गये वेतन से कम है तो वेतन स्थायी वेतन के अगले चरण से ऊपर नियत किया जायेगा ।

**8.** दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शासकीय सेवकों के वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले शासकीय सेवकों का वेतन उस पद पर जिस पर शासकीय सेवक नियुक्त किये जाते हैं, के लिये प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा ।

बशर्ते कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन मौजुदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती है तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जायेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित कर लिया जोयगा ।

**9.** वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि- वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत् कोष्ठिकाओं में यथा विनिर्दिष्ट रूप में दी जावेगी ।

उदाहरण :-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लेवल 6 में 33100 रूपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा शासकीय सेवक उसी लेवल में लंबवत् नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 34100 हो जाएगा । | वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | |
| | ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2100 | **2400** | **2800** |
| | लेवल | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** |
| | 1 | 18000 | 19500 | 22100 | **25300** | **28700** |
| | 2 | 18500 | 20100 | 22800 | **26100** | **29600** |
| | 3 | 19100 | 20700 | 23500 | **26900** | **30500** |
| | 4 | 19700 | 21300 | 24200 | **27700** | **31400** |
| | 5 | 20300 | 21900 | 24900 | **28500** | **32300** |
| | 6 | 20900 | 22600 | 25600 | **29400** | **33300** |
| | 7 | 21500 | 23300 | 26400 | **30300** | **34300** |
| | 8 | 22100 | 24000 | 27200 | **31200** | **35300** |
| | 9 | 22800 | 24700 | 28000 | **32100** | **36400** |
| | 10 | 23500 | 25400 | 28800 | **33100** | **37500** |
| | 11 | 24200 | 26200 | 29700 | **34100** | **38600** |

**10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख-**

(1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई :

बशर्ते कि कोई शासकीय सेवक अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) ऐसा शासकीय सेवक जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी ।

परन्तु यदि पदोन्नति, नियुक्ति या उन्नयन की तारीख यदि 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई हो तथा इस तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उसके अन्तर्गत कार्य दिवस को कार्य भार करता है तो ऐसे प्रकरणों में यह मानते हुये कि उसने उस माह की पहली तारीख को कार्यभार ग्रहण किया आगामी वेतन वृद्धि विनिश्चित की जायेगी ।

परन्तु यदि 01 जनवरी या 01 जुलाई को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने की स्थिति में आगामी वेतन वृद्धि की तिथि वेतन निर्धारण की तिथि के एक वर्ष पश्चात अर्थात् आगामी वर्ष के 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई जैसी भी स्थिति हो नियत की जायेगी ।

**उदाहरण :**

क. ऐसे शासकीय सेवक जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन दिया है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

ख. ऐसे शासकीय सेवक जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उन्नयन दिया गया हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

बशर्ते कि ऐसे शासकीय सेवकों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी ।

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी ।

**11. 01 जनवरी, 2016 के बाद संशोधित वेतन संरचनो में वेतन का निर्धारण**-जहाँ कोई शासकीय सेवक मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निर्धारण कंडिका 7 के अनुसार किया जायेगा ।

**12. दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व धारित किसी पद पर उक्त तिथि के पश्चात् पुन:नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण** - कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, किन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण नहीं करता था और उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करता है, उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जोयगा जहां तक कि वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण किया होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता ।

**13. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नति/समयमान पर वेतन का निर्धारण** - संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति/समयमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :

**(i)** एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से शासकीय सेवक पदोन्नत/समयमान किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा ।

उदाहरण :-

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल: लेवल 6

2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28500

3. पदोन्नति/समयमान वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 7 में

4. लेवल 6 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29400

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 7 में वेतन : 29600 (लेवल 7 में 29400 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)

| वेतन बैंड | 5200-20200 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2100 | **2400** | **2800** |
| लेवल | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** |
| 1 | 18000 | 19500 | 22100 | **25300** | **28700** |
| 2 | 18500 | 20100 | 22800 | **26100** | **29600** |
| 3 | 19100 | 20700 | 23500 | **26900** | **30500** |
| 4 | 19700 | 21300 | 24200 | **27700** | **31400** |
| 5 | 20300 | 21900 | 24900 | **28500** | **32300** |
| 6 | 20900 | 22600 | 25600 | **29400** | **33300** |
| 7 | 21500 | 23300 | 26400 | **30300** | **34300** |

**14. वेतन-बकायों के भुगतान की विधि** -इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक की बकाया राशि के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें ।

**स्पष्टीकरण** - इस नियम के प्रयोजन हेतु किसी शासकीय सेवक के संबंध में, "बकाया वेतन" से अभिप्रेत है निम्न का अन्तर :-

(एक) इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि हेतु वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिसकी उसे पात्रता है; तथा

(दो) उस अवधि में वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं मंहगाई भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन तथा भत्ते का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता ।

**15. नियमों का अध्यारोही प्रभाव-** उन मामलों में जहाँ वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूल नियम तथा किन्ही अन्य नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक कि वे इन नियमों से असंगत हो ।

**16. शिथिल करने की शक्ति-** राज्य सरकार, शासकीय सेवकों के या शासकीय सेवकों के प्रवर्ग के मामलें में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का प्रवर्तन ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित मे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन जो यथास्थिति किसी शासकीय सेवक या शासकीय सेवकों के किसी प्रवर्ग के लिए अलाभप्रद हो, प्रवर्तित नहीं किया जाएगा ।

**17. निर्वचन-**यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिरुद्ध मुकर्जी,** प्रमुख सचिव.

## दूसरी अनुसूची

### विकल्प का प्ररूप
### (नियम 6 देखें)

*(i)मैं----------दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ ।

**अथवा**

*(ii)मैं----------अपने मूल/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में निम्नानुसार आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ जब तक कि:-

*मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक, या

*मेरी बाद की वेतनवृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन ----- रूपये हो जाए, या

*मैं, मोजूदा वेतन बेण्ड में वेतन लेना बंद कर दूं/छोड़ दूं, या

*----------के पद पर मेरा पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने तक।

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन ----------

दिनांक---------- हस्ताक्षर----------
स्थान---------- नाम----------
पदनाम----------
*यदि लागू न हो तो काट दिया जाए कार्यरत कार्यालय का नाम----------

कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की दिनांक----------

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

(1)

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
———000———

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 4/1/2010

क्रमांक एफ–3–55/2001/10–1: मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03 अप्रेल,2008 द्वारा वन विभाग की निम्नानुसार संरचना अनुमोदित की गई है:–

| क्रमांक | पद | अनुमोदित पद संख्या |
|---|---|---|
| 1. | वन रक्षक | 13997 |
| 2. | वन पाल | 4184 |
| 3. | उप वन क्षेत्रपाल | 1257 |
| 4. | वन क्षेत्रपाल | 1192 |
| 5. | सहायक वन संरक्षक | 358 |
| 6. | लिपिक वर्गीय | 2829 |
| 7. | चतुर्थ श्रेणी | 1165 |
| 8. | विविध अन्य | 731 |
| 9. | विविध राजपत्रित | 24 |
| योग | | 25737 |

2– उक्त पदों में अनुक्रमांक 6,7,8 एवं 9 में अंकित पदों का विस्तृत विवरण (Break up) निम्नानुसार है:–

I– लिपिक वर्गीय पद

| अ0क0 | पदनाम | स्वीकृत पद |
|---|---|---|
| 1. | सहायक ग्रेड–।।। | 1486 |
| 2. | सहायक ग्रेड–।।/लेखापाल | 622 |
| 3. | सहायक ग्रेड–। | 191 |
| 4. | लेखा अधीक्षक | 75 |
| 5. | अधीक्षक | 35 |
| 6. | प्रशासकीय/लेखा अधिकारी | 20 |
| 7. | शीघ्रलेखक | 197 |
| 8. | मानचित्रकार | 203 |
| योग | | 2829 |

.....2

सत्य प्रतिलिपि

प्रशासकीय अधिकारी
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

II– चतुर्थ श्रेणी पद

| अ0क0 | पदनाम | स्वीकृत पद |
|---|---|---|
| 1. | सुपरवाईजर | 20 |
| 2. | दफ्तरी | 195 |
| 3. | भृत्य / अर्दली / खलासी / फर्राश | 950 |
| | योग | 1165 |

III– विविध अन्य श्रेणी पद

| अ0क0 | पदनाम | स्वीकृत पद |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य आरक्षक | 05 |
| 2. | आरक्षक | 15 |
| 3. | महावत | 35 |
| 4. | मुख्य महावत | 14 |
| 5. | वाहन चालक | 613 |
| 6. | चारा कटर(चतुर्थ श्रेणी) | 49 |
| | योग | 731 |

IV– विविध राजपत्रित पद

| अ0क0 | पदनाम | स्वीकृत पद |
|---|---|---|
| 1. | संचालक बजट | 01 (प्रतिनियुक्ति पद) |
| 2. | विधिक सलाहकार | 01(प्रतिनियुक्ति पद) |
| 3. | उप संचालक (बजट एवं लेखा) | 07(प्रतिनियुक्ति पद) |
| 4. | तकनीकी अधिकारी / प्रोग्रामर | 01 |
| 5. | सहायक संचालक, प्रचार | 01 |
| 6. | अनुसंधान अधिकारी | 01 |
| 7. | सहायक पशु शल्य चिकित्सक | 10(प्रतिनियुक्ति पद) |
| 8. | सहायक शल्य चिकित्सक | 02(प्रतिनियुक्ति पद) |
| | योग | 24 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0कात्रियार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

सत्य प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

.....3

(3)



पृष्ठां. क.एफ–3–55/2001/10–1 भोपाल, दिनांक 4/1/2010

प्रतिलिपिः–

1– महालेखाकार,मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2– सचिव,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
3– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
4– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
5– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,मध्यप्रदेश,भोपाल।
6– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश,भोपाल।
7– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं भू–अभिलेख) मध्यप्रदेश,भोपाल।
8– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।) एवं (प्रशा.–।।) मध्यप्रदेश,भोपाल।
9– निज सचिव,माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी,वन ।
10– अभिलेख सहायक,वन विभाग कक्ष–1,2,3 एवं 4

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0के0कातिया) 4/1/10
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

Ref- Item 17
Item 5

6.1.10

5/1/10

6-1-2010

सत्य प्रतिलिपि

प्रशासकीय अधिकारी
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा. 69 म. प्र. भोपाल

परिशिष्ट-4

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
-----000-----
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 3 अप्रैल, 2008

कमांक 3-55/2001/10-1: राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयोपरांत एतद् द्वारा वन विभाग की निम्नानुसार संरचना का अनुमोदन किया जाता है:-

| क्रमांक | पद | अनुमोदित पद संख्या |
|---|---|---|
| (1) | वन रक्षक | 13997 |
| (2) | वनपाल | 4184 |
| (3) | उप वन क्षेत्रपाल | 1257 |
| (4) | वन क्षेत्रपाल | 1192 |
| (5) | सहायक वन संरक्षक | 358 |
| (6) | लिपिकीय | 2829 |
| (7) | चतुर्थ श्रेणी | 1165 |
| (8) | विविध अन्य में | 731 |
| (9) | विविध राजपत्रित | 24 |
| | कुल :- | **25737** |

2/ एतद् द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग की उक्त संरचना की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा (Review)की जाए।

3/ एतद् द्वारा राज्य शासन द्वारा वन रक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा आगामी वर्षो में प्रतिवर्ष वन रक्षकों के रिक्त होने वाले पदों को उस वर्ष में भरने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्कर सिंह)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2008

कमांक 3-55/2001/10-1
प्रतिलिपि:-
1- सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी।

2– निज सचिव,माननीय मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी,वन।
3– सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय,भोपाल।
4– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
5– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
6– महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
7– सचिव,म.प्र.लोक सेवा आयोग,इंदौर
8– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश,भोपाल।
10– प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)मध्यप्रदेश,भोपाल।
11– प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ,भोपाल।
12– प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य वन विकास निगम,भोपाल।
13– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.राज. / अराज.)मध्यप्रदेश,भोपाल।
14– संयुक्त संचालक,जनसंपर्क,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

––00––

मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग
मं त्रा ल य,
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2012

क्रमांक/एफ–15–07/2010/10–2 :– राज्य शासन एतद् द्वारा, वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन की महत्ता की दृष्टि से गोविन्दगढ़ के समीप, सतना जिले के मुकुन्दपुर में जू (चिड़ियाघर) एवं वन्यप्राणी उपचार केन्द्र की स्थापना एवं संचालन की योजना की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 योजना पूर्णतः वन भूमि पर क्रियान्वित होगी।

2. योजना का क्रियान्वयन दो वर्षों (2011–12 एवं 2012–13) में किया जायेगा। योजनान्तर्गत कोई भी पुर्नवास/पुर्नबसाहट शामिल नहीं होगी।

3 योजना के अन्तर्गत अनावर्ती व्यय रूपये 1025.00 लाख होगा, जिसके अन्तर्गत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, संयंत्र एवं भण्डार क्रय इत्यादि सम्मिलित होंगे। समस्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के एस.ओ.आर. के आधार पर कराये जाएं। योजना का आवर्ती व्यय रूपये 103.50 लाख वार्षिक हैं, जिसके अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, वाहनों का पी.ओ.एल. आदि शामिल हैं।

2/ योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 29 नियमित पद एवं 26 संविदा पद इस तरह कुल 55 पदों को निम्नानुसार एतद् द्वारा अस्थाई रूप से सृजित किया जाता है :–

| स. क्र. | पदनाम | किस संवर्ग से | स्वीकृत पद संख्या | वेतनमान एवं ग्रेड पे | भर्ती का तरीका |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सचालक | स.व.स | 1 | 15600-39100PB3+6600 | विभागीय, सेवाभर्ती नियमानुसार |
| 2 | क्यूरेटर | वन क्षेत्रपाल | 1 | 9300-34800 PB2+3600 | तदैव |
| 3 | जनसम्पर्क अधिकारी | वन क्षेत्रपाल | 1 | तदैव | तदैव |
| 4 | पशु चिकित्सा अधिकारी | पशुचिकित्सक | 1 | 15600-39100 PB3+5400 | पशुपालन विभाग से प्रतिनियुक्ति |
| 5 | जीवविज्ञानी | वैज्ञानिक ग्रेड–सी | 1 | तदैव | राज्यवन अनुसंधान संस्थान/सीधी भर्ती |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 6 चिड़ियाघर पर्यवेक्षक (वन्यप्राणी) | वनपाल | 1 | 5200-20200 PB1+2100 | विभागीय, सेवाभर्ती नियमानुसार |
| 7 सेनेटरी पर्यवेक्षक | वनपाल | 1 | तदैव | तदैव |
| 8 भण्डारी (स्टोर कीपर) | वनपाल | 1 | तदैव | तदैव |
| 9 सुरक्षा पर्यवेक्षक | वनपाल | 1 | तदैव | तदैव |
| 10 उद्यानिकी पर्यवेक्षक | वनपाल | 1 | तदैव | तदैव |
| 11 शैक्षिक पर्यवेक्षक | उप वनक्षेत्रपाल | 1 | 5200-20200 PB1+2400 | तदैव |
| 12 अनुसंधान सहायक | अनुसंधान सहायक | 1 | 9300-34800 PB3+3600 | राज्य वन अनुसंधान संस्थान / सीधी भर्ती |
| 13 सहायक पशुचिकित्सक | सहायक पशुचिकित्सक | 1 | 5200-20200 PB1+2400 | पशुपालन विभाग से प्रतिनियुक्ति |
| 14 प्रयोगशाला सहायक | | 1 | तदैव | तदैव |
| 15 ऐनीमल कीपर | वनरक्षक (प्र.) | 6 | 5200-20200 PB1+1900 | विभागीय, सेवाभर्ती नियमानुसार |
| 16 सुरक्षा गार्ड | वनरक्षक (प्र.) | 3 | तदैव | तदैव |
| 17 शैक्षिक सहायक | वनरक्षक (प्र.) | 1 | तदैव | |
| 18 चिड़ियाघर गाईड | वनरक्षक (प्र.) | 1 | तदैव | तदैव |
| 19 कीपर | वनरक्षक (प्र.) | 1 | तदैव | तदैव |
| 20 सहायक कीपर | चौकीदार | 4 | - | अनुबंध पर |
| 21 सेनेटरी सहायक | चौकीदार | 3 | - | अनुबंध पर |
| 22 चौकीदार | चौकीदार | 7 | - | अनुबंध पर |
| 23 माली | चौकीदार | 3 | - | अनुबंध पर |
| 24 पशु चिकित्सालय प्रहरी | चौकीदार | 2 | - | अनुबंध पर |
| 25 भृत्य | भृत्य | 2 | - | अनुबंध पर |
| प्रशिक्षित श्रमिक (मेशन, कारपेन्टर,प्लम्बर,लाईनमेन) | श्रमिक | 3 | - | अनुबंध पर |
| मुख्य लिपिक | मुख्य लिपिक | 1 | 5200-20200 PB1+2800 | विभागीय, सेवाभर्ती नियमानुसार |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| लेखापाल | लेखापाल | 1 | 5200-20200 PB1+2400 | तदैव |
| 29 सहायक ग्रेड–3 | सहायक ग्रेड–3 | 1 | 5200-20200 PB1+1900 | तदैव |
| 30 कम्प्यूटर आपरेटर | कम्प्यूटर आपरेटर | 2 | – | अनुबंध पर |
| | योग | 55 | | |

3/ उक्त योजना के गठन एवं क्रियान्वयन पर होने वाला आवर्ती/अनावर्ती व्यय मांग संख्या 10–2406 वानिकी एवं वन्यप्राणी राज्य आयोजना (सामान्य) के योजना शीर्ष (6355)–गोविन्दगढ़ जू एवं रेस्क्यू सेन्टर मुकुन्दपुर की स्थापना के अर्न्तगत स्वीकृत विभिन्न उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4/ यह स्वीकृति आदेश, मंत्रि परिषद आदेश आयटम क्रमांक 4 दिनांक 20.12.2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक–482/481/बी–5/11 दिनांक 09.12.2011, यू0ओ0 क्रमांक–06/1040/बी–5/11 दिनांक 06.01.2012 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.आर. सुनहरे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक/एफ–15–07/2010/10–2 भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

प्रतिलिपि:–

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके यू0ओ0 क्रमांक–482/481/बी–5/11 दिनांक 09.12.2011, एवं क्रमांक–06/1040/बी–5/11 दिनांक 06.01.2012 के संदर्भ में।

महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर वित्त विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल के यू0ओ0 क्रमांक–06/1040/बी–5/11 दिनांक 06.01.2012 के संदर्भ में।

सचिव, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड़ पिन कोड–110510 नई दिल्ली।

मेम्बर सेकेट्री केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विकानेर हाउस सहागंज रोड़ नई दिल्ली पिन कोड–110011

6 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

6 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) भोपाल मध्यप्रदेश।

7 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वित्त/बजट)/विकास भोपाल मध्यप्रदेश।

8 समस्त क्षेत्र संचालक एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश।

9 विशेष सहायक वन मंत्री/निज सचिव वन राज्य मंत्री भोपाल मध्यप्रदेश।

10 जिला कोषालय अधिकारी, .....मध्यप्रदेश।

11 आयुक्त जन संपर्क संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12 गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

12/1/12

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(11)

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
———000———
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 3 अप्रैल, 2008

क्रमांक 3–55/2001/10–1: राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयोपरांत एतद् द्वारा वन विभाग की निम्नानुसार संरचना का अनुमोदन किया जाता है:–

| क्रमांक | पद | अनुमोदित पद संख्या |
|---|---|---|
| (1) | वन रक्षक | 13997 |
| (2) | वनपाल | 4184 |
| (3) | उप वन क्षेत्रपाल | 1257 |
| (4) | वन क्षेत्रपाल | 1192 |
| (5) | सहायक वन संरक्षक | 358 |
| (6) | लिपिकीय | 2829 |
| (7) | चतुर्थ श्रेणी | 1165 |
| (8) | विविध अन्य में | 731 |
| (9) | विविध राजपत्रित | 24 |
| | कुल :– | 25737 |

2/ एतद् द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग की उक्त संरचना की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा (Review)की जाए।

3/ एतद् द्वारा राज्य शासन द्वारा वन रक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा आगामी वर्षो में प्रतिवर्ष वन रक्षकों के रिक्त होने वाले पदों को उस वर्ष में भरने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्कर सिंह)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2008

क्रमांक 3–55/2001/10–1
प्रतिलिपि:–
1– सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र.1995
24/4/08

सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी, वन।
3 सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7— सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर
8— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10— प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
11— प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
12— प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
13— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा. राज. / अराज.) मध्यप्रदेश, भोपाल।
14— संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

—00—

1103
18/91

मध्य प्रदेश शासन (52)
वन विभाग
==========

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29.4.91

क्रमांकएफ-7/1/85/10-1, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि चौधरी वेतन आयोग/बोरा वेतनमान एवं केन्द्र के समान वेतनमान में कि गई सिफारिशों के अनुक्रम में राज्य सिविल सेवा (डिप्टि कलेक्टर) तथा राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक) के समान राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) संवर्ग में निम्नानुसार त्रिस्तरीय वेतनमान कालम 4 में दर्शाई गई तिथि से लागू किया जावें।

= = = =

4/ राज्य शासन दिनांक 1-1-86 से सहायक वन संरक्षकों के स्वीकृत स्थायी पद 292 का 25 प्रतिशत अर्थात 73 पदों को वरिष्ठ वेतनमान रू पये 2650-4200/3000-4500 में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं । इन पदों में पैरा 2 में दर्शाये गये पद भी सम्मिलित रहेंगे ।

5/ राज्य शासन द्वारा सहायक वनसंरक्षकों के 292 स्थायी पदों में से 15 प्रतिशत के मान से अर्थात् 44 पदों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में रूपये 3200-4500/3700-5000 में दिनांक 1-1-86 से परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इन पदों में उपरोक्त पैरा -3 में दर्शाये गये पद भी शामिल रहेंगे ।

6/ उपरोक्तानुसार त्रिस्तरीय वेतनमान लागू होने के कारण विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को इन परिवर्तित पदों के विरूद्ध समायोजित करने के बाद शेष बचे पदों के विरूद्ध ही अन्य अधिकारियों को परिवर्तित वेतनमान का लाभ दिया जावेगा ।

7/ राज्य शासन यह भी आदेश देता है कि राज्य वन सेवा (सहायक वन संरक्षक) के कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति को पदोन्नति नहीं माना जायेगा तथा कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किये जाने पर वेतन के निर्धारण मूलभूत नियम 22 ए (1) के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा । जिन वि0क0अ0 को पूर्व में ही वरिष्ठ वेतनमान में निर्धारित किया जा चुका वे प्रकरण पुनः निर्धारित नहीं किये जावेगें ।

8/ राज्य शासन यह भी आदेश देता है कि राज्य वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति को पदोन्नति नहीं माना जावेगा तथा वरिष्ठ वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति पर वेतन इस प्रकार निर्धारित किया जावेगा कि उन्हें कम से कम रू0 80/- केवल का लाभ प्राप्त हो ।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पू0फ0 530/एस आर/216/एन/बी-6/91 दिनांक 27-4-91 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
(अशोक मसीह)
अतिरिक्त सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन ।

पृ.क्र0 एफ-7/1/85/10-1/ भोपाल, दिनांक 29.4.91

प्रतिलिपि:-

1/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल ।

2/ महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर ।

3/ सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग, की ओर तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को पुष्ठांकित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

सही/-
अतिरिक्त सचिव
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग,

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्र./स्था./ब-1/8/91/6159 भोपाल, दिनांक 10/7/91

प्रतिलिपि:-

1/ समस्त मुख्य वन संरक्षक,म0प्र0,भोपाल ।
2/ समस्त अपर मुख्य वनसंरक्षक,म0प्र0,भोपाल ।
3/ प्रबंध संचालक,म0प्र0 राज्य वन [illegible] निगम लि. भोपाल ।
4/ प्रबंध संचालक,म0प्र0 रा.वन विकास एवं म0प्र0,भोपाल ।
5/ समस्त वन संरक्षक,म0प्र0,भोपाल ।
6/ संचालक,राज्य वन अनुसंधान संस्थान,जबलपुर ।
7/ संचालक,कान्हा नेशनल पार्क,मंडला ।
8/ प्राचार्य,वन क्षेत्रीय महाविद्यालय,बालाघाट ।
9/ समस्त वन मंडलाधिकारी,म0प्र0,भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

[illegible]
उप वनसंरक्षक (प्रशा.-राज.)
कृते, अपर मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-राज.)
मध्य प्रदेश भोपाल

आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोधित:

//कंटरे//8791//

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13 अप्रेल, 2017

कमांक एफ 3–08/2006/10–1: राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.03.2017 के द्वारा राज्य वन सेवा के अधिकारियो को चतुर्थ स्तरीय वेतनमान "वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान" रूपये 37400–67000 + ग्रेड पे 8700 स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु प्रवर श्रेणी वेतनमान में उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाना हो, 6(छैः) वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता निर्धारित करता है ।

2/ वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए शेष अन्य शर्ते राज्य वन सेवा संवर्ग हेतु मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम,1977 के उप नियम–23 में अन्य वेतनमान के लिए निहित शर्ते यथावत रहेंगी । भर्ती नियम में संशोधन पृथक से किया जावेगा । यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0 आई0 अंजीज)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कमांक एफ 3–8/2006/10–1 भोपाल, दिनांक 13 अप्रेल, 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महालेखाकार कार्यालय मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव(समन्वय) ,मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,वित्त/सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन–1 म.प्र., भोपाल।
7. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2017

कमांक एफ 3–08/2006/10–1: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य वन सेवा के अंतर्गत निम्न तालिका अनुसार पद संख्या एवं चतुर्थ स्तरीय वेतनमान स्वीकृत स्वीकृत करता है :–

| क्र. | पद श्रेणी | वेतनमान + ग्रेड पे | पदों का प्रतिशत | पद संख्या |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान | 37400–67000+8700 | 05 | 18 |
| 2 | प्रवर श्रेणी वेतनमान | 15600–39100+7600 | 15 | 54 |
| 3 | वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान | 15600–39100+6600 | 25 | 90 |
| 4 | कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान | 15600–39100+5400 | 55 | 197 |
| | योग | | 100 | 359 |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0 आई0 अंजीज)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2017

पृ. क्रमांक एफ 3–8/2006/10–1

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महालेखाकार कार्यालय मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव(समन्वय) ,मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,वित्त/सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन–1 म.प्र., भोपाल।
7. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल
10. गार्ड फाईल।

APCCF(A-I)

PCCF

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

SR.P.A.TO P.C.C.F. No. 2341 Dt. 28/3/17

अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशासन-1) म.प्र. भोपाल

617

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13 अप्रेल, 2017

कमांक एफ 3–08/2006/10–1: राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.03.2017 के द्वारा राज्य वन सेवा के अधिकारियो को चतुर्थ स्तरीय वेतनमान "वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान" रूपये 37400–67000 + ग्रेड पे 8700 स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु प्रवर श्रेणी वेतनमान में उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाना हो, 6(छैः) वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता निर्धारित करता है ।

2/ वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए शेष अन्य शर्ते राज्य वन सेवा संवर्ग हेतु मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम,1977 के उप नियम–23 में अन्य वेतनमान के लिए निहित शर्ते यथावत रहेंगी । भर्ती नियम में संशोधन पृथक से किया जावेगा । यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
13/4/17
(एस0 आई0 अजीज)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ 3–8/2006/10–1 भोपाल, दिनांक 13 अप्रेल, 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 महालेखाकार कार्यालय मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव(समन्वय) ,मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,वित्त/सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन–1 म.प्र., भोपाल।
7. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

13/4/17
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 6- 1/2017/एक/9 भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18

--0--

राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर वर्ष 2017-18 हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती हैः-

2/- प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पूरे वर्ष निरन्तर स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 01 जून 2017 से 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे।

3/- जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परन्तु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जायेगी।

4/- इन निर्देशों के अधीन जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से **प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत** विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

5/- राज्य स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्य विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत ही किए जाने चाहिए। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव/प्रशासकीय आधार पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के स्तर से तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्तर जिला स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष के स्तर से जारी किये जायेंगे।

6 (1) प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि सहित) अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे-

| क्रमांक | पद/संवर्ग की संख्या | अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर) |
|---|---|---|
| 1 | 200 तक | 20 प्रतिशत |
| 2 | 201से अधिक | 40+200 से उपर का 10 प्रतिशत |

(2) वन विभाग अवैध कटाई, अतिक्रमण तथा आपराधिक स्वरूप के प्रकरणों से संबंधित उपयुक्त (appropriate) मामलों में विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण के उपर्युक्त अधिकतम प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण कर सकेगा।

(3) स्कूल शिक्षा विभाग की अपनी पृथक स्थानान्तरण नीति निर्धारित है अत: उनके द्वारा अपनी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप उक्त अवधि में स्थानांतरण किये जायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग पर यह नीति लागू नहीं होगी।

7/- इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्रीजी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे।

8/- राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए:-

8.1 स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किन्तु ऐसे स्थानांतरण, उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम से किये जायें, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हों उसका स्थानांतरण पहले किया जाये। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु-

8.1.1 उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

8.1.2 अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भारमुक्ति के विशिष्ट आपवादिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा।

8.2 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जायेगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर की अनुविभाग में पदस्थापना या अनुविभाग परिवर्तन, कलेक्टर द्वारा, जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श उपरान्त किया जा सकेगा ।

8.3 तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना/स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त ही की जा सकेगी ।

8.4 पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरणों का नियमन मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-73/1998/ब-2/दो, दिनांक 14.02.2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों के स्थानातरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में मुख्यमंत्रीजी के अनुमोदन के पश्चात् किये जायेंगे।

8.5 वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापना वन वृत्त में की जाएगी। वन वृत्त के अंदर परिक्षेत्र में पदस्थापना संबंधित वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। वन मंडल के अंदर वन परिक्षेत्र अधिकारियों से निम्न स्तर के अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण वन मंडल अधिकारी द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किये जाएंगे।

8.6 जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर किये जानेवाले स्थानान्तरणों में उन शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा; जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया ही जावे। वर्क्स एवं रेगुलेटरी विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाये। चिकित्सक आदि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रह सकते हैं। इसी प्रकार न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरण में विभाग स्वविवेक से निर्णय लेकर स्थानान्तरण कर सकता है। आशय यह है कि

इन आधारों पर 3 वर्ष के पूर्व भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

8.7 परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.8 **स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानांतरण-** <u>स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु आवेदन ऑन-लाइन प्रस्तुत किये जायेंगे।</u> स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किये गये स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग-अलग जारी किये जाए।

8.9 स्वेच्छा से स्थानान्तरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों के स्थानान्तरणों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया हो।

8.10 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यत: उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थानांतरण किये जाने पर विचार किया जाए।

8.11 पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि

पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

8.12 कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलेसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.13 शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुन: उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जावेगा।

8.14 ऐसे नि:शक्त कर्मचारी, जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के सामान्यत: स्थानांतरण न किये जायें, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।

8.15 ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक नि:शक्तता, **स्वलीन** (Autism) अथवा बहुआयामी नि:शक्तता से पीड़ित है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहां नि:शक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी नि:शक्तता के

उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाँन से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

8.15.1 कमीशन प्राप्त एन.सी.सी.अधिकारियों के स्थानांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है उन स्थानों पर एन.सी. सी. की संबंधित इकाई संचालित हो।

8.16 किन्हीं भी कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किन्तु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.16.1 कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकीय संचालनालय के अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों को उनके गृह तहसील/विकास खण्ड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा।

8.17 जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है, उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण किया जावे।

8.18 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं विद्यालयों/महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों, वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाये। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए. किन्तु

मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला, 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें अतिशेष मान कर स्थानांतरित नहीं किया जाये। स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापना किसी भी स्थिति में न की जावे। पदस्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाये एवं तदनुसार ही पदस्थापना की जाये।

**8.19** राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा-अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से दो पदावधि के लिये अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यत: छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहां वे कार्यरत हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति

में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।

8.20 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पतालों/डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टर्स/नर्स/स्टाफ का युक्तियुक्तकरण किया जाये।

8.21 किसी भी स्थापना में <u>स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।</u>

8.22 क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाएं, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुन: ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए।

8.23 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 14195/2007(एस) में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.11.2008 में शासन द्वारा कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है, जैसे- बिना रिक्त पद के स्थानांतरण किया जाना। पद रिक्त न होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, अत: विभाग आदेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण जहां किया जा रहा है वहां पद रिक्त है या नहीं। आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा पद रिक्तता का पालन सुनिश्चित

कराने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किये जाने पर ऐसे प्रकरणों पर आवेदक के अभ्यावेदन के सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए कारण सहित बोलता हुआ आदेश (Speaking order) किया जाय जिसकी प्रति अभ्यावेदक को भी दी जावे।

8.24 जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों, वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए।

8.25 राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांतरण किये जायें एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण, योजना क्रियान्वयन विभाग की अनापत्ति के बिना न किए जाएं।

8.26 संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंगानुपात वाले 09 जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जावे।

8.27 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों, उनकी तैनाती कार्यपालिक (executive) पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित हो, की पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक (executive) पदों पर नहीं की जाए।

8.28 समस्त स्थानान्तरण आदेश ऑन लाइन ही जारी किये जायेंगे।

9. **<u>प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण-</u>**

9.1 प्रतिबंध अवधि के दौरान मुख्य रूप से न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, रिक्त स्थान की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना इस कंडिका के तहत प्रतिबंधित होगा।

9.2 कंडिका 9.1 से अन्यथा स्थिति में प्रतिबंधित अवधि में समस्त स्थानांतरण समन्वय में आदेश प्राप्त कर किए जाएंगे ।

9.3 प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अंदर तथा जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किये जा सकेंगे।

9.4 प्रतिबंध अवधि के दौरान पुलिस विभाग के जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि सेअत्यंत आवश्यक होने पर, स्थानांतरण आदेश प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये जाएंगे। यह स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकेंगे।

9.5 आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का

दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा।

10/- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। जहॉ तक एक ही मुख्यालय पर स्थित अलग-अलग कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

10.1 एक ही मुख्यालय में स्थित एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किया गया स्थानांतरण स्थानीय व्यवस्था है, इसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा।

11/- **कार्यमुक्ति हेतु समयावधि -**
स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।

12. **कार्यमुक्ति की अवधि में वृद्धि -**
यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यो को निपटाने के

लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनाधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।

**12.1 एकतरफा कार्यमुक्ति -**

यथा स्थिति; दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी /कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।

**12.2 वेतन आहरण -**

i स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी स्थानान्तरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला एम्पलाई कोड डालना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि के उपरांत कर्मचारी/अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानान्तरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यत: बंद हो जायेगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण

पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।

ii कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

**12.3 अवकाश स्वीकृति -**

कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

**12.4 अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही -**

स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

13/- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

14/- स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2005/1/9, दिनांक 10.5.2005, 29.7.2005, 9.8.2005, 29.10.2005 एवं 14.03.2016 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जायेंगे। जहाँ तक कलेक्टर/विभागीय अधिकारी, वन संरक्षक एवं पुलिस अधीक्षक

द्वारा जारी किए गये स्थानांतरण आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन का प्रश्न है, इनका निराकरण विभागाध्यक्ष के द्वारा संबंधित विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

15/- कर्मचारियों/अधिकारियों को दोहरा प्रभार नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था किये जाने पर औचित्य दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

16/- सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।

17/- सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18/- विभागीय प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष जारी किये गये स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल psgad@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिये स्वतः उत्तरदायी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

19.5.101

(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

## स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 (बिन्दु क्र. 8.26)

## वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 900 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की तालिका

| क्रमांक | जिले का नाम | लिंगानुपात |
|---|---|---|
| 1. | मुरैना | 839 |
| 2 | भिण्ड | 838 |
| 3. | ग्वालियर | 862 |
| 4. | शिवपुरी | 877 |
| 5. | दतिया | 875 |
| 6. | छतरपुर | 884 |
| 7. | सागर | 896 |
| 8. | विदिशा | 897 |
| 9. | रायसेन | 899 |

पृ. क्रमांक एफ 6-1/2017/एक/9 भोपाल, दिनांक 19 मई 2017

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5 सचिव, लोकायुक्त,म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
16. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19/05/17

(डॉ0 अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 6-1/2017/एक/9 भोपाल, दिनांक16 /01/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिका 8.11 के संबंध में।

--0--

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिल से कार्यक्रम, आकाशवाणी, भोपाल में दिनांक 08/10/2017 को की गई घोषणा क्रमांक बी-4116 निम्नानुसार है:-

"शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर पदस्थ किया जायेगा।"

2/, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिका 8.11 में यह प्रावधान है कि:-

8.11 "पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। "

3/ अतः स्पष्ट है कि स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप प्रावधान है।

4/ निर्देशानुसार निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी की उपरोक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नीति की कंडिका 8.11 का पालन सुनिश्चित किया जाए।

16.01.18

(डॉ0 अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 मई 2012—वैशाख 26, शक 1934

### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2012

क्र. एफ.-3-83-2001-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा भर्ती नियम, 2011 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें .—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ज) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना :–

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 मे अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची–एक में यथा उल्लेखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों;

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि –

सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी ;

परन्तु सरकार, समय–समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, या साक्षात्कार द्वारा या दोनों द्वारा,

(ख) अनुसूची–चार में यथा उल्लेखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति व्दारा

(ग) अन्य सेवा में से व्यक्तियों के स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति/ संविलियन द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को या तो मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण करते हों।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख), या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची–"एक" में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी भी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद

या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति अधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी लोक सेवा आयोग के पद या सेवा की अधिकारिता के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. सेवा में नियुक्ति – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, आयोग द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें – सीधी भर्ती/परीक्षा/ चयन में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(1) आयु – (क) अभ्यर्थी ने परीक्षा/ चयन प्रारंभ होने की तारीख की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, और उक्त अनुसूची की कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का है तो, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा जो, मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45

वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "छटनी किए गए सरकारी सेवक' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा राज्य की किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में कम से कम छह मास तक की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(पांच) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में किसी एक प्रवर्ग का रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व तक मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छँटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो दूसरी बार नियोजित किये गये थे, और जो निम्न कारणों से सेवोन्मुक्त कर दिये गये हों :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर या

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर।

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक।

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ङ) विधवा, निस्सहाय एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) उन अभ्यर्थियों की, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारिका हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के सवर्ण श्रेणी सहयोगी की सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक पुरस्कृत शिथिलनीय होगी;

(ज) विक्रम पुरस्कार धारक, अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ञ) नगर सेना (होमगार्डस) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों की, उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु सामान्य वर्ग 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ट) विकलांग (निःशक्तजन) अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों/निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

टिप्पणी :– (1) ऐसी अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त उपनियम 8 (एक) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाये गये हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन/साक्षात्कार के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छँटनी की जाए तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में बैठने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :– अभ्यर्थी के पास अनुसूची "तीन" में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, परन्तु–

(क) आयोग आपवादिक मामलों में, सरकार की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता/रखती हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराता हो;

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा।

(3) फीस :– अभ्यर्थी को आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता :– (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा।

(2) ऐसा अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।

(3) कोई अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित सन्तान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा /होगी।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा/होगी।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा :–** परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/ चयन द्वारा सीधी भर्ती :–**

(1) (एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी, जैसा कि आयोग समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा, सरकार के परामर्श से समय–समय पर संचालित की जायेगी।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उसका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाय, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से निःशक्त/ विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अपेक्षित कालावधि का न्यूनतम अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है

और आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां आयोग सरकार से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

(9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सके तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जायेंगी और रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची :–

(1) आयोग उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची, आयोग द्वारा जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. परिवीक्षा :–

(1) सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) सरकार, यदि आवश्यक समझे तो परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी।

(3) सरकार, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या बढ़ाई गई परीवीक्षा की कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पुरूष/महिला की सेवाओं को समाप्त कर सकेगी यदि उसकी राय में ऐसे पुरूष/महिला के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :– (1) पदोन्नति (/समयमान वेतन) के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन करने हेतु अनुसूची–चार में यथा उल्लेखित सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी ;

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले (/समय मान वेतन दिये जाने वाले) पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्दिष्ट किये गये अन्य सदस्यों में से कोई

सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति /छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु , अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन : नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का प्रमाण पत्र पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(4) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दे, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :–** (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है कम से कम तीन/पांच वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो।

(2) पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :–** (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हो। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तिथि से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली

प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उक्त सूची में पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की 25% संख्या तक एक आरक्षित सूची प्रस्तावित की जायेगी जिसमें कम से कम दो नाम होंगे।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार ज्येष्ठता–सह उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) प्रत्येक सूची तैयार करते समय चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :– कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. चयन सूची :–

(1) सरकार द्वारा अन्तिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लेखित किए गए पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी;

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, आयोग की प्रेरणा

पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति – (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो जो आयोग की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

19. समयमान वेतनमान के लिए पात्रता की शर्तें :–

समयमान वेतनमान की पात्रता मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान Time Scale Pay हेतु मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ–11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24–1–08 एवं उस पर जारी मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 1 अप्रैल 2008, दिनांक 4 अगस्त 2008 एवं दिनांक 24 सितंबर 2008 के अनुसार होगी।

20. निर्वचन :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

21 शिथिलीकरण :– इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है; परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति :– इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए अनुदेशों/ आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. निरसन :– इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा नियम, 1987 एतद् द्वारा अधिक्रमित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.**

## अनुसूची–"एक"

## (नियम–5 देखिये)

## मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

## वन विभाग

| अनु क्रमांक | सेवा में सम्मिलित पद का नाम | पदों की संख्या | | | वर्गीकरण | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थाई | अस्थाई | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विधिक सलाहकार | – | 1 | 1 | प्रथम श्रेणी | 37400–67000 + 8700 ग्रेड–पे |
| 2. | अनुसंधान अधिकारी, प्रोजेक्ट टाईगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला | – | 1 | 1 | प्रथम श्रेणी | 15600–39100 + 6600 ग्रेड–पे |
| 3. | प्रचार अधिकारी | 1 | – | 1 | प्रथम श्रेणी | 15600–39100 + 6600 ग्रेड–पे |
| 4. | संचालक (बजट) | 1 | – | 1 | प्रथम श्रेणी | म.प्र. वित्त एवं लेखा सेवा के अनुसार |
| 5. | उप संचालक (बजट)/ वित्त अधिकारी | 6 | – | 6 | प्रथम श्रेणी | म.प्र. वित्त एवं लेखा सेवा के अनुसार |
| 6. | सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी | 1 | 9 | 10 | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 + 5400 ग्रेड–पे |
| 7. | लेखा अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी | 13 | 7 | 20 | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 + 5400 ग्रेड–पे |
| 8. | तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर | 1 | – | 1 | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 + 5400 ग्रेड–पे |
| 9. | सहायक संचालक, प्रचार | 1 | – | 1 | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 + 5400 ग्रेड–पे |
| 10. | सहायक शल्य चिकित्सक | 2 | – | 2 | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 + 5400 ग्रेड–पे |
| 11. | वरिष्ठ निज सहायक | 11 | 4 | 15 | द्वितीय श्रेणी | 9300–34800 + 4200 ग्रेड–पे |

# अनुसूची–"दो"

(नियम–6 देखिये)

## मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

### वन विभाग

| अ.क्र. | सेवा में सम्मिलित पद का नाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता | | | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा | पदोन्नति /समयमान द्वारा | अन्य विभाग से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विधिक सलाहकार | 1 | – | -- | 100 % | विधि विभाग से |
| 2. | अनुसंधान अधिकारी, प्रोजेक्ट टाईगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला | 1 | 100 % | -- | -- | – |
| 3. | प्रचार अधिकारी | 1 | -- | 100 % | -- | सहायक संचालक प्रचार से पदोन्नति द्वारा |
| 4. | संचालक (बजट) | 1 | -- | -- | 100 % | म.प्र. वित्त तथा लेखा सेवा से |
| 5. | उप संचालक (बजट)/ वित्त अधिकारी | 6 | -- | -- | 100 % | म.प्र. वित्त तथा लेखा सेवा से |
| 6. | लेखा अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी | 20 | 33 ⅓ % | 66 ⅔% | -- | 1. पदोन्नति हेतु अनुसूची 4 नियम (15) के अनुसार<br>2. सीधी भर्ती :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/ विज्ञान (जिसमें तकनीकी तथा इंजीनियरिंग उपाधि सम्मिलित है।)/वाणिज्य/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि। |
| 7. | तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर | 1 | -- | 100 % | -- | सहायक प्रोग्रामर से पदोन्नति द्वारा |
| 8. | सहायक संचालक, प्रचार | 1 | 100 % | -- | -- | – |
| 9. | सहायक शल्य चिकित्सक | 2 | -- | -- | 100 % | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सहायक शल्य चिकित्सक |
| 10. | सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी | 10 | -- | -- | 100 % | पशु चिकित्सा विभाग में सहायक पशु चिकित्सक |
| 11. | वरिष्ठ निज सहायक | 15 | -- | 100 % | -- | निज सहायक से पदोन्नति / समयमान वेतनमान नियम 6 (1) (ख) के अनुसार |

# अनुसूची–"तीन"

(नियम–8 देखिये)

## मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

## वन विभाग

| अ. क्र. | सेवा में सम्मिलित पद का नाम | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | विहित शैक्षणिक अर्हता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अनुसंधान अधिकारी, प्रोजेक्ट टाईगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला | 21 वर्ष | 28 वर्ष | (1) अनिवार्य –<br>वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र/वन्य जीव प्रबंध या वन्य जीव परिस्थितिकी/वानिकी में पी.एच.डी.<br>(2) अनुभव –<br>पी.एच.डी. के पश्चात् वन्य जीव प्रबंध या वन्य जीव परिस्थितिकी में अनुसंधान कार्य<br>(3) अधिमान –<br>वानिकी तथा वन्य जीव प्रबंध में बुनियादी प्रशिक्षण तथा कार्य अनुभव। |
| 2. | लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान (जिसमें तकनीकी तथा इंजीनियरिंग उपाधि सम्मिलित है।)/वाणिज्य/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि। |
| 3. | सहायक संचालक, प्रचार | 21 वर्ष | 28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. तथा प्रेस रिपोर्टर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव |

## अनुसूची–"चार"

(नियम–15 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

वन विभाग

| अ. क्र. | उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी | उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जायेगी/समयमान वेतन दिया जायगा | पदोन्नति/ समयमान | पदोन्नति/ समयमान वेतन हेतु सेवा का अनुभव | पदोन्नति/ समयमान वेतन हेतु समिति सदस्यों का पदनाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | कार्यालय अधीक्षक | लेखा अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी | पदोन्नति | 3 वर्ष | 1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष<br>2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग – सदस्य<br>3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक – सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का नामनिर्देशिती – सदस्य |
| 2. | सहायक प्रोग्रामर | तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर | तदैव | 5 वर्ष | तदैव |
| 3. | सहायक संचालक, प्रचार | प्रचार अधिकारी | तदैव | 5 वर्ष | तदैव |
| 4. | निज सहायक | वरिष्ठ निज सहायक | पदोन्नति / समयमान | 3 वर्ष / समयमान वेतन हेतु नियुक्ति दिनांक से 20 वर्ष पूर्ण होने पर | तदैव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. त्रिपाठी**, उपसचिव.

Bhopal, the 16th May 2012

No. F-3-83-2001-10-1 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article–309 of the Constitution of India, The Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following rules relating to the recruitment and conditions of services of the members of the Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service, namely:-

RULES

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 2011.

   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions : - In these rules, unless the context otherwise requires :

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service or post means Government of Madhya Pradesh.

   (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission.

   (c) "Examination" means the competitive examination conducted for the recruitment to the service under rule-11.

   (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh.

   (e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh.

   (f) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

   (g) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India.

   (h) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or groups within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India.

   (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification number F.8-5-XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time.

   (j) "Service" means Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service.

   (k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application :-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961,

these rules shall apply to every member of the service, as mentioned in Schedule-I.

**4. Constitution of the Service :-**

The service shall consist of the following persons, namely :

1) Persons, who at the commencement of these rules are holding in officiating capacity or substantively the posts specified in the Schedule-I;

2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules.

3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

**5. Classification, Scale of Pay etc. :-**

The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I;

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis.

**6. Method of Recruitment :-**

1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:

(a) By direct recruitment, through competitive examination or by interview or by both ;

(b) By promotion/ Time scale of member of the service, as mentioned in Schedule IV;

(c) By transfer/ deputation/ absorption of persons holding such posts either substantive or officiating in other services which are specified for this service.

2) The number of persons recruited under clause (a), clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Commission.

4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department with respect to the jurisdiction of post or service of Public Service Commission, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service :-**

All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Commission and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in the rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitments :**

In order to be eligible to compete for the examination /selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :

(1) Age :-

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next, following the date of commencement of the examination/ selection.

(b) If the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the upper age limit shall be relaxable by maximum 5 years.

(c) The upper age limit shall also be relaxable, in respect of candidate, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government, to the extent and subject to the conditions specified below :-

i. a candidate who is a permanent Government Servant the age should not be more than 40 years; in case of General class and 45 years in case of SC, ST & OBC classe candidates.

ii. A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 40 years of age in he/she belongs to Genereal classe and not more than 45 years in he/she belongs to SC, ST, & OBC class. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in Project Implementation Committee.

iii. A candidate who is retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation** : The word "Retrenched Government Servant" denote a person, who was in temporary service of the State or any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

iv A candidate, who is an Ex-Serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him.

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation :** The term "Ex-serviceman" denotes a person, who belongs to any of the following categories and who was employee under the Government of India, for a continuous period not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service :-

(1) Ex-servicemen who were retrenched under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen who were employed for the second time and who were discharged on -

(a) after completion of short term contract ; or

(b) fulfilling the condition of enrollment ;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit ;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers ;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service ;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall be relaxable by ten years in case of women candidate in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provisions for appointment of Women) Rules, 1997.

(e) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates ;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of two years for those candidates who are holding green cards under the Family Welfare Programme ;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded general category partner of a couple under the Inter Caste

Marriage Incentive programme of Tribal, Scheduled Castes and Backward Class Welfare Department ;

(h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates ;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 40 years of age in respect of General class candidates and 45 years in cas of SC, ST & OBC class. who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/ Boards ;

(j) The upper age limit shall be relaxable for Home Guards and non-commissioned officers for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 40 years in case of General class and 45 years in cas of SC, ST & OBC class.

(k) The upper age limit shall be relaxable to the disabled candidates, as per the orders/ direction issued by the State Government from time to time.

NOTE: (1) Candidates, who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in rule 8 (1) (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from the service either before or after examination/ selection. They will however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case will these age limits be relaxed.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(2) **Educational Qualifications :** A candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III, provided that -

(a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat a candidate as qualified, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by another Institutions/Universities by a Standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have obtained degrees from foreign universities not specifically recognized by the Government may also be admitted to the examination/ selection at the discretion of the Commission.

(3) **Fees :** The Candidates must pay the fees prescribed by the Commission/ Appointing Authority.

9. <u>Disqualification :-</u>

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his/ her candidature by any means may be treated as disqualification by the Commission/ Appointing Authority for appearing in the examination/ selection / interview.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to service or post, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001.

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

10. **Commission's decision about the eligibility of the candidates should be Final** :- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/selection/interview shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall not be allowed to appear in the examination/ selection/ interview.

11. (1) **Direct recruitment by competitive examination :-**

(i) The competitive examination for recruitment to the Service shall be held at such intervals as Commission, may from time to time, determine.

(ii) The competitive examination shall be held by the Commission in consultation with the Government from time to time.

(2) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(3) There shall be reserved posts for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of women) Rules, 1997.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are member of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule-12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be;

(6) There shall be reserved posts for physically handicapped/ disabled candidates in accordance with the directions of the General Administration Department.

(7) There shall be reserved posts for ex-serviceman in accordance with the directions of General Administration Department.

(8) In such cases where requisite minimum experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Commission that sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the Commission may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward classes after consultation with the Government.

(9) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies as it is shall be kept reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

12. List of candidates recommended by the Commission :-

(1) The Commission shall prepare and forward a list to the Government, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as determined by the Commission, and the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard and are declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for the general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the select list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Commission.

13. Probation :-

(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on the probation for a period of two years.

(2) The Government, if it feels necessary, may extend the probation for a period by not more that one year.

(3) The Government can terminate his/ her services during the probation period, or extended probation period or at the end of it, if it is of the opinion that there is no possibility that he/ she can become suitable officer of the service.

14. Appointment by Promotion/ Time Scale :-

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members as mentioned in Schedule IV for making preliminary selection for promotion for eligible candidates :

Provided that if the nominated members other than the members presiding the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee in respect of the post to be filled up by promotion/ time scale do not represent the category of Scheduled Castes, or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes, or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/ screening committee and the number of members of promotion/ screening committee shall be extended to that limit.

(2) For promotion of the members of service specified in column (2) of Schedule IV to the post as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with provisions as specified in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) Certification by the Appointing Authority : Appointing Authority shall endorse on the promotion orders to be issued by him a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued in the light of the provisions of the said Act and rules made by the State Government and that he has full cognizance of provisions of sub-section (1) of section 6 of the said Act.

(4) The committee shall meet at such intervals as the Appointing Authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. Conditions of eligibility for Promotions :-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed not less than Three/Five years of service whether substantively or in officiating capacity on the post from which promotion is to be made as specified in Schedule IV, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of Sub-rule (2)

(2) The zone of consideration for promotion shall be in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

16. Preparation of List of suitable candidates :-

(1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committe as per Madhya Pradesh Public Service Commission Rules 2002. to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/ promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 percent of the number of persons included in the said select list having at least 2 names shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be based on seniority subject to fitness as per provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list;

Explanation : The person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those persons considered in subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

**17. Select List :-**

(1) The list as finally approved by the Government shall be the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the post specified in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with Sub-rule (4) of Rule-16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Commission and the committee may, if it deems fit, remove the name of such person from the select list.

**18. Appointment to the Service from Select List :-**

(1) Appointment of the persons included in the Select List, to the posts borne on the cadre of the Service shall follow the order, in which the name of such persons appears in the Select List.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person whose name is included in the select list, in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Commission is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

**19. Conditions for eligibility to Time Scale Promotion :-**

The eligibility criteria for time scale promotion shall be as per the directions issued by the M.P. Finance Department Memo No. F-11/1/2008/Rules/Four dated 24th Jan 2008 and directives issued as per memo dated 1 April 2008, 4 August 2008 and 24 Sept 2008.

**20. Interpretation :-**

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

**21. Relaxation :-**

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply, in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favorable to a person than that is provided in these rules.

**22. Savings :-**

Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward

Classes in accordance with the rules made or instructions/ orders issued by the State Government from time to time in this regard.

**23. Repeal :-**

The Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 1987 is hereby repealed in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

SCHEDULE – "I"

**(See Rule – 5)**

MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE

FOREST DEPARTMENT

| S. N. | Name of Post included in the service | Number of Posts | | | Classification | Scale of Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Permanent | Temporary | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Legal Advisor | - | 1 | 1 | Class-I | 14300-18300 |
| 2 | Research Officer, Project Tiger, Kanha National Park, Mandla | - | 1 | 1 | Class-I | 10000-325-15200 |
| 3 | Publicity Officer | 1 | - | 1 | Class-I | 10000-325-15200 |
| 4 | Director (Budget) | 1 | - | 1 | Class-I | According to M.P. Finance and Account Service |
| 5 | Dy. Director (Budget) Finance Officer | 6 | - | 6 | Class-I | According to M.P. Finance and Account Service |
| 6 | Assistant Veterinary Surgeon | 1 | 9 | 10 | Class-II | 15600-39100 + 5400 G.Pay |
| 7 | Accounts Officer/ Administrative Officer | 13 | 7 | 20 | Class-II | 15600-39100 + 5400 G.Pay |
| 8 | Technical Officer / Programmer | 1 | - | 1 | Class-II | 15600-39100 + 5400 G.Pay |
| 9 | Assistant Director Publicity | 1 | - | 1 | Class-II | 15600-39100 + 5400 G.Pay |
| 10 | Assistant Surgeon | 2 | - | 2 | Class-II | 15600-39100 + 5400 G.Pay |
| 11 | Senior Personal Assistant | 11 | 4 | 15 | Class-II | 9300-34800 + 4200 G.Pay |

## SCHEDULE – "II"

**(See Rule – 6)**

## MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE FOREST DEPARTMENT

| S. N. | Name of Post included in the service | Total No. of Post | Percentage of the number of duty posts to be filled in | | | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Direct recruitment | By promotion | By transfer of persons from other department | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Legal Advisor | 1 | - | - | 100% | By Law Department |
| 2 | Research Officer Project Tiger Kanha National Park Mandla | 1 | 100% | - | - | - |
| 3 | Publicity Officer | 1 | - | 100% | - | By Promotion from Assistant Director Publicity |
| 4 | Director (Budget) | 1 | - | - | 100% | By M.P.Finance & A/C Service |
| 5 | Dy. Director (Budget) / Finance Officer | 6 | - | - | 100% | By M.P.Finance & A/C Service |
| 6 | Accounts Officer / Administrative Officer | 20 | 33 1/3 % | 66 2/3 % | - | 1. For Promotion as per Schedule -IV Rules (15) 2. For Direct Recruitment :- Graduate Degree in Arts/ Science (including technical and engineering degree)/ Commerce / Agriculture / Forestry from any Recognized University. |
| 7 | Technical Officer/ Programmer | 1 | - | 100% | | - |
| 8 | Assistant Director Publicity | 1 | 100% | - | | - |
| 9 | Assistant Surgeon | 2 | - | - | 100% | Assistant Surgeon in Public health & family welfare Department. |
| 10 | Assistant Veterinary Officer | 10 | - | - | 100% | Assistant Veterinary Surgeon in Veterinary Department. |
| 11 | Senior Personal Assistant | 15 | - | 100 % | - | Promotion from the post of Personal Assistant/ Time Scale as per rules 6 (1)(b). |

## SCHEDULE – "III"

**(See Rule – 8)**

## MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE FOREST DEPARTMENT

| S.N. | Name of Post included in the service | Minimum Age | Maximum Age | Prescribed Educational Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Research Officer, Project Tiger, Kanha National Park, Mandla | 21 years | 28 years | (1) Essential - Ph.D. in Botany/ Zoology /Wild Life Management/ Wild Life Ecology / Forestry. (2) Experience - After Ph.D experience in Wild Life Management or Wild Life Ecology research. (3) Preference - Basic Training in Forestry and Wild Life Management & Work experience |
| 2 | Accounts Officer / Administrative Officer | 21 years | 28 Years | Graduate Degree in Arts/ Science (including technical and engineering degree)/ Commerce/ Agriculture / Forestry. from any Recognized University |
| 3 | Assistant Director Publicity | 21 years | 28 Years | B.Sc. from any recognized university and 3 years experience as press reporter |

SCHEDULE – "IV"
(See Rule – 15)

MADHYA PRADESH STATE FOREST (GAZETTED) ALLIED SERVICE
FOREST DEPARTMENT

| S. N. | Name of Post from which promotion is to be made | Name of Post to which Promotion/ Time Scale is to be made | Promotion / Time Scale | Service experience for promotion/Time Scale | Note (Composition of Committee) for Promotion/Time Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Office Superintendent | Accounts Officer / Administrative Officer | Promotion | 3 years | (i) Chairman of Public service commission or his nominee.<br>(ii) Adll. Chief Secretary/Principal Secretary of MP Govt. Forest Dept. Member<br>(iii) Principal Chief Conservator of Forest Member<br>(iv) Nominee of SC/ ST Category Member |
| 2. | Assistant Programmer | Technical Officer/ Programmer | --"-- | 5 years | --"-- |
| 3. | Assistant Director Publicity | Publicity Officer | --"-- | 5 years | --"-- |
| 4. | Personal Assistant | Sr. Personal Assistant | Promotion/ Time Scale | 3 years/ For time scale pay 20 years from the date of Appointment. | --"-- |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक जनवरी, 2016

कमांक एफ 3–55/2001/10–1: मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03 अप्रेल 2008 के द्वारा वन विभाग संरचना निम्मानुसार अनुमोदित की गई थी :–

| अ.क. | पद | अनुमोदित पद संख्या |
|---|---|---|
| 1 | वनरक्षक | 13997 |
| 2 | वनपाल | 4184 |
| 3 | उप वनक्षेत्रपाल | 1257 |
| 4 | वनक्षेत्रपाल | 1192 |
| 5 | सहायक वन संरक्षक | 358 |
| 6 | लिपिकीय | 2829 |
| 7 | चतुर्थ श्रेणी | 1165 |
| 8 | विविध अन्य में | 731 |
| 9 | विविध राजपत्रित | 24 |
| कुल | | 25737 |

2/ तद्नुसार मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04,जनवरी,2010 के द्वारा लिपिक वर्गीय पदो का विस्तृत विवरण (Break up) निर्धारित किया गया है :–

| अ.क. | पदनाम | स्वीकृत पद |
|---|---|---|
| 1 | सहायक ग्रेड–।।। | 1486 |
| 2 | सहायक ग्रेड–।।/लेखापाल | 622 |
| 3 | सहायक ग्रेड–। | 191 |
| 4 | लेखा अधीक्षक | 75 |
| 5 | अधीक्षक | 35 |
| 6 | प्रशासकीय/लेखा अधिकारी | 20 |
| 7 | शीघ्रलेखक | 197 |
| 8 | मानचित्रकार | 203 |
| | योग | 2829 |

....2

शा. त. जे
21/1/16

107
22-1-2016

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त पदो में अनुक्रमांक–7 में अंकित शीघ्रलेखक के स्वीकृत 197 पदों का विभाजन (Break up) निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

| अनु.क. | सेवा में सम्मिलित विभिन्न स्तर के पदो का नाम | पदो की कुल संख्या | पदो की संख्या का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भारती | पदोन्नति |
| 1 | स्टेनों टायपिस्ट | 57 | 100% | – |
| 2 | शीघ्रलेखक | 80 | 50% | 50% |
| 3 | निज सहायक | 45 | –– | 100% |
| 4 | वरिष्ठ निज सहायक | 15 | –– | 100% |
| | योग | 197 | –– | |

4/ स्टेनो टायपिस्ट के सीधी भर्ती के पदो की पूर्ति व्यवसायिक परीक्षा परीक्षा मंडल के माध्यम से की जावेगी ।

5/ उपरोक्त विभाजन पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के उनके जावक कमांक 4/सीआर-1645/बी–5/2016, दिनांक 01.01.2016 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0आई0 अजीज)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–55/2001/10–1 भोपाल,दिनांक 15 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :–

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2 अपर मुख्य सचिव,म.प्र. शासन, वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3 प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
4 सचिव,म.प्र. लोक सेवा आयोग,इंदौर ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं भू–अभिलेख) म.प्र., भोपाल।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ।।) म.प्र., भोपाल।
9. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
10. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11 गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

अनुसूची–"दो"

(नियम–6 देखिये)

मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा

वन विभाग

| अ.क्र. | सेवा में सम्मिलित पद का नाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता | | | अन्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा | पदोन्नति /समयमान द्वारा | अन्य विभाग से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विधिक सलाहकार | 1 | – | – | 100 % | विधि विभाग से |
| 2. | अनुसंधान अधिकारी, प्रोजेक्ट टाईगर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला | 1 | 100 % | – | – | – |
| 3. | प्रचार अधिकारी | 1 | – | 100 % | – | सहायक संचालक प्रचार से पदोन्नति द्वारा |
| 4. | संचालक (बजट) | 1 | – | – | 100 % | म.प्र. वित्त तथा लेखा सेवा से |
| 5. | उप संचालक (बजट)/ वित्त अधिकारी | 6 | – | – | 100 % | म.प्र. वित्त तथा लेखा सेवा से |
| 6. | लेखा अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी. | 20 | 33 ⅓ % | 66 ⅔% | – | 1. पदोन्नति हेतु अनुसूची 4 नियम (15) के अनुसार<br>2. सीधी भर्ती :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/ विज्ञान (जिसमें तकनीकी तथा इंजीनियरिंग उपाधि सम्मिलित है।)/वाणिज्य/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि। |
| 7. | तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर | 1 | – | 100 % | – | सहायक प्रोग्रामर से पदोन्नति द्वारा |
| 8. | सहायक संचालक, प्रचार | 1 | 100 % | – | – | – |
| 9. | सहायक शल्य चिकित्सक | 2 | – | – | 100 % | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सहायक शल्य चिकित्सक |
| 10. | सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी | 10 | – | – | 100 % | पशु चिकित्सा विभाग में सहायक पशु चिकित्सक |
| 11. | वरिष्ठ निज सहायक | 15 | – | 100 % | – | निज सहायक से पदोन्नति / समयमान वेतनमान नियम 6 (1) (ख) के अनुसार |

# राज्य वन सेवा

# भर्ती नियम 1977

6-3/83/Estt
14.9.83

(166) (X)

297

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक/ 6613 /एफ/21/12/84/10/1 भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 84

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय :- वर्ग 2 के अधिकारियों का वर्ष वार्षिक अभिलेख अपूर्ण करने के अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजन ।

सन्दर्भ :- इस विभाग का पत्र क्र0 7422/10/1/84 दि0 3.7.84

====

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र0 10/1/83/का प्र.सु.वि./एफ/83 दिनांक 20-2-83 एवं एफ सी/6-2-1 दिनांक 6-8-83 द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण) अपील नियम 1966 के नियम 10 में विनिर्दिष्ट लघुशास्तियों को अधिरोपित करने संबंधी अधिकार आपको प्रत्यायोजित किये गये है । मैं आपका ध्यान इसके साथ की म0प्र0 सिविल सेवा वर्गीकरण अपील नियम 1966 के नियम 9(1) तथा 13/2 की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ । नियम 9 में यह प्रावधान है कि किसी कर्मचारी पर वर्ष वार्षिक रोपित करने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी उसे निलम्बित करने हेतु भी सक्षम होगा । इसके नियम 13(2) में यह प्रावधान है कि किसी शासकीय कर्मचारी पर लघुशास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी अभियोग कार्यवाही के विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने की दृष्टि से विभागीय जांच करने के लिए भी सक्षम होगे । अब ही वे ऐसी दीर्घ शास्ति सजा पर अधिरोपित करने के लिए सक्षम न हो ।

2/ इस प्रकार अब स्थिति यह है कि विभागाध्यक्ष, वर्ग 2 के अधिकारियों पर लघुशास्ति अधिरोपित करने के साथ ही उनके विभागीय जांच करने के लिए सक्षम हो गये है,

//2//

(167) 498

//2//

विभागीय जाँच प्रकरण शासन को आदेशों के लिए का केवल उक्त नियमावली के नियम 14(2)(क)-(क) सहित भेजे जायेंगे । जब जाँच अधिकारी की रिपोर्ट का अध्ययन तथा उसके आधार पर विभागाध्यक्ष के मत में अपचारी अधिकारी पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित करना उपर्युक्त हो ।

3/ यदि सक्षम सहायक वन संरक्षकों (वर्ग 2) के अधिकारियों के विरुद्ध लघु/दीर्घ दोनों प्रकार की शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आप द्वारा शासन को भेजे जाते थे । उपर पैरा 1 एवं 2 में बताई गई स्थिति के प्रकाश में यह उपर्युक्त दोनों ही दशाओं में आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रस्ताव शासन को भेजना आवश्यक नहीं होगा । अतः आप से अनुरोध है कि भविष्य में सहायक वन संरक्षकों आदि (वर्ग 2 के अधिकारियों) के संबंध में वन संरक्षकों से प्राप्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव पर आप स्वयं ही निर्णय ले कि प्रकरण लघु शास्ति के स्वरूप का है अथवा दीर्घ शास्ति । प्रथम दशा में अपचारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने की स्टेज से लेकर अंतिम आदेश पारित करने तक की सारी कार्यवाही आपको ही करना है । द्वितीय दशा में आपको अपचारी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच स्थापित कर जाँच अधिकारी की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करना है । ऐसी रिपोर्ट आने पर यदि आपके मत में यदि लघुशास्ति अधिरोपित करना पर्याप्त हो तो अंतिम आदेश आपके ही द्वारा पारित किये जावेंगे, तथा केवल ऐसे ही प्रकरण में शासन को भेजेंगे, जिनमें आपके मत में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक होगा ।

4/ आपको केवल उन सहायक वन संरक्षकों (वर्ग 2 के अधिकारियों के विरुद्ध लघु/दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव शासन को भेजना आवश्यक होगा जिनमें उनके साथ कतिपय सांसारिक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अंकुक विभागीय जाँच की जाना आवश्यक हो

//3//

तथा ऐसे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से जिन कुछ के संबंध में आप सक्षम प्राधिकारी न हो ।

2/ आपकी सूचना के लिये मैं यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूँ कि लोक सेवा आयोग (Limitation of functions) विनियम 1957 के विनियम 6(1) के अनुसार कोई शास्ति संबंधी आदेश शासन के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना हो तो उस संबंध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा । तदनुसार आपके लिए सहायक वन संरक्षकों (वर्ग 2) पर लघु शास्ति के आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

3/ चूंकि सहायक वन संरक्षकों के दक्षतारोध, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति विशेष वेतनवृद्धि तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तथा पदस्थापना आदेश से संबंधित सभी मामले मुख्यतः शासन स्तर पर ही निराकृत होते होंगे । अतः यह आवश्यक होगा कि जब सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध कोई लघु या दीर्घ शास्ति की कार्यवाही प्रारंभ की जाय, तदसंबंधी विस्तृत सूचना शासन को तुरंत भेजी जाय । जिससे शासन के पास प्रत्येक सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय जांच आदि का विवरण उपलब्ध रहे । अतः कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि:-

4/ जब कभी किसी सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध लघु/दीर्घ शास्ति आरोपित करने की दृष्टि से अनुशासनात्मक कार्यवाही स्थापित की जाय तो उसे जारी आरोप पत्र आदि अथवा लघु शास्ति देने संबंधी कारण बताओ नोटिस प्रकरण को एक स्वयं पूर्ण इकाई के रूप में पंजीकृत-डाक द्वारा भेजी जाय ।

5/ उपर्युक्तानुसार संस्थापित होने वाले प्रकरणों को प्रगति से भी एवं तीसरे माह । सूचित किया जावे ।

6/ प्रकरणों में पारित होने वाले अंतिम आदेश की प्रति भी पंजीकृत डाक से तत्काल शासन को भेजी जाय करें ।

////4////

(169)

////4////

अधीनस्थ वन अधिकारियों के विरुद्ध जिन प्रकरणों में आपके द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण भेजे गये थे, परन्तु जिनमें अभी तक शासन की ओर से आरोप पत्र या लघु शास्ति के लिए भेजे गये हैं एवं अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। यथा स्थिति आगामी कार्यवाही हेतु ऐसे प्रत्येक प्रकरण अलग से लौटाये जा रहे जिन प्रकरणों में लघु शास्ति दीर्घ के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थापित कर दी है अर्थात आरोप पत्र या लघु शास्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी हो चुके हैं उन पर शासन स्तर पर ही निर्णय लिया जावेगा।

8/ वनों से जलाने की आवश्यकता पूर्ति है कि म0प्र0 का सकल राज्य की इन सेवाओं का महत्वपूर्ण अंग है अतः उनमें से राज्य के भारतीय वन सेवा संवर्ग में भी एक रिक्ति पदोन्नति की जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अधीनस्थ वन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही यथा समय प्रारंभ कर यथा समय पूर्ण की जाये तथा निर्धारित गुण-दोषों के आधार पर संतुलित निर्णय लिये जायें। इसमें पूरा विवेक से काम लेकर जो अधिकार शासन ने आपको दिए हैं उसका उपयोग पूरी तरह न्यायोचित तथा विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे।

9/ कृपया शासन को इस पत्र के साथ ही शा0प्र0वि0 के शो0 दिनांक 28-2-83, 6-8-83 इस विभाग पत्र क्र0 7422/10/1/84 दि0 3-7-84 के संबंध में भेजे गए "Limitation of Functions" 1957 आदि की एक गाईड फा0 अपने कार्या0 में प्राप्त करलें।

वी0जी0 निगम
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/ 8614/21/12/84/10/1 भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 84

प्रतिलिपि:- समस्त मुख्य वन संरक्षक/पृथक संभागीय वन अधिकारी वृत्त सामाजिक वानिकी भोपाल।
सामाजिक सामाजिक वानिकी भोपाल।
समस्त वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक/अधीनस्थ को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

= = = = =

10884

## MADHYA PRADESH STATE FOREST (RECRUITEMENT) RULES, 1977

[1]Notification No. 6036-X-I-78, dated the 14th June, 1978—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India The Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to recruitment of the Madhya Pradesh State Forest Service namely :

1. Short title and commencement—These rules may be called the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules. 1977.

These rules shall come into force with effect from such date as may be notified in the "Madhya Pradesh Rajpatra".

2. Definition,—In the rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Madhya Pradesh ;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public service Commission"

(c) "Examination" mean a competitive examination for recruitment to the Service held under rule 12 of these rules :

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh ;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh ;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules :

(g) "Schedule Castes and schedule Tribes" shall have the same meaning as has been assigned by clause (24) and (25) respectively of Art 366 of the Constitution of India and are notified as such by the State Government from time to time ;

(h) "Service" means the Madhya Pradesh State Forest Service ;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradeh Civil Service (General Condition of Service Rules. 1961, these rules shall apply to every memeber of the Service.

4. Constitution of service.—The Service shall consist of the following person namely,—

(1) Persons who at the commencement of the service are holding substantively the posts specified in Schedule I ;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification Scale of pay, etc.—The classification of service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I hereto annexed :

Provided that Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent of temporary basis.

6. Method of recruitment.—Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be by the following Methods, viz.

1. Published in M. P. Rajpatra Part IV (Ga) dated 13-7-79 Page 132-137

(a) by direct recruitment through/competitive examination : and

(b) by promotion from the posts of Range Officers or equated posts belonging to the Subordinate Forest Service Class III Executive.

(2) The number of person recruited under the above sub-rule (1) (b) shall not at any time exceed 50% of the total number of posts in the cadre as specified in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by Government in consultation with the Commission.

7. Appointment to the Service.—All appointment to the Service after the commencement of these rules shall be made by Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified in rule 6 above.

8. Direct recruitment by Competitve Examination.—(1) For direct recruitment to the service a competitive examination shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission determine, from time to time.

(2) Such competitive examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) 15 percent and 18 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Schedule Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are member of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes considered by the commission to be suitable for appointment to the service may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes as the case may be under sub-rule (3).

(6) If on any occasion, sufficient number of candidates belonging to be Scheduled Castes/Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the vacancies shall be filled up from among other candidates in accordance with the orders passed in this behalf by Government, from time to time and an equivalent number of vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes for the subsequent examination. However on no such subsequent occassion shall the of number of normal reserved vacancies together with the carried forward vacancies exceed 45% of the total number of vacancies. The allocation of the carried forwarded vacancies within this limit among the Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall be in proportion to the total carried forward reserved vacancies of the two classes.

9. Conditions of eligibility of direct recruits.—In order to be eligible to compete at the examination, a candidate must satisfy the following conditions, viz.

(1) Nationality.—He must be a citizen of India or must belong to one of the categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by Government

(2) Age.—(A) He must have attained the age of 19 years and not attained the age of the first day of 26 years on the first day of April next following the date of commencement of the examination.

(B) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(C) The upper age limit will also be relaxable in respect of any candidate who possesses the requisite educational qualificatioon and is or has been an employee of Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government Servant should be more than 38 years of age. The concession shall also be admissible to a person employed in the work charged establishment, contingency-paid post and a Project Implementing Committee.

(ii) A candidate who is a retrenched Government Servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

*Explanation.*—'Retrenched Govt. Servant denotes a person who was in temporary Government Service for a continous period of not less than six months and who was discharge because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made other for employment in Government service.

(iii) A candidate who was employed on or afrer 1st January 1963 as a whole-time Cadet Instructor in the National Cadet Corps and has been discharged from that service will be allowed to deduct from his age the period of his previous service provided that the resultant does not exceed the upper age limit by more than three years.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper limit by more than three years.

*Explanation.*—The term 'ex-serviceman' denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal deduction in establishment more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions,

(2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) pletion of short term engagement,

(b) fulfilling the conditions of enrolment,

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,

(4) Officers (Military & Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers,

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,

(6) Ex-Servicemen invalided out of Service,

(7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to be some efficient soldiers,

(8) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wound, etc.

N.B.—Candidates who are admitted to the examination under the age concessions mentioned in paragraph 9 (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if, after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting applications. In no other case will these age limit be relaxed. Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of candidate belonging to such other category of persons as may from time to time be notified in the behalf by the Government by general or special orders to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category.

Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination.

(3) Physical Fitness.—A candidate must satisfy the following minimum standards of physical fitness.

Height :—163 cms.

Chest 79 cms.

Expansion of chest—atleast 5 cms.

He must also be of sound health, good physique, active habits and free from any bodily or organic defect or infirmity. A candidate will be required to undergo a physical test consisting of a walk over 26 kms to be crossed in 4 hours.

(4) Educational Qualifications.—He must possess the education qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III;

Provided that :—

(a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of Government treat as qualified a candidate who through not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed an examination conducted by another institution by a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination and ;

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(5) Fees.—He must pay the fees prescribed by the Commission. Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes will have relaxation to the extent given in Government orders on the subject.

10. Disqualifications.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means by him held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.

11. Commission's decision about the eligibility of candidates final.—The ision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for mission to the examination shall be final and no candidate to whom a certi- ate of admission has not een issued by the Commission shall be admitted to e examination.

12. List of candidate recommended by the Commission :—

(1) By competitive examination.—The Commission shall forward to the ovt. a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by ich standard as the Commission may determine and of the candidates belonging the Scheduled Castes Scheduled Tribes who though not qualified by that andard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the ervice with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The st shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the M.P. Civil Service General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for ining against the available vacancies in the order in which their names ppear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the aforesaid list confers to ght to training/appointment unless the Govt. is satisfied, after such inquiry as ay be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for ppointment to the Service.

13. Training in Forestry.—(1) A candidate select by direct recruitment hall be deputed to undergo a two years a Diploma Course in Forestry at the Forest College Dehradun or any other equivalent College as may be decided by Government, in the regular course next following his selection.

(2) Before joining the college, the selected candidate shall execute an agreement and a security bond in the prescribed forms.

(3) Tuition fees for the entire course and travelling allowance for the journey of the candidate from the place of training to the place of posting as also journey expenses during the course of training will be borne by Government. During the course of such training, Government will also grant such stipend and an equipment allowance as may be required under the College rules.

(4) A candidate who does not complete the training successfully and pass the examinations prescribed by the concerned College at the end of two years shall not be appointed to the Service and the terms and conditions of the agreement and the security bond executed by him shall be enforced against him.

14. Appointment.—(1) On successful completion of training, the candidate will be appointed on the post of Extra Asstt. Conservator of Forest in the State Forest Service in the time scale of pay as given in Schedule I:

Provided that candidates will be bound by any alteration or modifications which Government may make in regard to pay-scale and other condition of service from time to time.

(2) Appointment will be made from the date following the date of Convocation. Salary shall be payable from the date of actual joining the Service in the State.

(3) The period of training of two years will qualify for calculating the person of the officer concerned.

15. Probation for Direct Recruits.—A candidate appointed to the Service by direct recruitment will ordinary be on probation for a period of two years. Probationers will be confirmed after two years subject to their fitness for confirmation and after having passed the prescribed departmental examination within this period.

16. Appointment by Promotion.— There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) This committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

17. Conditions of elibibility for promotion.—The Committee shall consider the cases of all these persons mentioned in rule 6 (1) (b) above who are eligible for promotion, i.e. those with 8 years of service and are confirmed; provided that the cases to be considered will be five times the number of vacancies which are immediately available as vacancies expected in the next 12 months.

18. Preparation of list of suitable officers.—(1) The Committee shall prepare the following lists :—

(a) List of eligible persons, i.e., those who satisfy the conditions prescribed in rule 17 above;

(b) List of those persons who are found by the Committee to be suitable for promotion to Service; and

(c) List of those persons who are not found by the Committee to be suitable for promotion to the Service.

(2) The list mentioned in sub-rule (1) (b) should ordinarily be sufficient to cover probable vacancies in the next 24 months.

(3) The selection for inclusion in the list mentioned in sub-rule (1) (b) above shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(4) The names of the officers included in the list mentioned in sub-rule (1) (b) above shall be arranged in order of seniority as Rangers or Officers of equivalent rank; provided that any junior officer, who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a place higher than that of officers senior to him.

(5) The lists so prepared shall be reviewed and revised, if necessary after one year.

(6) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any Forest Ranger or an officer of equivalent rank, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

Note.—In respect of Scheduled Caste and Scheduled Tribe officers under consideration for promotion, special procedure as laid down by Government from time to time will be followed.

19. Consultation with the Commission.—The lists prepared in accordance with rule 18 shall then be forwarded to the Commission by the Government along with :—

(i) the records of all persons included in the list;

(ii) the proceedings of the Committee; and

(iii) the observations of Government on the recommendations of the Committee.

20. Select List.—(1) The Commission shall consider the lists prepared by the Committee alongwith the others documents and observations received from Government and unless it considers any change necessary, approve the lists.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the lists Commission shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government, may approve the lists finally with such modification, if any, as may, in its opinion be just and proper.

(3) The list of officer found suitable for promotion as finally approved by the Commission shall be the Select List for promotions to the Madhya Pradesh State Forest Service.

(4) The Select List shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (5) of rule 18:

Provided that in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special revision of such case may be made at any time at the instance of Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

21. Appointment to the Service from the Select List.—(1) Appointment of officers included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the Select List.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment these occurs any deterioration in his work which in the opinion of Government is such to render him unsuitable for appointment to the Service.

22. Probation Period for Officers.—An officer so appointed by promotion on a cadre post otherwise than in an officiating capacity will be on probation for a period of two years and shall within the said period pass such departmental examinations as may be prescribed from time to time provided that he shall not be required to pass against any such examination or test which he might already have passed before his promotion and provided also that Government may, in any case, extend the probation period but not exceeding three years in all. An Officer appointed on probation will, if he fails to satisfy Government within the period specified or any further period for which extension may be granted that he is in every respect fit for promotion be reverted back to the lower posts from where he was promoted on probation.

23. Selection Grade.—Selection to the Selection Grade to the extent of [1][20%] of the sanctioned cadre of the State Forest Service will be made from the list of the Assistant Conservators of Forests holding substantive posts on the basis of their seniority.

24. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation to these rules, it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

1. In the word 10%" the word "20%" and for the word "Extra Assistant Conservator of Forest "the word "Assistant Conservator.

25. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him just and equitable:

Provided that the case shall be dealt within any manner less favourable to the person than the that provided in these rules.

26. Repeal and Savings.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

## SCHEDULE I
(See Rule 4 & 5)

| Name of posts included in the Service | No. of posts as on 30-9-83 | | Classification | Scale of pay |
|---|---|---|---|---|
| | Permanent | Temporary | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Assistant Conservator of Forest | 242 | 198 | State Forest Service | Regular grade Rs. 1000—30-1210-40-1450 EB-50-1800-60-1920. Selection Grade :— (Twenty percent. of the sanctioned cadre) Rs. 1800-60-2100. |
| As follows :— | | | | |
| (i) Duty posts | 223 | | | |
| (ii) Deputation Reserve | | | | |
| (iii) Leave Reserve | 14 | | | |
| (iv) Training Reserve | | | | |
| | 242 | | | |

## SCHEDULE II
(See Cule 6)

| Name of Department | Name of Service and post | Total No. of posts | | The number of posts to be filled | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | By direct recruitment | By promotion of members of subordinate service, vide rule 6 (1) (B) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Forest Department | (1) State Forest Service (Assistant Conservator of Forest) | Permanent 242 | Temporary 198 | 50% | 50% |

## SCHEDULE III
[See Rule 9 (4)]

| Name of Department | Name of service or post | Educational qualifications prescribed. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Forest Department | State Forest Service (Assistant Conservator of Forests) | A candidate must hold a Bacheler's degree in Natural Sciences, Mathematics, Statistics, Geoloy, Mechanical Engineering, Civil or Chemeical Engineering or Agriculture of a recognised Indian University or hold enquivalent foreign qualifications, provided that in the case of a graduate with pure Mathematics or Statistics, he must have taken one of the following subjects in his Higher Secondary, Matriculation or equivalent examination :—<br>(i) Biology (ii) Physics or (iii) Chemistry Science graduates with Economics and Mathematics will also be eligible. |

## SCHEDULE IV
[See Rule 16]

| Name of Department | Name of service or post from which promotion is to be made | Name of service or post in which promotion is to be made | Member of the Department Promotion Committee Vide Rule 15 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Forest Department | Subordinate Service Class (Executive) Officers and ted posts. | Forest III Range equia- | State Forest Service (Assistant conservator of Forests) | 1. Chairman :—Chairman, M. P. State P. S. C. or member of P.S. nominated by him.<br>2. Member : — Additional Chief Secretary M.P.<br>3. Member :—Secretary to Govt. of Madhya Pradesh Forest Department.<br>4. Member:—Principal Chief Conservator of Forest M.P. |

[Published in M.P. Rajpatra Part IV (Ga) dated 26-10-84 Pages 184-186.]

1. Schedule I to IV Substituted vide notification No. 7327-X-I-84 dated 3-7-1984.

No. 13-3-88-X-3 dated the 30th November, 1988.—In exercise of the powers conferred by clauses (a) of sub-section (4) of Section 52 and Sub-section (1) of Section 52-A of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby makes the following rules namely :—

## MADHYA PRADESH FOREST (FORM OF APPEAL) RULES, 1988

1. Short title extent and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Forest (Form of Appeal) Rules, 1988.

(2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force on such date as the State Government may by notification in the official Gazette appoint.

2. Definition.—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), in its application to the State of Madhya Pradesh ;

(b) "Appellate Authority" means the Conservator of Forests in-charge of a circle ;

(c) "Authorised Officer" means an officer authorised by the State Government under sub-section (2) of Section 52 of the Act ;

(d) "Form" means a form appended to these rules.

3. **Appeal against the order of confiscation.**—(1) Every memorandum of appeal against the order of confiscation under sub-section (1) of Section 52-A shall :—

(a) be in writing ;

(b) specify the name and address of the appellant ;

(c) specify the date of the order against which it is preferred ;

(d) specify the date on which the order was communicated to the appellant ;

(e) contain the clear statement of facts ;

(f) specify the ground on which the appeal is preferred without any argument or narrative and numbered consecutively ;

(g) state precisely the relief prayed for; and

(h) be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by him in writing in this behalf, in the following form namely :—

I.....the appellant named above in the memorandum of appeal do hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief.

.....
Signature of the appellant.

(2) The memorandum of appeal shall either be presented to the appellate authority by the appellant or his duly authorised agent personally.

(3) The memorandum of appeal shall bear a Court-fee stamp worth Rupees fifty.

4. **Intimation for initiation of proceedings for Confiscation of property.**—The authorised officer shall send and intimation under clause (a) of sub-section (4) of Section 52 of the Act, in form 'A' to, the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made.

---

1. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 1-12-1988, Pages 2385-2386.

...संख्या, ... 1979

...-एफ-78.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा ... शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—ये नियम मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977 कहलावेंगे.

ये नियम ऐसी तारीख से लागू होंगे जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित की जाय.

2. परिभाषा.—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के सम्बन्ध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है,

(ख) 'आयोग' से तात्पर्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(ग) 'परीक्षा' से तात्पर्य इन नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत सेवा में भरती के लिये ली गई प्रतियोगी परीक्षा से है,

(घ) 'शासन' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है,

(ङ) 'राज्यपाल' से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) 'अनुसूची' से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है,

(छ) 'अनुसूचित जातियों' तथा 'अनुसूचित जनजातियों' का वही अर्थ होगा, जो उनके लिये संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में क्रमशः दिया गया है, और जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जावे,

(ज) 'सेवा' से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा से है,

(झ) 'संवर्ग' से तात्पर्य मध्यप्रदेश संवर्ग से है.

3. विस्तार तथा प्रयोजन.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची ए. में उल्लेखित पद पूर्वतः धारण कर रहे हों,

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गये हों.

5. अधिकरण, वेतनमान, इत्यादि.—सेवा का अधिकरण, उसके वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या समय-समय पर अनुसूची ए. में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी.

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या समय-समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती द्वारा, और

(ख) रेंज अधिकारी या अधीनस्थ वन सेवा, वर्ग तीन (कार्यपालक) के समीचीन पदों से पदोन्नति द्वारा.

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) (ख) के अधीन भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची दो में यथोल्लिखित संवर्ग के कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, भरती की किसी भी विशिष्ट अवधि के दौरान भरी जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जानेवाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जायेगी.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लिखित भरती के किसी एक तरीके से भरण करने के अतिरिक्त अन्य तरीके से नहीं की जायेगी.

8. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती.—(1) सेवा में सीधी भरती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसी अन्तरावधियों से ली जायेगी जिन्हें शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करे.

(2) ऐसी प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा शासन के ऐसे आदेशों के अनुसार ली जायेगी, जिन्हें शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श कर जारी करे.

(3) सीधी भरती के लिये रिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रखे जायेंगे.

(4) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर उस क्रम से विचार किया जायेगा, जिस क्रम से नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में उनके नाम दिये गये हों, भले ही अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(5) सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार के लिये रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे.

(6) यदि किसी अवसर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, उनके लिये रक्षित समस्त रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसे रिक्त स्थान शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में से भरे जायेंगे तथा भरती परीक्षा के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये

संख्या में प्रतिशत रिक्त स्थान रक्षित रखे जायेंगे. तथापि, ऐसे किसी भी पश्चातवर्ती अवसर पर सामान्य रक्षित रिक्त स्थान जोड़े जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या कुल रिक्त स्थानों की संख्या के 45 प्रति. से अधिक नहीं होगी. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में इस सीमा के भीतर आगे जोड़े गये रिक्त स्थानों का बटवारा दो श्रेणियों के आगे लाये गये कुल रक्षित रिक्त स्थानों के अनुपात में होगा.

8. सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवारों की पात्रता की शर्तें:— सीधी भर्ती द्वारा में भाग लेने के लिये पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) राष्ट्रीयता:—उसे भारत का नागरिक होना चाहिये या उसे व्यक्तियों की उन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का होना चाहिये जो शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित की जावे.

(2) आयु:—(क) परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली अप्रैल को उसने 19 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किन्तु 26 वर्ष की आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो, तो अधिकतम आयु-सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जावेगी.

(ग) उस उम्मीदवार को भी जिसके पास अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हो और जो शासन की कर्मचारी हो, अथवा रह चुका हो, निम्नलिखित सीमा तक तथा नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जावेगी:—

(एक) ऐसे उम्मीदवार की आयु, जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये. उपर्युक्त रियायत पाकिस्तान रवाना, बांग्लादेश से भेजना अथवा पाकिस्तान रवाना परिवीक्षा कार्यविधियों में निर्धारित व्यक्ति को भी दी जा सकेगी.

(दो) ऐसे उम्मीदवार को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि, भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:—शब्द 'छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस शब्द की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो, तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(तीन) ऐसा उम्मीदवार, जो 1 जनवरी 1963 को या उसके पश्चात् शासकीय छात्र सेना में एनसीसीआई कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किया गया हो और जिसे उस सेना से आरंभिक सेवा-मुक्ति पर दिया गया हो, अपनी आयु में से सैनिक सेवा की अवधि घटा सकेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

(चार) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:—शब्द 'भूतपूर्व सैनिक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित श्रेणी में से किसी एक श्रेणी में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसको किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो'—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय-पूर्व निवृत्ति नियमों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया हो, और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती की शर्तें पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशण्ड प्राप्त अधिकारी शामिल हैं),

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिजर्वों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो अक्षमता होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि जब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिये गये हों.

टिप्पणी:—उपखण्ड नियम 9 (ब) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित द्वारा अन्यथा नियमों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को सेवा में शामिल किया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद परीक्षा के पूर्व या उसके बाद सेवा से त्याग पत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि उन्हें चयन पर भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी की जाये, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे. किसी भी अन्य स्थिति में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी. परन्तु व्यक्तियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग के उम्मीदवारों के मामले में, जिनके बारे में शासन की ओर से समय-समय पर इस सम्बन्ध में सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु सीमा में प्रत्येक प्रवर्ग के सम्बन्ध में अधिसूचित सीमा

तथा शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी. विभागीय उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिये.

3. शारीरिक स्वस्थता.—उम्मीदवार की शारीरिक स्वस्थता निम्नलिखित न्यूनतम मानकों को पूरा करना चाहिये:—

ऊंचाई .. 163 से. मी.

सीना .. 79 से. मी.

सीना फुलाने पर—कम से कम 5 से. मी.

4. शैक्षणिक अर्हताएं:—उसके पास अनुसूची तीन में दर्शाये अनुसार सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, परन्तु—

(क) ऐसे मामलों में जिनमें आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्हता प्रदान करेगा जिसके पास अधीन इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो आयोग की राय में उम्मीदवार के परीक्षा में प्रवेश देने पर विचार करने के लिये उचित हो, और

(ख) ऐसे उम्मीदवारों को भी, जो अन्यथा नहीं हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो, जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो आयोग के विनिश्चयानुसार, परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा.

5. फीस.—उसे आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को इस नियम पर शासन के आदेशों में दी गई सीमा तक छूट दी जायेगी.

6. अर्हतेत्तर.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिये किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसके परीक्षा में प्रवेश के लिये अनर्हकारी माना जा सकेगा.

11. उम्मीदवारों की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.—परीक्षा में प्रवेश के लिये किसी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश का प्रमाण-पत्र न दिया गया हो, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.—(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा आयोग, उसके द्वारा निश्चित किये गये मानकों के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों की सूची, जो संबंधित उक्त मानकों के अनुसार अर्ह पाये गये हैं, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में संतुलन बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में रिक्ति रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं पाया है, शासन को भेजेगा. वह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रशिक्षण के लिये उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) जब तक शासन को, उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली, जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक केवल सूची में उम्मीदवार का नाम सम्मिलित होने से ही उसे प्रशिक्षण/नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता.

13. प्रशिक्षण में प्रवेश.—(1) सीधी भरती द्वारा चयन किये गये उम्मीदवार को उसके चयन के पश्चात् नियमित पाठ्यक्रम में 2 वर्षों का उपरोधित पाठ्यक्रम लेने के लिये वन महाविद्यालय देहरादून में (फारेस्ट कालेज) या उसमें समकक्ष किसी अन्य महाविद्यालय में भेजा कि शासन द्वारा निर्णय किया जाय, भेजा जायेगा.

(2) उक्त विद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व चुना गया उम्मीदवार निहित फार्मों में एक करारनामा तथा प्रतिभूति बन्ध पत्र निष्पादित करेगा.

(3) संपूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) उम्मीदवार को प्रशिक्षण स्थल से नियुक्ति के स्थान तक की यात्रा का यात्रा भत्ता और साथ ही प्रशिक्षण के दौरान यात्रा संबंधी व्यय शासन द्वारा वहन किया जाएगा. ऐसे प्रशिक्षण के दौरान शासन ऐसी निष्पत्ति तथा उपकरण भत्ता, जो महाविद्यालय नियमों के अधीन अपेक्षित होगा, भी प्रदान करेगा.

(4) ऐसा उम्मीदवार जो दो वर्ष के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा निहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता तथा परीक्षाएं पास नहीं करता, सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा और उसके द्वारा निष्पादित करारनामे तथा प्रतिभूति बन्धपत्र की शर्तों तथा शर्तों को उसके विरुद्ध लागू किया जाएगा.

14. नियुक्ति.—(1) प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उम्मीदवार को अनुसूची एक में दिए गए वेतनमान में राज्य वन सेवा में अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु उम्मीदवार ऐसे किसी भी परिवर्तन या उपान्तरण के लिये, जो शासन समय-समय पर वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में करे, आबद्ध होगा.

(2) नियुक्ति दीक्षान्त समारोह (कनवोकेशन) की तारीख की बाद की तारीख से की जाएगी. वेतन राज्य की सेवा में वस्तुतः कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से देय होगा.

(3) दो वर्ष के प्रशिक्षण की अवधि सम्बन्धित अधिकारी की पेंशन की गणना के लिए अर्हकारी होगी.

15. सीधी भरती किए गए उम्मीदवारों की परिवीक्षा अवधि.—सेवा में सीधी भरती द्वारा नियुक्त उम्मीदवार को सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थायीकरण के लिए उनकी उपयुक्तता के अध्यधीन तथा उनके द्वारा इस अवधि के भीतर विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद दो वर्ष के पश्चात् स्थायी किया जाएगा.

6. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र उम्मीदवारों को [illegible] के लिये प्रतिवर्ष चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) इस समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी, जो [illegible] और एक वर्ष से अधिक न हो.

7. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.—समिति उपर्युक्त [illegible] 6(1) (ग) में उल्लिखित उन सभी अधिकारियों के मामलों पर [illegible] करेगी, जो पदोन्नति के लिये पात्र हों, अर्थात् वे व्यक्ति जिनकी [illegible] की सेवा हो गई हो तथा स्थायी हों, परन्तु यह कि जिन मामलों पर विचार किया जाना हो, उनकी संख्या तत्काल उपलब्ध रिक्त स्थानों तथा ही अगले 12 माहों में उपलब्ध होने वाले सम्भावित रिक्त की संख्या के पांच गुना होगी.

8. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(1) [illegible] निम्नलिखित सूचियां तैयार करेगी:—

(क) पात्र व्यक्तियों की सूची अर्थात् उन व्यक्तियों की सूची जो उपर्युक्त नियम 17 में विहित शर्तों को पूरा करते हों;

(ख) उन व्यक्तियों की सूची, जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए हों; और

(ग) उन व्यक्तियों की सूची, जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाए गए हों.

(2) उपनियम (1) (ख) में उल्लिखित सूची साधारणतया [illegible] में सम्भावित रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) (ख) में उल्लिखित सूची में [illegible] करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(4) उपर्युक्त उपनियम (1) (ख) में उल्लिखित सूची में [illegible] अधिकारियों के नाम उस संवर्ग में वरिष्ठता क्रम से रखे जाने वाले रेंजर या समकक्ष ओहदे के अधिकारी, परन्तु किसी ऐसे वरिष्ठ [illegible] को जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा [illegible] हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में ऊपरतर [illegible] जा सकेगा.

(5) इस प्रकार तैयार की गई सूची का आवश्यक होने पर एक पश्चात् पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(6) यदि इस प्रकार के चयन पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की [illegible] के दौरान किसी भी वन रेंजर या उसके समकक्ष अधिकारी के [illegible] प्रस्तावित किया गया हो, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण [illegible] अपने कारण लेखबद्ध करेगी.

(7) [illegible].—पदोन्नति के लिये विचाराधीन अनुसूचित जातियों तथा [illegible] उन जातियों के अधिकारियों के संबंध में शासन द्वारा समय-[illegible] निर्धारित विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

9. आयोग से परामर्श.—नियम 18 के अनुसार तैयार की गई [illegible] द्वारा निम्नलिखित कार्यकलापों के साथ आयोग को भेजी जाएगी—

(क) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(ख) समिति की कार्यवाहियां ; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर शासन का मत.

10. चयन-सूची.—(1) आयोग शासन से प्राप्त अन्य दस्तावेजों [illegible] टिप्पणियों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन [illegible] न समझे, तो उन सूचियों को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग सूचियों में कोई परिवर्तन [illegible] आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन यदि उस पर कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुए, [illegible] किन्हीं भी संशोधनों सहित, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हों, सूचियों को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा.

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से यथानुमोदित पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए अधिकारियों की सूची मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा में पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतया तब तक मान्य रहेगी जब तक कि नियम 18 के उपनियम (5) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या [illegible] न किया जाए, परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति को भारत के कर्तव्य के निर्वाह अथवा शासन में सम्भीर शुरू होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

11. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों को, सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आते हों.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

12. पदोन्नति अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि.—स्थानापन्न [illegible] नियुक्ति को छोड़ संवर्ग पद पर पदोन्नति द्वारा इस प्रकार नियुक्ति अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा और उक्त अवधि में ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करेगा, जो समय-समय पर विहित की जाए, परन्तु यह कि उसके लिए ऐसी किसी भी परीक्षा या परीक्षण को उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा, जो उसने अपनी पदोन्नति के पूर्व पहले ही पास कर ली हो और परन्तु यह भी कि शासन किसी भी मामले में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा किन्तु यह वृद्धि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी. परिवीक्षा पर नियुक्त अधिकारी को यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी किसी भी बर्धित अवधि के भीतर, जिसके लिये समय बढ़ाने की मंजूरी दी गई हो, शासन का इस बात से समाधान करने में असफल रहता है कि वह सभी दृष्टि से पदोन्नति के लिये उपयुक्त है, उस निम्नतर पद पर पदावनत किया जाएगा, जिससे वह परिवीक्षा पर पदोन्नत किया गया था.

13. प्रवर श्रेणी (ग्रेड).—राज्य वन सेवा के स्वीकृत संवर्ग की 10 प्रतिशत संख्या तक प्रवर श्रेणी के लिये चयन ऐसे भा. व. से. अधिकारी सूची में किया जाएगा, जो अपनी वरिष्ठता के आधार पर मूल पद धारण कर रहे हों.

14. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

विषयों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं ... कार्यवाही संबंधित से मांगने के संबंध में, जिस पद में नियुक्ति ... की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को ... है, जो उसको उचित और न्याय संगत हो:

... किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो ... रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो

26. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के सभी तत्समानी नियम जो इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हों, इसके द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्समानी उपबंध के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. श्रीवास्तव, उपसचिव

अनुसूची एक

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

| संरक्षित पदों का वर्ग | 1-4-77 को पदों की संख्या | | वर्गीकरण | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | अस्थायी | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वन संरक्षक | 147 | 213 | राज्य वन सेवा (म.स.व.स.) | नियमित श्रेणी (ग्रेड) रु. 425—25—500—30—680—द.रो.—40—800—50—900 |
| | | | | प्रवर श्रेणी (ग्रेड) (स्वीकृत संवर्ग का 10 प्रति.) रु.900—50—1100 |
| (i) कार्यरत पद | 136 | | | |
| (ii) प्रतिनियुक्ति रहित | 3 | | | |
| (iii) छुट्टी रहित | 8 | | | |
| (iv) प्रशिक्षण रहित | . | | | |
| | 147 | | | |

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

| सेवा तथा पद का नाम | पदों की कुल संख्या | | भरे जाने वाले पदों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा | सेवा के अधीनस्थ संवर्गों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ब) देखिये] |
| (2) | (3) | | (4) | (5) |
| राज्य वन सेवा (प्रतिनियुक्त महाप्रबंधक वन संरक्षक | स्थायी | अस्थायी | 50 प्रतिशत | 50 प्रतिशत |
| | 147 .. | 213 | | |

अनुसूची तीन

[नियम 9 (4) देखिये]

| क्रमांक | सेवा या पद का नाम | विहित शैक्षणिक अर्हताएं |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | राज्य वन सेवा (अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक) | उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की प्राकृतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, केमिकल, यांत्रिक इंजीनियरी, सिविल या रसायन इंजीनियरी या कृषि विभाग में स्नातक उपाधि या इनके समकक्ष विदेशी अर्हताएं होनी चाहिये, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी विषय में स्नातक की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति के मामले में यह आवश्यक है कि उसने उच्चतर माध्यमिक/ मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो?<br>(1) जीव विज्ञान, (2) भौतिक, (3) रसायन शास्त्र/ अर्थशास्त्र तथा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण होने वाले विज्ञान स्नातक भी पात्र होंगे? |

अनुसूची चार

(नियम 16 देखिये)

| क्रमांक | सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो | सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम नियम 15 देखिये |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मध्यप्रदेश वन सेवा वर्ग दो (कार्यपालक) रेंज अधिकारी तथा समकक्ष पद. | राज्य वन सेवा (अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक) | अध्यक्ष.—अध्यक्ष म. प्र. राज्य लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट लो.से.आ. का कोई सदस्य.<br>सदस्य.—सचिव, म. प्र. शासन, वन विभाग.<br>सदस्य.—प्रमुख वन संरक्षक म. प्र. (डायरेक्टर इन-चीफ, म. प्र.) |

भोपाल, दिनांक 14 जून 1978

* 6037-एफ-1-78.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 6036-दस-1-78, 14 जून 1978 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 14th June 1978.

No. 3150-X-1-78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules regulating recruitment to the Madhya Pradesh State Forest Service, namely:—

1. Short title and Commencement.—These rules may be called the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977.

These rules shall come into force with effect from such date as may be notified in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Government of Madhya Pradesh ;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission ;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the Service held under rule 12 of these rules ;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh ;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh ;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules ;

(g) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as has been assigned by clauses (24) and (25) respectively of Art. 366 of the Constitution of India and are notified as such by the State Government from time to time ;

(h) "Service" means the Madhya Pradesh State Forest Service;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.—The Service shall consist of the following persons, namely:—

(i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I ;

(ii) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules ; and

(iii) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay, etc.—The classification of the Service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I hereto annexed :

Provided that Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.—(1) Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be by the following methods, viz :

(a) by direct recruitment through a competitive examination ; and

(b) by promotion from the posts of Range Officers or equated posts belonging to the Subordinate Forest Service Class III (Executive).

(2) The number of persons recruited under the above sub-rule (1) (b) shall not, at any time, exceed 50% of the total number of posts in the cadre as specified in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service, as may be required to be filled during any particular period, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by Government in consultation with the Commission.

7. Appointment to the Service.—All appointments to the Service after the commencement of these rules shall be made by Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6 above.

8. Direct Recruitment by Competitive Examination.—(1) For direct recruitment to the Service a competitive examination shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission determine, from time to time.

(2) Such competitive examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) 15 per cent. and 18 per cent. of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes considered by the Commission to be suitable for appointment to the service may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3)

(6) If, on any occasion, sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the vacancies

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष प्रशासन– II) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल

पृ0कमांक/मुख्या. स्था./ 6109 भोपाल,दिनांक 21/9/12

प्रतिलिपिः–

1– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल

2– प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघुवनोपज संघ भोपाल

3– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख/वन्य प्राणी मध्यप्रदेश, भोपाल

4– समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल

5– समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश (क्षेत्रीय)

की ओर म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक सी–3–10/2012/3/एक दिनांक 30.08.2012 की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21/9/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- II)
मध्यप्रदेश भोपाल

1266
25/9/12

Circulation Leter.doc

323

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी- 3-10/2012/3/एक भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः— शासकीय सेवक महिला आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा।

संदर्भ : इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी.3–12/2010/1/3, दिनांक 4 जून, 2010.

———

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल, स्वशासी संस्थाओं तथा नगर सैनिकों के लिये सीधी भर्ती के लिए पूर्व निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर सामान्य वर्ग के लिये 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं लिंग वर्ग के लिये 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

2/ राज्य मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम–4 के संदर्भ में शासकीय सेवक/निगम/मंडल तथा स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों को, शासकीय सेवा में अन्य विभाग में आवेदन करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, परन्तु अनारक्षित वर्ग की सेवारत महिला कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

3/ उपरोक्त प्रावधान से असंगत पूर्व में जारी कोई भी निर्देश/प्रावधान उक्त सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

4/ उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा की छूट नियमित पुलिस बल की भर्ती के लिये लागू नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

F (Admn.-II) 382 1.9.12 Bhopal ★ 6384 11-9-12 प.मु.व.सं. म.प्र. 1979

पृष्ठांकन कमांक सी–3–10/2012/3/एक ...पाल, दिनांक 30 अगस्त,

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जब...
2. सचिव, लोकायुक्त जनरल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, ...
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री; मुख्यमंत्री सचिवा... ...यप्रदेश, भोपाल।
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ...प्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भो...
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च ...यालय, खण्डपीठ इ... ग्वालियर/जबलपुर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशा... ...ग, मंत्रालय, भोपाल।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/उ... ...मुख्य लेखाधिकारी, मध्य... मंत्रालय, भोपाल।
16. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय ...।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोप...
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन ... ...तीय मंजिल, भोपाल।
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ...।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी ... ...पाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९९४.

# मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४.

[दिनांक 1 जून, १९९४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ जून १९९४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) किसी स्थापन में किसी सेवा या पद के संबंध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(ख) "स्थापन" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है, कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है;

(ग) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण;

(घ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ङ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) "लोक सेवाएं तथा पद" से अभिप्रेत है स्थापन के किसी कार्यालय में की सेवाएं तथा पद,

(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित आधिसूचना क्रमांक एफ-८.५ पच्चीस-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) किसी रिक्ति के संबंध में "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारंभ होने वाली बारह मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है.

अधिनियम का लागू होना.

३. यह अधिनियम इस अधिनियम में यथा परिभाषित स्थापन को लागू होगा किन्तु निम्नलिखित नियोजन को लागू नहीं होगा:—

(१) भारत सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(२) सरकारी सेवकों की मृत्यु के कारण या सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार अन्यथा की जाने वाली अनुकम्पा नियुक्तियां;

(३) स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद;

(४) आकस्मिक नियुक्तियां;

(५) मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में की गई नियुक्तियां.

पदों के आरक्षण के लिए प्राथमिकता का नियत किया जाना.

४. (१) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जाएंगे जो यथा स्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं है.

(२) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भरती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रखा जाएगा:—

(एक) राज्य स्तर पर किसी भरती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत—

(क) प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के पदों में—

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जाति | १५ प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति | १८ प्रतिशत |
| अन्य पिछड़े वर्ग | १४ प्रतिशत |

(ख) तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पदों में—

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जाति | १६ प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति | २० प्रतिशत |
| अन्य पिछड़े वर्ग | १४ प्रतिशत |

(दो) संभाग या जिला स्तर पर किसी भरती के वर्ष में किसी स्थापन में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग पदों के ऐसे प्रवर्गों में, उद्भूत होने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ऐसा होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए.

(तीन) ऊपर (एक) और (दो) में यथापूर्वोक्त रिक्तियों पर नियुक्तियां ऐसे रोस्टर के अनुसार की जाएंगी, जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु पूर्वोक्त आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के रूप में अधिसूचित किए जाए

(३) (क) यदि किसी भर्ती के वर्ष के संबंध में, उपधारा (२) के अधीन व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो ऐसी रिक्ति आगामी या किसी पश्चातवर्ती भर्ती के वर्ष में भरी जाने के लिए अग्रनीत की जाएगी.

(ख) जब कोई रिक्ति पूर्वोक्त रीति में अग्रनीत की जाती है तो उसकी गणना उस भर्ती के वर्ष के लिए, जिसमें वह अग्रनीत की गई है, व्यक्तियों के संबंधित प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर नहीं की जाएगी:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरी ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी भी समय विशेष भर्ती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्ति ऐसी विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो वह ऐसी रीति में भरी जाएगी जैसी राज्य सरकार विहित करे.

(४) यदि उपधारा (२) में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा.

(५) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू है तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू बने रहेंगे जब तक उन्हें उपांतरित या विखण्डित नहीं कर दिया जाता है.

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां.

५. (१) राज्य सरकार आदेश द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप सकेगी.

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में, ऐसी रीति में, ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकेगी जो उपधारा (१) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों.

शास्ति.

६. (१) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिये आशयित है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

(२) कोई भी न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा.

[illegible] यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लेखित किसी भी प्रवर्ग का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या इस निमित्त सरकारी आदेशों के अननुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी के ओहदेदार को मना कर सकेगी और ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे.

राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व

८. राज्य सरकार, आदेश द्वारा चयन/छानबीन या पदोन्नति समिति में चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जहां ऐसी समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को, लोक सेवा या पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए व्यक्तियों का चयन करने के प्रयोजन के लिए या तो सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाती है, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसा वह आवश्यक समझे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को नामनिर्देशन करने के लिए उपबंध कर सकेगी.

रियायत और शिथिलीकरण.

९. (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) में उल्लेखित व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के संबंध में ऐसी रियायत मंजूर कर सकेगी और उच्चतर आयु सीमा को शिथिल कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों के पक्ष में अन्य रियायतों और शिथिलीकरणों, जिनमें अन्तर्गत किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस में रियायत और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है और सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू बने रहेंगे जब तक कि उन्हें यथा स्थिति, उपान्तरित या विखण्डित नहीं कर दिया जाता है.

[illegible] इस अधिनियम के अधीन दिए गए आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे, जारी किया जाएगा और जब तक ऐसा उपबंध नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त आदेश लागू बने रहेंगे.

कठिनाइयों को दूर करने की [illegible]

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१२. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी.

नियम बनाने की शक्ति

१३. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

असंगत नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी

१४. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में की गई समस्त नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी.

नियुक्तियों की [illegible] रिपोर्ट

१५. (१) राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा और उसके अधीनस्थ प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी या स्थापन द्वारा की गई नियुक्तियों की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट उसके द्वारा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, जनवरी से जून तक की कालावधि के लिए अगस्त मास में और जुलाई से दिसम्बर तक की कालावधि के लिए फरवरी मास में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाएगी और उससे संबंधित सूचना अभिलेख ऐसी रीति से रखे जाएंगे जो विहित की जाए.

(४) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अभिलेखों की परीक्षा कर सकेगा या नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख और रोस्टर नियुक्ति प्राधिकारी से मंगा सकेगा.

(५) नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों, जानकारी, सहायता और सुविधाएं, जो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित की जाए, जब भी उनकी मांग की जाती है, उपलब्ध कराए.

संपर्क अधिकारी.

१६. प्रत्येक स्थापन में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभाग, प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को नाम निर्देशित करेंगे और इस प्रकार नियुक्त संपर्क अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

स्थायी समिति का गठन.

१७. (१) एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(१) मंत्री, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण अथवा मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश— अध्यक्ष.

(२) मध्यप्रदेश विधान सभा के पांच सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाएंगे जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक का एक-एक सदस्य होगा— सदस्य.

(३) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभारी सचिव—सदस्य.

(४) मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव—सदस्य सचिव.

(२) स्थायी समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा ऐसी कालावधि के लिए किया जाएगा, जो विहित की जाए.

स्थायी समिति के कृत्य.

१८. स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन;

(ख) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों का सुझाव देना;

(ग) ऐसे अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार समय-समय पर समिति को सौंपे.

वार्षिक रिपोर्ट.

१९. राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यकरण पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे विधान सभा के समक्ष रखेगी.

आदेश आदि का रखा जाना.

२०. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये समस्त नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

व्यावृत्ति

२१. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं.

भोपाल, दिनांक 8 जून 1994

क्र. 1051/अ-2/प्रशासनिक-अ (प्र.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन द्वारा [अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण] अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) का अंग्रेजी अनुवाद, मध्यप्रदेश के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राजपत्र के भाग 4 में अंग्रेजी अनुवाद,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव ।

# MADHYA PRADESH ACT NO. 21 OF 1994

THE MADHYA PRADESH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN) ADHINIYAM, 1994.

## TABLE OF CONTENTS

Sections.


1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Application of the Act.
4. Fixation of percentage for reservation of posts.
5. Responsibility and powers for compliance of the Act.
6. Penalty.
7. Power to call for record.
8. Representation in Selection Committee.
9. Concession and relaxation.
10. Caste Certificate.
11. Removal of difficulties.
12. Protection of action taken in good faith.
13. Power to make rules.
14. Irregular appointments voidable.
15. Half yearly report of appointments.
16. Liaison Officer.
17. Constitution of Standing Committee.
18. Functions of the Standing Committee.
19. Annual report.
20. Repeal of order etc.
21. Saving.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 21 OF 1994

# THE MADHYA PRADESH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN) ADHINIYAM, 1994.

[Received the assent of the Governor on the 3rd June, 1994; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary)" dated the 8th June, 1994.]

An Act to provide for the reservation of vacancies in public services and posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise, requires,—

(a) "Appointing Authority" in relation to a service or post in an establishment means the authority empowered to make appointment to such service or post;

(b) "Establishment" means any office of the State Government or of a local authority or statutory authority constituted under any Act of the State for the time being in force, or a University or a Company, Corporation or a Cooperative Society in which not less than fifty one percent of the paid up share capital is held by the State Government and includes a work charge or contingency paid establishment.

(c) "Reservation" means reservation of posts in the services for the members of Schedules Castes the Scheduled Tribes and other Backward Classes;

(d) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution;

(e) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution;

(f) "Public Services and Posts" means the services and posts in any office of the establishment;

(g) "Other Backward Classes" means the other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F. 85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time.

(h) "Recruitment Year" in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of January of a year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

3. This Act shall apply to the establishment as defined in this Act but shall not apply to the following employments: —

(1) any employments under the Government of India;

(2) Compassionate appointments made on account of the death of Government servants or otherwise in accordance with general orders of the Government.

(3) Posts to be filled by transfer or by deputation;

(4) Casual appointments;

(5) Appointments made to the Madhya Pradesh Higher Judicial Service.

Fixation percentage reservation posts

4. (1) Unless otherwise provided by or under this Act, the posts reserved for the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other Backward Classes shall not be filled by the members who do not belong to such castes or tribes or classes as the case may be.

(2) Subject to other provisions of this Act there shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, at the stage of direct recruitment in public services and posts.

(i) at the State level, the following percentage of vacancies arising in a recruitment year.

(a) in class I and Class II posts--

| | |
|---|---|
| Scheduled Caste | 15 percent |
| Scheduled Tribes | 18 percent |
| Other Backward Classes | 14 percent |

(b) Class III and Class IV posts

| | |
|---|---|
| Scheduled Castes | 16 percent |
| Scheduled Tribes | 20 percent |
| Other Backward Classes | 14 percent |

(ii) in an establishment at the Divisional or District level the percentage of vacancies arising in a Recruitment Year in such categories of Class III and Class IV posts as may be notified by the State Government in this behalf.

(iii) the appointments to vacancies as aforesaid in (i) and (ii), shall be made in accordance with a roster as may be prescribed:

Provided that the aforesaid reservation shall not apply to such categories of persons belonging to the other Backward Classes as are notified by the State Government as belonging to the creamy layer from time to time.

(3) (a) If in respect of any recruitment year any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (2) remains unfilled, such vacancy shall be carried forward to be filled up in the next or a subsequent recruitment year,

(b) When a Vacancy is carried forward in the manner aforesaid it shall not be counted against the quota of the vacancies reserved for the concerned category of persons for the recruitment year to which it is carried forward:

Provided that the appointing authority may at any time undertake a special recruitment to fill up such unfilled vacancy and if such vacancy remains unfilled even after such special recruitment it shall be filled up in the manner as the State Government may prescribe.

(4) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (2) gets selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (2).

(5) If, on the date of commencement of this Act, reseration was in force under Government orders for appointment to post to be filled by promotion, such Government orders shall continue to be applicable till they are modified or revoked.

Responsibility and powers for compliance of the Act.

5. (1) The State Government may, by order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provisions of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub-section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

Fixation percentage reservation

Penalty.

6. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of Section 5 who wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Act shall , on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of a offence under this section except with the previous sanction of the State Government.

Power to call for record.

7. If it comes to the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (2) of Section 4 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders in this behalf by the appointing authority, if may call for records of the appointment authority and take such action as it may consider necessary.

Representation in selection Committee.

8. The State Government may by order, provide for nomination of officers belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in the Selection/Screening or promotion Committee by whatever name called, to such extent and in such manner as it may consider necessary where such Committee is constituted either under the service rules or otherwise for the purpose of selecting persons for appointment or promotion to public service or post.

Concession and relaxation.

9. (1) The State Government may, by order, grant such concessions in respect of fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit, as it may consider necessary in favour of the categories of persons mentioned in sub-section (2) of Section 4.

(2) The Government orders in force on the date of the commencement of this Act, in respect of concessions and relaxations, including concession in fees for any competitive examination or interview and relaxation in upper age limit and those relating to reservation in direct recruitment and promotion, in favour of categories of persons referred to in sub-section (1), which are not inconsistent with the provisions of this Act shall continue to be applicable till they are modified or revoked, as the case may be.

Caste certificate.

10. For the purposes of reservation provided under this Act, the caste certificate shall be issued by such authority or officer and in such manner and form as the State Government may, by order provide and till such provision is made, the orders in force on the date of commencement of this Act shall continue to be applicable.

Removal of difficulties.

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provision not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Protection of action taken in good faith.

12. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules.

13. The State Government may, make rules for carrying out the purposes of this Act.

14. All appointments made, in contravention of the provisions of the Act after the commencement of this Act shall be voidable.

Irregular appointment voidable

15. A half yearly report of the appointments made by every Department of the State Government and by every appointing authority or establishment subordinate to it shall be submitted to the State Government in the General Administration Department in such form and in such manner as may be prescribed for the period from January to June in the month of August and from July to December in the month of February every year and the relevant records connected therewith shall be maintained in such manner as may be prescribed.

Half yearly report appointments

(2) Any Officer authorised by the State Government in this behalf may examine such records and the records and rosters pertaining to the appointments from the appointing authority.

(3) It shall be the duty of the appointing authority to make available such records or documents, information, assistance and services as may be required for the above purposes, whenever demand is made for the same.

16. All Department of the State Government shall nominate an officer not below the rank of Class I Officer to work as Liaison Officer in connection with the implementation of the provisions of this Act in every establishment and the Liaison Officer so appointed shall exercise such powers and perform such duties as the State Government may by order, specify.

Liaison Officer

17. (1) There shall be constituted a Standing Committee consisting of the following members, namely :—

Constitution of Standing Committee

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Minister, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Welfare or Minister Backward Class Welfare, Madhya Pradesh. | Chairman |
| (2) | Five members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly to be nominated by the Speaker out of which one each shall be from member belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Backward Classes. | Member |
| (3) | Secretary incharge of the General Administration Department, Madhya Pradesh Government. | Member |
| (4) | Secretary incharge of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes Welfare Department, Madhya Pradesh Government. | Member—Secretary |

(2) The Standing Committee shall be constituted by the State Government for such period as may be prescribed.

Functions of the Standing Committee

18. Standing Committee shall perform the following functions, namely:—

(a) review the implementation of the provisions of this Act and the rules made thereunder;

(b) suggest measures for the removal of difficulties in implementing the provisions of this Act and the rules made thereunder;

(c) such other functions as the State Government may from time to time assign to the Committee.

पूर्व-अदायगी
द्वारा भेजे जाने
अनुमति, अनुमति-पत्र
-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

[ 264 ] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 1994—ज्येष्ठ 18, शके 1916

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जून 1994

क्र. 6469-इक्कीस-अ (ग्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3 जून, 1994 को ...न की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिस्तर्इ, अतिरिक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

**क्रमांक २१ सन् १९९४.**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४.

### विषय-सूची

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
२. परिभाषाएं

धाराएं :


३. अधिनियम का लागू होना.

४. पदों के आरक्षण के लिए प्रतिशतता का नियत किया जाना.

५. अधिनियम के अनुपालन के लिये उत्तरदायित्व और शक्तियां.

६. शास्ति.

७. अभिनेय मानने की शक्ति.

८. चयन समिति में प्रतिनिधित्व.

९. रियायत और शिथिलीकरण.

१०. जाति प्रमाणपत्र.

११. कठिनाइयों का दूर किया जाना.

१२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१३. नियम बनाने की शक्ति.

१४. अनियमित नियुक्तियां शून्यकरणीय होंगी.

१५. नियुक्तियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट.

१६. सम्पर्क अधिकारी.

१७. स्थायी समिति का गठन.

१८. स्थायी समिति के कृत्य.

१९. वार्षिक रिपोर्ट.

२०. आदेश आदि का रखा जाना.

२१. व्यावृत्ति.

[illegible] report

19. The State Government shall prepare an annual report on the working of this Act and lay the same before the Legislative Assembly.

[illegible] of order

20. All rules, notifications and orders made under the provisions of this Act, shall be laid down as soon as may be, before the Legislative Assembly.

[illegible]

21. The provisions of this Act shall be in addition to and not, save as expressly provided in this Act, in derogation of the provisions contained in any other Act for the time being in force.

[illegible]

from among other candidates in the orders passed in this behalf from time to time and an equi- vacancies shall be reserved for the Scheduled Castes/ the subsequent examinu- on such subsequent occasion of normal reserved vacancies ried forward vacancies ex- the total number of vacancies. The ried forward vacancies with- the Scheduled Castes Sche- in proportion to the total reserved vacancies of the two

of eligibility of direct rec- to be eligible to compete at the candidate must satisfy the follow-

He must be a citizen of must belong to one of the cate- persons as may, from time to notified in this behalf by Govern-

He must have attained the age years and not attained the age of on the first day of April next the date of commencement of

age limit shall be relaxable up period of 5 years if a candidate to a Scheduled Caste or a Sche-

age limit will also be relaxable in any candidate who possesses educational qualification and an employee of Government Govt and subject to the conditions

date who is a perm anent or Government Servant not be more than 38 years of This concession shall also be relate to a person employed in charged establishment, con- said post and a Project Committee.

date who is a retrenched Govt. will be allowed to deduct from the period of all tempo- service previously rendered by a maximum limit of 7 years represents more than one provided that the resultant age exceed the upper age limit more than three years.

'Retrenched Govt. Servant' person who was in tempora- Government Service for a conti- period of not less than six and who was discharged be- reduction' in establishment not less than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(iii) A candidate who was employed on or after 1st January 1963 as a whole-time Cadet Instructor in the National Cadet Corps and has been discharged from that service will be allowed to deduct from his age the period of his previous service provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term 'ex-serviceman' denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal deduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

(1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions,

(2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement,

(b) fulfilling the conditions of enrolment,

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit

(4) Officers (Military & Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers),

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacanies,

(6) Ex-Servicemen invallded out of Service,

(7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(8) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

N.B.—Candidates who are admitted to the examination under the age concessions mentioned in paragraph 9(c) (i) and (ii) above will not be eligible for

appointment if, after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting applications. In no other case will these age limits be relaxed. Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of candidates belonging to such other category of persons as may from time to time be notified in the behalf by the Government by general or special orders to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category.

Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination.

(3) Physical Fitness.—A candidate must satisfy the following minimum standards of physical fitness

Height:—163 cms.
Chest 79 cms.

Expansion of chest—atleast 5 cms.

He must also be of sound health, good physique, active habits and free from any bodily or organic defect or infirmity. A candidate will be required to undergo a physical test consisting of a walk over 20 kms to be to crossed in 4 hours.

(4) Educational Qualifications.—He must possess the education qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III:

Provided that:—

(a) In exceptional cases the Commission may on the recommendation of Government treat as qualified a candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed an examination conducted by another Institution by a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination, and;

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, Indian Universities not specifically recognized by Government, may also be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

Fees.—He must pay the fees prescribed by the Commission. Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes will have relaxation to the extent given in Government orders on the subject.

10. Disqualifications.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.

11. Commission's decision about the eligibility of candidates final.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the Examination.

12. List of candidates recommended by the Commission:—

(1) By competitive examination.—The Commission shall forward to the Govt. a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the M.P. Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for training against the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the aforesaid list confers no right to training or appointment unless the Govt. is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Training in Forestry.—(1) A candidate selected by direct recruitment shall be deputed to undergo a two years Diploma Course in Forestry at the Forest College Dehradun or any other equivalent College, as may be decided by Government, in the regular course next following his selection.

(2) Before joining the said college, the selected candidate shall execute an agreement and a security bond in the prescribed forms.

(3) Tuition fees for the entire course and travelling allowance for the journey of the candidate from the place of training to the place of posting and also journey expenses during the course of training will be borne by Government. During the course of such training, Government will also grant such stipend and an equipment allowance as may be required under the College rules.

(4) A candidate who does not complete the training successfully and pass the examinations prescribed by the concerned College at the end of two years shall not be appointed to the Service and the terms and conditions of the agreement and the security bond executed by him shall be enforced against him

14. Appointment.—(1) On successful completion of training, the candidate will be appointed on the post of Extra Asstt. Conservator of Forest in the Forest Service in the time scale of pay as set in Schedule I :

Provided that candidates will be bound by any existing or modifications which Government may make in regard to pay-scale and other conditions of service from time to time.

(2) Appointment will be made from the date following the date of Convocation. Salary shall be paid from the date of actual joining the Service in the State.

(3) The period of training of two years will count for calculating the person of the officer concerned.

15. Probation for Direct Recruits.—A candidate appointed to the Service by direct recruitment will ordinarily be on probation for a period of two years. Probationers will be confirmed after two years subject to their fitness for confirmation and after having passed the prescribed departmental examination within this period.

16. Appointment by Promotion.—(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Scheduled IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) This committee shall meet at intervals, ordinarily not exceeding one year.

17. Conditions of eligibility for promotion.—The Committee shall consider the cases of all those persons mentioned in rule 6 (I) (b) above, who are eligible for promotion, i.e. those with 5 years of service and are confirmed; provided that the cases to be considered will be five times the number of vacancies which are immediately available as well as vacancies expected in the next 12 months.

18. Preparation of lists of suitable officers.—(1) The Committee shall prepare the following lists :—

(a) List of eligible persons, i.e., those who satisfy the conditions prescribed in rule 17 above ;

(b) List of those persons who are found by the Committee to be suitable for promotion to Service ; and

(c) List of those persons who are not found by the Committee to be suitable for promotion to the Service.

(2) The list mentioned in sub-rule (1) (b) should ordinarily be sufficient to cover probable vacancies in the next 24 months.

(3) The selection for inclusion in the list mentioned in sub-rule (1) (b) above shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(4) The names of the officers included in the list mentioned in sub-rule (1) (b) above shall be arranged in order of seniority as Rangers or Officers of equivalent rank; provided that any senior officer, who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a place higher than that of officers senior to him.

(5) The lists so prepared shall be reviewed and revised, if necessary, after one year.

6. If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any Forest Ranger or an officer of equivalent rank, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

Note.—In respect of Scheduled Caste and Scheduled Tribe officers under consideration for promotion, special procedure as laid down by Government from time to time will be followed.

19. Consultation with the Commission.—The lists prepared in accordance with rule 18 shall then be forwarded to the Commission by the Government alongwith:—

(i) the records of all persons included in the list;

(ii) the proceedings of the Committee; and

(iii) the observations of Government on the recommendations of the Committee.

20. Select List.—(1) The Commission shall consider the lists prepared by the Committee alongwith the other documents and observations received from Government and, unless it considers any change necessary, approve the lists.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the lists, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government, may approve the lists finally with such modification, if any, as may, in its opinion be just and proper.

(3) The list of officers found suitable for promotion as finally approved by the Commission shall be the Select List for promotions to the Madhya Pradesh State Forest Service.

(4) The Select List shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (5) of rule 18 :

Provided that in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special revision of such case may be made at any time at the instance of Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

21. Appointment to the Service from the Select List.—(1) Appointment of officers included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the Select List.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of Government is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.

22. Probation Period for Promoted Officers.—An officer appointed by promotion on a "cadre" post otherwise than in an officiating capacity will be on probation for a period of two years and shall within that period pass such departmental examinations as may be prescribed from time to time provided that he shall not be required to pass again any such examination or test which he might already have passed before his promotion and provided also that Government may, in any case, extend the probation period but not exceeding three years in all. An Officer appointed on probation will, if he fails to satisfy Government within the period specified or any further period for which extension may be granted that he is in every respect fit for confirmation, be reverted back to the lower post from which he was promoted on probation.

23. Selection Grade.—Selection to the Selection Grade to the extent of 10% of the sanctioned cadre of the State Forest Service will be made from the officers of the Extra Assistant Conservators of Forests holding substantive posts on the basis of their seniority.

24. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation to these rules, it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

25. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to the person than that provided in these rules.

26. Repeal and Savings.—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repeated in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repeated shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. C. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

## SCHEDULE I

(*See* Rules 4 and 5)

| Name of posts included in the Service | No. of posts as on 1-4-77 Permanent | Temporary | Classification | Scales of Pay | F |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Extra Assistant Conservators of Forests. | 147 | 213 | State Forest Service (EACP's) | *Regular Grade :* Rs. 425—25—500—30—680—EB—40—800—50—900. | |
| As follows:— | | | | | |
| (i) Duty Posts .. | 136 | | | *Selection Grade :* (10% of the sanctioned cadre) Rs. 900—50—1100 | |
| (ii) Deputation Reserve .. | 3 | | | | |
| (iii) Leave Reserve .. | 8 | | | | |
| (iv) Training Reserve .. | .. | | | | |
| | 147 | | | | |

## SCHEDULE II

(*See* Rule 6)

| Name of Department | Name of Service and post | Total No. of posts | The No. of posts to be filled in By direct recruitment | By promotion of members of subordinate service *vide* Rule 6(1)(b) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Department .. | State Forest Service (Extra Asstt. Conservator of Forests) | Permanent 147 Temporary 213 | 50% | 50% |

SCHEDULE III

[*See* Rule 8 (4)]

| Name of Department | Name of Service or post. | Educational Qualifications prescribed |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Department .. | State Forest Service (Extra Assistant Conservator of Forest) | A candidate must hold a Bachelor's Degree in Natural Sciences, Mathematics, Statistics, Geology, Mechanical Engineering, Civil or Chemical Engineering or Agriculture of a recognised Indian University or hold equivalent foreign qualifications, provided that in the case of a graduate with pure Mathematics or Statistics, he must have taken one of the following subject in his Higher Secondary/Matriculation or equivalent examination :—(1) Biology; (2) Physics or (3) Chemistry, Science graduates with Economics and Mathematics will also be eligible. |

SCHEDULE IV

(*See* Rule 16)

| Name of Department | Name of Service or post from which promotion is to be made | Name of service of post in which promotion is to be made | Member of the Departmental Promotion Committee *vide* Rule 15 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| partment .. | Subordinate Forest Service Class III. (Executive) Range Officers and equated posts. | State Forest Service (Extra Asstt. Conservator of Forests) | *Chairman.*—Chairman M. P. State Public Service Commission or a Member of P. S. C. nominated by him.<br>*Member.*—Secretary to Govt. of M. P., Forest Department.<br>*Member.*—Conservator in Chief of Forest, M. P. |

भाग 4 (ग)

अतिरिक्त विशेष

वन विभाग

मंत्रालय, दिनांक 3 अगस्त 1984

क्र. 7327-336-1-84.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में —

(1) नियम 23 में :—

(क) अंक तथा शब्द "10 प्रतिशत" के स्थान पर अंक तथा शब्द "20 प्रतिशत" स्थापित किये जायें;

(ख) शब्द "प्रतिनियुक्ति महाप्रबंधक वन संरक्षक" के स्थान पर शब्द "महाप्रबंधक वन संरक्षक" स्थापित किये जायें.

(2) अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जायें, अर्थात्:—

अनुसूची 1

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

| सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | 30-9-83 को पदों की संख्या | | वर्गीकरण | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| | स्थायी | अस्थायी | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 महाप्रबंधक वन संरक्षक ... | 242 | 198 | राज्य वन सेवा | नियमित श्रेणी — |
| ओर निम्नानुसार है :— | | | | रुपये 1000—30—1210—40—1450— |
| | | | | द. रो.—50—1800—60—1920 |
| (एक) कार्यभार पर | 223 | | | पद पर श्रेणी:— |
| (दो) प्रतिनियुक्ति पारिषित | 5 | | | (अनुसूची दिये गये वेतनमान का भीत प्रतिशत) |
| (तीन) छुट्टी पारिषित | 14 | | | रुपये 1800—60—2100. |
| (चार) प्रशिक्षण पारिषित | .. | | | |
| | 242 | | | |

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

| नियम का नाम | सेवा तथा पद का नाम | पदों की कुल संख्या | | भरे जाने वाले पदों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | सीधी भर्ती द्वारा | पदोन्नति द्वारा [देखिये नियम 6(एक)(ख)] |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| वन नियम .. | (1) राज्य वन सेवा (महाप्रबंधक वन संरक्षक) .. | 242 | 198 | प्रतिशत 50 | प्रतिशत 50 |

अनुसूची तीन

[नियम 9(1) देखिये]

| विभाग का नाम | पद का नाम | वेतनमान |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| वन विभाग | सहायक वन संरक्षक (सहायक का संरक्षक) | 700-40-900-50-1250-EB-50-1500 रुपये मासिक, किन्तु सहायक वन संरक्षक के उपरांत पदोन्नति पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को वेतनमान की न्यूनतम से कम वेतन पर नियुक्त किया जा सकता है।<br>परन्तु विशेष परिस्थितियों के कारण राज्यपाल को समाधान हो जाने पर उक्त न्यूनतम वेतन/वेतनमान पर नियुक्ति की जा सकती है।<br>परन्तु यह और कि उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों में से एक शर्त लिखी जायेगी :—<br>(1) शीघ्रविनाश (2) अनिश्चित (3) स्थायित्व शर्त।<br>इसे शासन तथा नियम के अनुसार निर्धारित-करना भी पड़ेगा। |

अनुसूची चार

[नियम 10 देखिये]

| विभाग का नाम | पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य देखिये नियम 15 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| वन विभाग | सहायक वन संरक्षक (कार्यपालक) रेन्ज अधिकारी तथा समकक्ष पद (इक्वेटेड पोस्ट्स) | वन संरक्षक (सहायक का संरक्षक) | 1. अध्यक्ष:—अध्यक्ष, म. प्र. लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नामांकित कोई सेवा<br>1. आयोग का सदस्य,<br>2. सदस्य:—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,<br>3. सदस्य:—वन संरक्षक, मध्यप्रदेश,<br>4. सदस्य:—अपर मंत्री सचिव, म. प्र. शासन, |

Bhopal, the 3rd July 1984

No. 7327-X-1-84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the "Madhya Pradesh State Forest" Service (Recruitment) Rules, 1977", namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 23,—

(a) for the figures "10%" the figures "20%" shall be substituted;

(b) for the words "Extra Assistant Conservator of Forest", the words "Assistant Conservator of Forest" shall be substituted;

(2) for the schedules I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely :—

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 1990

क्र. एफ-2-14-89-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश की ओर से राज्यपाल, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"23. राज्य वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें—(1) राज्य वन सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत केवल ऐसे ही अधिकारी सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये विचारार्थ पात्र होंगे, जो—

(एक) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में चयन के वर्ष की पहली जनवरी को आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, और

(दो) यथास्थिति, सभी विषयों में विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हों या जिन्हें शासन द्वारा ऐसा करने से छूट प्रदान कर दी गई हो :

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जायेगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266-1987-एक (3)-67 तारीख 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा गया हो :

परन्तु यह और भी कि कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति, उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में इन नियमों के अधीन नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिये केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने विहित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) राज्य वन सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों का सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए चयन किये जाने हेतु विचार अनुसूची–चार में दिये गए सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा.

(3) चयन वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर किया जाएगा.

"23क. राज्य वन सेवा को प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें :—(1) राज्य वन सेवा के केवल ऐसे अधिकारी ही सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारार्थ पात्र होंगे, जो—

(एक) सेवा के सदस्य के रूप में चयन के वर्ष की पहली जनवरी को, बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, और

(दो) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत हो :

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन से निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जायेगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266–1987–एक (3) 67, तारीख 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा गया हो :

परन्तु यह और भी कि कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति, उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व सेवा की प्रवर श्रेणी में इन नियमों के अधीन नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिये केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने विहित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) राज्य वन सेवा में कार्यरत अधिकारियों का सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये चयन किये जाने हेतु विचार अनुसूची चार में दिये गए सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा.

(3) चयन "वरिष्ठता तथा योग्यता" के आधार पर किया जायेगा.

टीप—(1) वरिष्ठ वेतनमान तारीख 14-10-82 से तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान तारीख 1-4-1988 से दिये जायेंगे और वे शासन द्वारा उस समय स्वीकृत वेतनमानों के अनुसार होंगे.

(ख) अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| क्र. सं. | सेवा के लिए स्वीकृत वेतनमान, पदों का विवरण | वेतनमान | वेतनमान में स्वीकृत पदों की संख्या | | | श्रेणीकरण | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थायी | अस्थायी | योग | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | (रुपये) | | | | | |
| 1. | कनिष्ठ वेतनमान | 1820—60—2300—75—3200—100—3300 | 131 | 158 | 289 | वर्ग दो | .. |
| 2. | वरिष्ठ वेतनमान | 2650—75—2800—100—4200 | 117 | .. | 117 | वर्ग एक | सेवा के स्थायी पदों का 40 प्रतिशत |
| 3. | प्रवर श्रेणी | 3200—100—3500—125—4500 | 44 | .. | 44 | वर्ग एक | सेवा के स्थायी पदों का 15 प्रतिशत |
| | | योग .. | 292 | 158 | 450 | | |

टिप्पणी—कुल 450 पदों का विभाजन निम्नानुसार है:—

| | | |
|---|---|---|
| (क) | स्थायी | 292 |
| | अस्थायी | 158 |
| | योग .. | 450 |
| (ख) | पूर्व कर्मचारियों | 415 |
| | का प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित | 9 |
| | वन अन्वेषण हेतु आरक्षित | 26 |
| | सार संकलन हेतु आरक्षित | .. |
| | योग .. | 450 |

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिये)

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| क्रम का नाम | सेवा के लिए स्वीकृत वेतनमान | वेतनमान के अनुसार स्वीकृत पद | | | कालम 3 में दिए गए पदों का प्रतिशत जो निम्नानुसार भरा जाएगा. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | योग | सीधी भर्ती द्वारा | पदोन्नति द्वारा | नियुक्ति (समयबद्ध) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत |
| [illegible] | (1) कनिष्ठ वेतनमान | 131 | 158 | 289 | 50 | 50 | .. |
| | (2) वरिष्ठ वेतनमान | 117 | .. | 117 | .. | .. | 100 |
| | (3) प्रवर श्रेणी | 44 | .. | 44 | .. | .. | 100 |
| | योग .. | 292 | 158 | 450 | | | |

अनुसूची—तीन

[नियम 9 (4) देखिए]

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| क्रम का नाम | सेवा का नाम तथा वेतन जिनमें भरती द्वारा नियुक्ति की जाएगी. | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | वर्ष | वर्ष | |
| [illegible] | मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा कनिष्ठ वेतनमान. | 19 | 26 | अभ्यर्थी, प्राकृतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, सिविल या रसायनिक इंजीनियरिंग या कृषि में किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधी धारण करता हो या समतुल्य विदेशी अर्हताएँ धारण करता हो : |
| | | | | परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक के मामले में उसको उच्चतर माध्यमिक/पी.सी.एम. या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से एक विषय हो :— |
| | | | | (एक) जीव विज्ञान<br>(दो) भौतिक शास्त्र या<br>(तीन) रसायन शास्त्र |

Bhopal, the 3rd March 1990

No. F-2-44-89-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Service (Recruitment) Rules, 1977, namely :

AMENDMENTS

In the said rules,

(1) for rule 23 the following rules shall be substituted, namely :—

"23. **Conditions of eligibility, for appointment to senior Scale of the State Forest Service.**—(1) Only such of the officers working in the junior Scale of the State Forest Service shall be eligible for consideration for appointment to the senior scale of the Service as;

(i) may have completed on the first January of the year of selection 8 years of service in the junior Scale of the service, and.

(ii) may have passed the prescribed departmental examination in all subjects or may have been exempted from doing so by the Government, as the case may be :

Provided that the service of released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission shall, after their appointment to the service, be counted from their deemed date of appointment determined in accordance with memorandum No. 2266/1987/I (3) 67, dated the 21st October 1967 of the General Administration Department:

Provided further that no junior person shall be eligible for being considered for appointment to the senior scale of the service under these rules prior to his senior merely on the ground of having completed the prescribed number of years of service.

(2) Officers working in the Junior Scale of the State Forest Service shall be considered for being selected for appointment to the senior scale of Service by a Committee consisting of members as given in Schedule IV

(3) The selection shall be done on the basis of seniority-cum-merit.

(1) (A) **Conditions of eligibility for appointment to selection Grade of the officers of the State Forest Service** ;—(1) Only such of the officers of the State Forest Service shall be eligible for consideration for appointment to the Selection Grade of the service as :—

(i) may have completed, on the first January of the year of selection, 12 years of the service as a member of the service, and

(ii) may be working in the senior scale of the service :

Provided that service of released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission shall, after their appointment to the service, be counted from their deemed date of appointment determined in accordance with memorandum No. 2266/1987/I/(3)/67, dated 21st October 1967 of the General Administration Department:

Provided further that no junior person shall be eligible for being considered for appointment to the Selection Grade of the service under these Rules prior to his senior merely on the ground of having completed the prescribed number of years of service.

(2) Officers working in the State Forest Service shall be considered for being selected for appointment to the selection grade of the service by a Committee consisting of the Members as in Schedule IV.

(3) The selection shall be done on the basis of "Seniority-cum-merit".

(4) The Senior Scale will be given from 11-10-1982 and Selection Grade will be given from 1-4-1981 and shall be as per the pay scales sanctioned by the Government of that time.

(2) for the Schedules I, II, III and IV the following Schedules shall be substituted namely : —

SCHEDULE—I

(See Rule-5)

Madhya Pradesh State Forest Department

| Name of the Department | Description of the categories of pay scales sanctioned for the service. | Scale | No. of posts sanctioned in the Scale. | | | Classification | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Permanent | Temporary | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Forest Department | 1. Junior Scale | Rs. 1820—60—2300—75—3200—100—3300 | 131 | 158 | 289 | Class II | .. |
| | 2. Senior Scale | Rs. 2650—75—2800—100—4200 | 117 | .. | 117 | Class I | 40% of permanent post of the Service. 15% of permanent post of the service. |
| | .. Selection Grade | Rs. 3200—100—3500—125—4500 | 44 | .. | 44 | Class I | |
| | | Total.. | 292 | 158 | 450 | | |

Note :—(1) Break up of the sanctioned 450 posts is as follows :—

| | |
|---|---|
| .. Permanent | 292 |
| Temporary | 158 |
| Total .. | 450 |

(2) 1. Duty posts 415
2. Deputation Reserve 9
3. Leave Reserve 26
4. Training Reserve ..

Total .. 450

SCHEDULE—II

(See Rule-6)

Madhya Pradesh State Forest Service

| Name of Department | Sanctioned pay scale | Pay Scale wise sanctioned posts | | | Percentage of posts give in Col. No. 3. to be filled by | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | permanent | Temporary | Total | Direct Recruitment | Promotion | Appointment (Time bound) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Forest Department | 1. Junior Scale | 131 | 158 | 289 | 50% | 50% | .. |
| | 2. Senior Scale | 117 | .. | 117 | .. | .. | 100% |
| | 3. Selection Grade | 44 | .. | 44 | .. | .. | 100% |
| | Total .. | 292 | 158 | 450 | | | |

SCHEDULE-III

[ (*See* Rule 9 (4) ]

**Madhya Pradesh State Forest Service**

| ...e of the ...rtment | Name of service and pay scale to which appointment shall be made by recruitment | Minimum age limit | Upper age limit | Educational qualification prescribed |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ...t ...rtment | Madhya Pradesh State Forest Service Junior Scale | 19 years | 26 years | A candidate must hold a Bachelor's degree in Natural Science, Economics, Mathematic/Statistic, Geology, Mechanical Engineering, Civil or Chemical Engineering of Agriculture of a recognised Indian University or hold equivalent foreign qualifications provided that in the case of graduate with pure Mathematics or Statistics he must have taken in his Higher Secondary/ Matriculation or equivalent examination.—<br>(1) Biology<br>(2) Physics<br>(3) Chemistry, |

SCHEDULE-IV

(*See* Rules 16,17, 23 and 24-A)

**Madhya Pradesh State Forest Service**

| ...e of the ...rtment | Name of service post of pay scale from which promotion/ appointment shall be done | Conditions of eligibility | Name of service/pay scale to which promotion/appointment shall be done | Composition of the Selection Committee |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ...t ...rtment | 1. Subordinate Forest Service Class III executive Forest Ranger and equated posts | As per Rule-17 | M. P. State Forest Service Assistant Conservator of Forest, Junior Scale. | 1. Chairman, M. P. Public Service Commission or a Member of the Commission nominated by him—(Chairman)<br>2. Secretary to Government of M. P. Forest, Deptt. -(Member)<br>3. Principal Chief Conservator of Forest, M. P.—(Member).<br>4. Chief Conservator of Forests, (Admn.)—(Secretary to Committee) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | 2. M.P. State Forest Service, Junior Scale | As per Rule -23 | M. P. State Forest Service, Senior | 1. Secretary to Govt. of M. P. Forest Deptt. -(Chairman)<br>2. P. C. C. F. M. P. – (Member)<br>3. Addl. C. C. F. (Member)<br>4. Addl. Secretary/Dy. Secretary to Govt. of M. P. Forest Deptt.— (Member Secretary to the Committee). |
| | 3. M. P. State Forest Service Senior Scale | Do. | M. P. State Forest Service Selection Grade. | Do. |

By order and in the name of the Governer of Madhya Pradesh,

K. J. S. BHATIA, Secy.

## गृह (सामान्य) विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 1990

17-119-88-दो-ए (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश स्टेट सैरेज चतुर्थ वर्ग सेवा में भर्ती तथा पदोन्नति का तरीका तथा उससे संबंध के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते:—

### नियम

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम, मध्यप्रदेश, स्टेट सैरेज, चतुर्थ वर्ग सेवा भर्ती नियम, 1989 है.

2. प्रवृत्ति.—ये नियम अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

3. वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण उनसे संलग्न वेतनमान, पदों पर भर्ती का तरीका तथा उक्त पदों के आनुषंगिक और सेवा की अन्य शर्तें अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगी.

4. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों तथा किसी ऐसे शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो गई है, परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

# भाग 4 (ग)

## अन्तिम नियम

### वन विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मई 1991

क्र. 11-11-89-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

1. नियमों में,—

(क) 12 के उप नियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिस क्रम से उनके नाम सूची में आए हों.

(3) पूर्वोक्त सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाता कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है."

(ख) 13, 14 और 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"13. परिवीक्षा की कालावधि:—

(1) नियम 12 में, निर्दिष्ट सूची में से सेवा मे नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतया 4 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा.

(2) शासन, यदि उचित समझे तो, परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा.

(3) शासन, परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके अन्त में, किसी भी समय, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है.

14. वानिकी आदि में प्रशिक्षण:—

(1) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, नियुक्ति के पश्चात, वानिकी में दो वर्ष का पश्चोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम लेने के लिए तथा दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये वन महाविद्यालय (फारेस्ट कालेज) देहरादून या उसके समकक्ष किसी अन्य महाविद्यालय में, जैसा कि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिनियुक्त किया जायगा.

(2) उक्त महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व परिवीक्षाधीन व्यक्ति, विहित प्ररूप में एक करारनामा तथा प्रतिभूति बंध पत्र निष्पादित करेगा.

(3) शासन संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए अध्यापन फीस और महाविद्यालय के नियमों के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, उपकरण भत्ते, के लिये खर्च को सहन करेगा.

(4) (क) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुसूची-एक में दिए गए समय वेतनमान के न्यूनतम के अनुसार किया जाएगा तथा वह उसकी श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते भी प्राप्त करेगा.

(ख) परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूर्ण होने पर परिवीक्षा की कालावधि को ध्यान में रखते हुए, वेतन नियत किया जाएगा. तथापि, परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि के मामले में वेतन के बकाया की मंजूरी शासन के विनिश्चय के अध्यधीन होगी, जो ऐसे मामले का विनिश्चय करते समय इस तथ्य का ध्यान रखेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों का तत्परतापूर्वक अनुशीलन किया है, और यह कि परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि इस कारण नहीं थी कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों के परिपालन में परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने उपेक्षा की या उसकी तत्परता में कोई कमी थी.

(5) किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जो संबंधित महाविद्यालय द्वारा विहित की गई परीक्षा दो वर्ष की समाप्ति पर उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, परिवीक्षा की शेष कालावधि के दौरान ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने और उसे उत्तीर्ण करने के लिए दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे, और यदि वह इन अवसरों का लाभ उठाने में अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा निष्पादित करारनामा और प्रतिभूति बंध पत्र के निबन्धन तथा शर्तों को उसके विरुद्ध प्रवर्तित किया जाएगा.

टिप्पणी.—इस उप नियम में निर्दिष्ट दो अतिरिक्त अवसरों का लाभ परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा केवल उसकी परिवीक्षा की आरंभिक कालावधि के दौरान ही उठाया जा सकेगा. बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान नहीं.

(6) दो वर्ष के पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के पश्चात्, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करेगा जैसी कि विहित की जाएं.

(7) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा.

(8) शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, सेवा में स्थायी किया जाएगा.

15. इन संशोधनों के प्रवृत्त होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्तियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध:—

(1) ऐसे व्यक्ति जो, इन संशोधनों के प्रवृत्त होने के पूर्व ही परिवीक्षा पर नियुक्त किए जा चुके हैं इन नियमों के विद्यमान उपबंधों द्वारा शासित होते रहेंगे.

(2) (क) ऐसे व्यक्तियों को, जो इन संशोधनों के प्रवृत्त होने पर, वन महाविद्यालय, देहरादून से पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं, इन संशोधनों के प्रवृत्त होने के समय से सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा.

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण में पहले से ही व्यतीत कर ली गई कालावधि की गणना, उनकी परिवीक्षा में की जाएगी और वह उनकी पेन्शन के हेतु भी संगणित की जाएगी और इस कालावधि को सम्मिलित करते हुए, उनकी परिवीक्षा की कुल कालावधि नियम 13 के उप नियम (1) में वर्णित किए गए अनुसार 4 वर्ष होगी.

(ग) इन संशोधनों के अन्य उपबंध भी ऐसे व्यक्तियों को लागू होंगे किन्तु वेतन या भत्ते तथा वृत्तिका के अन्तर के कारण किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. सिंह, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 17th May 1991

(11-11-89-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, ...nor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Forest Service ...ment) Rules, 1977, namely:—

AMENDMENTS

...the said rules—

...for sub-rules (2) and (3) of rule 12, the following sub rules shall be substituted, namely:—

"(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment against the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the aforesaid list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service."

...for rules, 13, 14 and 15 the following rules, shall be substituted, namely:—

"13. **Period of Probation:—**

(1) Every person appointed to the service out of the list referred to in rule, 12 will ordinarily be on probation for a period of 4 years.

(2) The Government may, if it so thinks fit, extend the period of probation by a period not exceeding 1 year.

(3) The Government may at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation discharge the probationer from service, if it is of the opinion that he is not likely to make himself a suitable officer.

14. **Training in Forestry etc. :—**

(1) Every probationer shall on appointment be deputed to undergo a two years Diploma Course in Forestry at the Forest College, Dehradun or any other equivalent College as may be decided by the Government and to pass the prescribed examination at the end of two years.

(2) Before joining the said College the probationer shall execute an agreement and security bond in the prescribed form.

(3) The Government shall bear the cost on account of the tution fees for the entire course and equipment allowance as required under the College rules.

(4) (a) During the period of probation the probationer shall be paid the salary and allowances at the minimum of the time scale of pay as given in Schedule-I and shall also draw travelling allowances as are applicable to officers of his grade.

(b) On satisfactory completion of probation the pay shall be fixed taking into account the probation period, However, in case of extension of period of probation the grant of arrears of pay will be subject to decision of Government which shall, while deciding this matter take note of the fact whether the probationer has diligently pursued the training course/programmes and that the period of probation was not extended because of any neglect or lack of diligence on the part of the probationer in the prosecution of his training course/programme.

(5) A probationer who fails to pass the examination as prescribed by the concerned College at the end of two years shall be afforded two more opportunities of appearing at and passing the same during the remaining period of his probation and if he fails to avail of these opportunities or pass the examination he shall be discharged from service and the terms and conditions of the agreement and security bond executed by him shall be enforced against him.

Note.—The two additional opportunities referred to in this sub-rule shall have to be availed of by the probationer only duriding the period of his initial probation and not the extended period of probation.

(6) After undergoing training in the diploma course for two years the probationer shall undergo such further training in the State as is laid down and pass such departmental examinations as are prescribed.

(7) A probationer who fails to pass the prescribed departmental examinations shall be discharged from service.

(8) On completion of the probation to the satisfaction of the Government the probationer shall be confirmed in the service.

15. **Special Provisions relating to probationers and persons undergoing training on the coming into force of these amendments:—**

(1) Persons who have already been appointed on probation prior to coming into force of these amendments shall continue to be governed by the existing provisions of the rules.

(2) (a) Such persons who are undergoing training in the diploma course at the Forest College, Dehradun on the coming into force of these amendments shall be deemed to have been appointed on probation to the service with effect from the coming into force of these amendments.

(b) The period already spent on training by such persons shall be counted towards their probation and also for computation of their pension and inclusive of this period, the total period of their probation shall be 4 years as mentioned in sub rule (1) of rule, 13.

(c) Other provisions of these amendments shall also apply to such persons but no amount on account of difference between salary or allowances and stipend shall be paid."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. SINGH, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1991.

रजि. की पूर्ति-अधियमी
द्वारा डाक द्वारा भेजे जाने
हेतु अनुज्ञप्त. अनुमति-पत्र
क्रमांक-505/ डब्ल्यू. पी.

रजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

[ क्र. 84 ] भोपाल, शुक्रवार दिनांक 16 फरवरी 1996—माघ 27, शके 1917

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 1996

क्र. एफ. 3-49-95-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 के उपनियम (2) में, अंक तथा चिह्न "50% (प्रतिशत)" के स्थान पर अंक तथा चिह्न "66 $^{2}/_{3}$ (प्रतिशत)" स्थापित किए जाएं.

(2) अनुसूची दो में, कालम (6) तथा (7) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

| (6) | (7) |
|---|---|
| 33 $^{1}/_{3}$ % (प्रतिशत) | 66 $^{2}/_{3}$ % (प्रतिशत) |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. व्यास, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 1996

क्र. 3-49-95-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3-49-95-दस-1, दिनांक 16 फरवरी 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. व्यास, उपसचिव.

Bhopal, the 16th February 1996

No. 3-49-95-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

(i) In sub-rule (2) of rule 6, for the figure and sign "50%" the figure and sign " 66⅔%" shall be substituted.

(ii) In schedule II, for the existing entries in columns (6) and (7) the following entries shall be substituted, namely :—

| (6) | (7) |
|---|---|
| 33 ⅓% | 66 ⅔% |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. P. VYAS, Dy. Secy.

विधायक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1996.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी-122/98

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 1998—श्रावण 9, शक 1920

## भाग ४

विषय सूची

(1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(1) अंतिम नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग ४ (क) कुछ नहीं

भाग ४ (ख) कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

### अंतिम नियम

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1998

क्र. 401-98-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 18 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी

के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों का चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) तथा प्रथम श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड योग्यता-सह-ज्येष्ठता (मेरिट कम सीनियरिटी) होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1998

क्र. एफ. 3-81-98-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की राज्य संशोधन अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd July 1998

No. F. 3-81-98-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for sub-rule (3) of Rule 18, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class III to Class II, Class II to Class II and Class II to Class I, the criterion shall be seniority subject to fitness and for promotion from Class I to Class I, posts the criterion shall be merit-cum-seniority."

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1998

क्र. एफ. 3-82-98-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन (राजपत्रित) संवर्ग सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन.

उक्त नियमों में, नियम 15 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन-सूची तैयार करने के लिए मानदंड ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) तथा प्रथम श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन-सूची तैयार करने के लिए मानदंड योग्यता-सह-ज्येष्ठता (मेरिट कम-सीनियरिटी) होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 1998

क्र. एफ. 3-82-98-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की राज्य संशोधन अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd July 1998

No. F. 3-82-98-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State Forest (Gazetted) Allied Service Recruitment Rules, 1987, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for sub-rule (2) of Rule 15, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) For preparing the select list of persons for promotion from the post of Class III to Class II, Class II to Class II and Class II to Class I, the criterion shall be seniority subject to fitness and for promotion from the post of Class I to Class I, posts the criterion shall be merit-cum-seniority."

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 24/8/99

:: अधिसूचना ::

क्रमांक एफ 2-29/99/10-1, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 23 के उपनियम (1) के खण्ड (एक) में अंक तथा शब्द "8 वर्ष" के स्थान पर अंक तथा शब्द "6 वर्ष" स्थापित किए जाए ।

(2) नियम 23-क के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) राज्य वन सेवा के केवल ऐसे अधिकारी अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे जिन्होंने उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ वेतनमान में उस वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हों :

परंतु आपात कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन से नियुक्त अधिकारियों की सेवा की गणना सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/एक/(3)/67, दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार अवधारित उनकी नियुक्ति की समझी गई तारीख से की जाएगी :

परंतु यह और भी कि कोई कनिष्ठ व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व इन नियमों के अधीन सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने सेवा के विहित वर्ष पूर्ण कर लिए है"।

(3) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अनुसूची -एक

[ नियम 5 देखिए ]

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| क्रम | सेवा के लिए मंजूर किए गए वेतनमानों के प्रकारों का विवरण | वेतनमान | वेतनमान में मंजूर किए गए पदों की संख्या | | | वर्गीकरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थाई | अस्थाई | योग | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 1. कनिष्ठ वेतनमान | 8000-275 13500 | 184 | 87 | 271 | द्वितीय श्रेणी | पदों का 60 प्रतिशत |
| | 2. वरिष्ठ वेतनमान | 10,000-325 12, 200 | 113 | - | 113 | प्रथम श्रेणी | पदों का 25 प्रतिशत |
| | 3. सुपर श्रेणी | 12,000-375- 16500 | 68 | - | 68 | प्रथम श्रेणी | पदों का 15 प्रतिशत |
| | | | 365 | 87 | 452 | | |

अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

////

" अनुसूची - दो "

( नियम 6 देखिए )

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| | मंजूर किए गए वेतनमान | मंजूर किए गए पदों की संख्या | कालम 3 में दिये गये उन पदों का प्रतिशत जो निम्नानुसार भरे जाएंगे | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा | पदोन्नति द्वारा | नियुक्ति (समयबद्ध) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| भाग | 1. कनिष्ठ वेतनमान | 271 | $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत | $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत | - |
| | 2. वरिष्ठ वेतनमान | 113 | - | - | 100 प्रतिशत |
| | 3. प्रवर श्रेणी | 60 | - | - | 100 प्रतिशत |
| | योग | 452 | - | | - |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( एस.सी.पण्ड्या )
अपर सचिव,

क्रमांक एफ-2-29/99/10-1 भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 1999

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की सामान्य प्रशिक्षण दिनांक 25-8-99 का अंग्रेजी अनुवाद म.प्र. के राजपत्र के असाधारण अंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( एस सी पण्ड्या )
अपर सचिव

//2//

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT
MANTRALAYA
VALLABH BHAWAN, BHOPAL-462004

Bhopal, dated 24 August, 99

NOTIFICATION

No. F-2-29/99/10-1, In exercise of the powers conferred by the previso to Atricle 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh; hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Forest Service(Recruitment) Rules, 1977, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules :-

(1) in clause(1) of sub-rule (1)of rule 23, for the figure and word "9 years" the figure and word "6 years" shall be substituted;

(2) For sub-rule(1) of rule 23-A, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) only such officers of the State Forest Service shall be eligible for consideration for appointment to the Selection Grade as specified in Schedule I, who have completed 4 years of the service on the 1st January of that year in the senior scale as specified in the said Schedule;

Provided that service of released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission shall after their appointment to the service, be counted from their deemed date of appointment determined in accordance with the memorandum No. 2266/1987/I/(3)/67 dated 21st October, 1967 of the General Administrative Department;

P.T.O.

Provided further that no junior person shall be eligible for being considered for appointment to the Selection Grade of the Service under these Rules prior to his senior merely on the ground of having completed the prescribed number of years of service."

(3) For Schedule 1, the following schedule shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE - I"

(See Rule-5)

Madhya Pradesh State Forest Service

| Name of Department | Description of the categories of pay scales sanctioned for the service. | Pay Scale | No. of posts sanctioned in the pay scale | | | Classification | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Permanent | Temporary | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Forest Department | 1.Junior Scale | 8000-275-13500 | 184 | 87 | 271 | Class II | 60% of the posts |
| | 2.Senior Scale | 10000-325-15200 | 113 | - | 113 | Class I | 25% of the posts |
| | 3.Selection | 12000-375-16500 | 68 | - | 68 | Class I | 15% of the posts |
| Total | | | 365 | 87 | 452 | | |

पूर्व-अदायगी
द्वारा भेजे जाने
अनुमति-पत्र
एम. पी.-2 डब्ल्यू/

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी-122/99.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 1999—भाद्र 12, शक 1921

# भाग ४

विषय-सूची

(1) मध्यप्रदेश विधेयक,
(1) अध्यादेश,
(1) प्रारूप नियम,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(2) अन्तिम नियम.
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(3) संसद के अधिनियम.

## भाग ४ (क)—कुछ नहीं

## भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

## भाग ४ (ग)

### अन्तिम नियम

### जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 1999

क्र. 2-116-94-जसं-24.—भारत के संविधान के अनुच्छेद [illegible] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, जनसंपर्क (राजपत्रित सेवा) भर्ती नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, शीर्षक द्वितीय श्रेणी के अधीन अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान

पर,निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

| | 6 |
|---|---|
| 1. | मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण. |
| 2. | किसी मान्यता प्राप्त संस्था से दृश्य (विजुअल)/फोटोग्राफी/ विडीयोग्राफी में डिग्री/डिप्लोमा. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम. पी. सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 1999

क्र. एफ. 2-116-94-जसं-24.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-2-116-94-जसं-24, दिनांक 18 अगस्त 1999 का अंग्रेजी अनुवाद महामहिम राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम. पी. सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 18th August 1999

No. F. 2-116-94-PR-24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh here by makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Relations (Gazetted Service) Recruitment Rules, 1966, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule III under the heading Class II, for the existing entries of column 6 against the serial number 2 the following entries shall be substituted, namely :—

| | 6 |
|---|---|
| 1. | Passed higher secondary or 10+2 from a recognized board. |
| 2. | Degree/Diploma in visual photography/videography from a recognised Institution. |

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
R. M. P. SINGH, Dy. Secy.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 1999

क्र. एफ. 2-29-99-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में ,—

(1) नियम 23 के उपनियम (1) के खण्ड (एक) में अं तथा शब्द "8 वर्ष" के स्थान पर अंक तथा शब्द "6 वर्ष" स्थापित किए जाए.

(2) नियम 23-क के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलि उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) राज्य वन सेवा के केवल ऐसे अधिकारी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लि विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे जिन्होंने अ अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ वेतनमान में वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के 4 वर्ष पूर्ण लिए हों :

परन्तु आपात कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन से नि अधिकारियों की सेवा की गणना सेवा में उन नियुक्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञा क्रमांक 2266-1987-एक-(3)-67, दिनांक अक्टूबर, 1967 के अनुसार अवधारित उनकी नियु की समझी गई तारीख से की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि कोई कनिष्ठ व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्य के पूर्व इन नियमों के अधीन सेवा की प्रवर श्रे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु केवल आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने सेवा के वि वर्ष पूर्ण कर लिए है".

(3) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक"

(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| विभाग का नाम | सेवा के लिए मंजूर किए गए वेतनमानों के प्रवर्गों का विवरण | वेतनमान | वेतनमान में मंजूर किए गए पदों की संख्या | | | वर्गीकरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्थायी | अस्थायी | योग | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| वन विभाग | 1. कनिष्ठ वेतनमान | 8,000—275—13,500 | 184 | 87 | 271 | द्वितीय श्रेणी | पदों का 60 प्रतिशत |
| | 2. वरिष्ठ वेतनमान | 10,000—325—15,200 | 113 | - | 113 | प्रथम श्रेणी | पदों का 25 प्रतिशत |
| | 3. प्रवर श्रेणी | 12,000—375—16,500 | 68 | - | 68 | प्रथम श्रेणी | पदों का 15 प्रतिशत |
| | योग . . | | 365 | 87 | 452 | | |

(4) अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-दो"

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

| विभाग का नाम | मंजूर किए गए वेतनमान | मंजूर किए गए पदों की संख्या | कालम 3 में दिए गये उन पदों का प्रतिशत जो निम्नानुसार भरे जाएंगे | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भरती द्वारा | पदोन्नति द्वारा | नियुक्ति (समयबद्ध) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| वन विभाग | 1. कनिष्ठ वेतनमान | 271 | 33⅓ प्रतिशत | 66⅔ प्रतिशत | - |
| | 2. वरिष्ठ वेतनमान | 113 | - | - | 100 प्रतिशत |
| | 3. प्रवर श्रेणी | 68 | - | - | 100 प्रतिशत |
| | योग . . | 452 | - | | - |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्ड्या, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 1999

क्र. एफ. 2-29-99-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक, अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 1999 का अंग्रेजी अनुवाद मध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्ड्या, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th August 1999

No. F. 2-29-99-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in clause (1) of sub-rule (1) of rule 23, for the figure and word "8 years" the figure and word "6 years" shall be substituted;

(2) for sub-rule (1) of rule 23-A, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

" (1) only such officers of the State Forest Service shall be eligible for consideration for appointment to the Selection Grade as specified in Schedule I, who have completed 4 years of the service on the 1st January of that year in the senior scale as specified in the said Schedule :

Provided that service of released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission shall after their appointment to the service, be counted from their deemed date of appointment determined in accordance with the memorandum No. 2266/1987/I/(3)/67, dated 21st October 1967 of the General Administrative Department;

Provided further that no junior person shall be eligible for being considered for appointment to the Selection Grade of the Service under these Rules prior to his senior merely on the ground of having completed the prescribed number of years of service.".

(3) For Schedule I, the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE - I"

(*See* Rule-5)

MADHYA PRADESH STATE FOREST SERVICE

| Name of Department | Description of the categories of pay scales sanctioned for the service | Pay Scale | No. of posts sanctioned in the pay scale | | | Classification | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Permanent | Temporary | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Forest Department | 1. Junior Scale | 8,000—275—13,500 | 184 | 87 | 271 | Class II | 60% of the posts |
| | 2. Senior Scale | 10,000—325—15,200 | 113 | - | 113 | Class-I | 25% of the posts |
| | 3. Selection | 12,000—375—16,500 | 68 | - | 68 | Class-I | 15% of the posts |
| | Total . . | | 365 | 87 | 452 | | |

Bhopal, the 17th May 1991

No. F.11-11-89-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules—

1. for sub-rules (2) and (3) of rule 12, the following sub rules shall be substituted, namely:—

"(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment against the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the aforesaid list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service."

2. for rules, 13, 14 and 15 the following rules, shall be substituted, namely:—

"13. **Period of Probation:—**

(1) Every person appointed to the service out of the list referred to in rule, 12 will ordinarily be on probation for a period of 4 years.

(2) The Government may, if it so thinks fit, extend the period of probation by a period not exceeding 1 year.

(3) The Government may at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation discharge the probationer from service, if it is of the opinion that he is not likely to make himself a suitable officer.

14. **Training in Forestry etc. :—**

(1) Every probationer shall on appointment be deputed to undergo a two years Diploma Course in Forestry at the Forest College, Dehradun or any other equivalent College as may be decided by the Government and to pass the prescribed examination at the end of two years.

(2) Before joining the said College the probationer shall execute an agreement and security bond in the prescribed form.

(3) The Government shall bear the cost on account of the tution fees for the entire course and equipment allowance as required under the College rules.

(4) (a) During the period of probation the probationer shall be paid the salary and allowances at the minimum of the time scale of pay as given in Schedule-I and shall also draw travelling allowances as are applicable to officers of his grade.

(b) On satisfactory completion of probation the pay shall be fixed taking into account the probation period, However, in case of extension of period of probation the grant of arrears of pay will be subject to decision of Government which shall, while deciding this matter take note of the fact whether the probationer has diligently pursued the training course/programmes and that the period of probation was not extended because of any neglect or lack of diligence on the part of the probationer in the prosecution of his training course/programme.

(5) A probationer who fails to pass the examination as prescribed by the concerned College at the end of h shall be afforded two more opportunities of appearing at and passing the same during the remaining of his probation and if he fails to avail of these opportunities or pass the examination he discharged from service and the terms and conditions of the agreement and security bond executed shall be enforced against him.

Note.—The two additional opportunities referred to in this sub-rule shall have to be availed of by the pro only during the period of his initial probation and not the extended period of probation.

(6) After undergoing training in the diploma course for two years the probationer shall undergo such training in the State as is laid down and pass such departmental examinations as are prescribed

(7) A probationer who fails to pass the prescribed departmental examinations shall be discharged from

(8) On completion of the probation to the satisfaction of the Government the probationer shall be confirm service.

15. Special Provisions relating to probationers and persons undergoing training on the coming int of these amendments:—

(1) Persons who have already been appointed on probation prior to coming into force of these amendme continue to be governed by the existing provisions of the rules.

(2) (a) Such persons who are undergoing training in the diploma course at the Forest College, Dehradu coming into force of these amendments shall be deemed to have been appointed on probatio service with effect from the coming into force of these amendments.

(b) The period already spent on training by such persons shall be counted towards their probation and computation of their pension and inclusive of this period, the total period of their probation shall b as mentioned in sub rule (1) of rule, 13.

(c) Other provisions of these amendments shall also apply to such persons but no amount on account of di between salary or allowances and stipend shall be paid."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pra
H. SINGH, Add

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1991

## भाग 4 (ग)

## अन्तिम नियम

### वन विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मई 1991

No. 11-11-89-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 12 के उप नियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(2) नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिस क्रम से उनके नाम सूची में आए हों.

(3) चयन सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाता कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है."

(2) नियम 13, 14 और 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"परिवीक्षा की कालावधि:—

13. (1) नियम 12 में, निर्दिष्ट सूची में से सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतया 4 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा.

(2) शासन, यदि उचित समझे तो, परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा.

(3) शासन, परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसके अन्त में, किसी भी समय, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है.

वानिकी आदि में प्रशिक्षण:—

14. (1) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, नियुक्ति के पश्चात्, वानिकी में दो वर्ष का पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम लेने के लिए तथा दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये वन महाविद्यालय (फारेस्ट कालेज) देहरादून या उसके समकक्ष किसी अन्य महाविद्यालय में, जैसा कि शासन द्वारा विनिश्चित किया जाए, प्रतिनियुक्त किया जायगा.

(2) उक्त महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पूर्व परिवीक्षाधीन व्यक्ति, विहित प्ररूप में एक करारनामा तथा प्रतिभूति बंध पत्र निष्पादित करेगा.

(3) शासन सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए अभ्यासन फीस और महाविद्यालय के नियमों के अधीन अपेक्षित पु उपकरण भत्ते, के लेखे खर्च की वहन करेगा.

(4) (क) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुमो गए समय वेतनमान के न्यूनतम के अनुसार किया जाएगा तथा वह उसकी श्रेणी के अधिकारि यात्रा भत्ते भी प्राप्त करेगा.

(ख) परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूर्ण होने पर परिवीक्षा की कालावधि को ध्यान में रखते हुए, नेत जाएगा. तथापि, परिवीक्षा की कालावधि में की गई वृद्धि के मामले में वेतन के बकाया की के विनिश्चय के अध्यधीन होगी, जो ऐसे मामले का विनिश्चय करते समय इस तथ्य का ध्य परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों का तत्परतापूर्वक अनुशीलन किया है, और या की कालावधि में की गई वृद्धि इस कारण नहीं थी कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों के परिपालन में व्यक्ति ने उपेक्षा की या उसकी तत्परता में कोई कमी थी.

(5) किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जो संबंधित महाविद्यालय द्वारा विहित की गई परीक्षा दो अव पर उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, परिवीक्षा की शेष कालावधि के दौरान ऐसी परीक्षा में ब और उसे उत्तीर्ण करने के लिए दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे, और यदि वह इन अवसरों में अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सोद्देश्य कर दिया जाएगा और निष्पादित करारनामा और प्रतिभूति बंध पत्र के निबन्धन तथा शर्तों को उसके विरुद्ध प्रवर्तित

टिप्पणी.—इस उप नियम में निर्दिष्ट दो अतिरिक्त अवसरों का लाभ परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा केवल उस की आरंभिक कालावधि के दौरान ही उठाया जा सकेगा. बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि में

(6) दो वर्ष के पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के पश्चात्, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, राज्य में ऐसे और करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करेगा जैसी कि वि

(7) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जो विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, सेवोन्मु जाएगा.

(8) शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, सेवा में स्थायी

15. इन संशोधनों के प्रवृत्त होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्तियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के संबंध में विशे

(1) ऐसे व्यक्ति जो, इन संशोधनों के प्रवृत्त होने के पूर्व ही परिवीक्षा पर नियुक्त किए जा चुके हैं वि विद्यमान उपबंधों द्वारा शासित होते रहेंगे.

(2) (क) ऐसे व्यक्तियों को, जो इन संशोधनों के प्रवृत्त होने पर, वन महाविद्यालय, देहरादून से पत्रोपा में प्रशिक्षण ले रहे हैं, इन संशोधनों के प्रवृत्त होने के समय से सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त समझा जाएगा.

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण में पहले से ही व्यतीत कर ली गई कालावधि की गणना, उनकी परि जाएगी और वह उनकी पेन्शन के हेतु भी संगणित की जाएगी और इस कालावधि को सम्मिलि उनकी परिवीक्षा की कुल कालावधि नियम 13 के उप नियम (1) में वर्णित किए गए अनुसार

(ग) इन संशोधनों के अन्य उपबंध भी ऐसे व्यक्तियों को लागू होंगे किन्तु वेतन या भत्ते तथा वृत्तिका के कारण किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदे
एच. सिंह, अति

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

पोस्ट मास्टर जनरल डाक ...डल, के पत्र क्रमांक 22/153, ...क 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान ...नान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी ...क द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

...मांक 23 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2007—ज्येष्ठ 18, शक 1929

# भाग ४

### विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

## भाग ४ ( क )—कुछ नहीं

## भाग ४ ( ख )—कुछ नहीं

## भाग ४ ( ग )

### अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2007

क्र. एफ. 3-13-2007-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के उपनियम (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा 28 वर्ष की आयु पूरी न की हो.".

No. F. 3-13-07-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for clause (A) of sub-rule (2), of Rule 9, the following clause shall be substituted, namely:—

" (A) He must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on the first day of January, next following the date of commencement of the examination.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. पाल, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

भाग 4 (

titution of
desh State

namely:—

on the first

ानुसार,
अपर सचिव.

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
————000————
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 3 अप्रैल, 2008

कमांक 3–55/2001/10–1: राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयोपरांत एतद् द्वारा वन विभाग की निम्नानुसार संरचना का अनुमोदन किया जाता है:–

| क्रमांक | पद | अनुमोदित पद संख्या |
|---|---|---|
| (1) | वन रक्षक | 13997 |
| (2) | वनपाल | 4184 |
| (3) | उप वन क्षेत्रपाल | 1257 |
| (4) | वन क्षेत्रपाल | 1192 |
| (5) | सहायक वन संरक्षक | 358 |
| (6) | लिपिकीय | 2829 |
| (7) | चतुर्थ श्रेणी | 1165 |
| (8) | विविध अन्य में | 731 |
| (9) | विविध राजपत्रित | 24 |
| | कुल :– | **25737** |

2/ एतद् द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग की उक्त संरचना की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा (Review)की जाए।

3/ एतद् द्वारा राज्य शासन द्वारा वन रक्षकों के वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा आगामी वर्षो में प्रतिवर्ष वन रक्षकों के रिक्त होने वाले पदों को उस वर्ष में भरने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्कर सिंह)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2008

कमांक 3–55/2001/10–1
प्रतिलिपिः–
1– सचिव,माननीय मुख्यमंत्री जी।

2– निज सचिव,माननीय मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी,वन।
3– सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय,भोपाल।
4– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
5– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
6– महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
7– सचिव,म.प्र.लोक सेवा आयोग,इंदौर
8– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश,भोपाल।
10– प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी)मध्यप्रदेश,भोपाल।
11– प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ,भोपाल।
12– प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य वन विकास निगम,भोपाल।
13– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.राज. / अराज.)मध्यप्रदेश,भोपाल।
14– संयुक्त संचालक,जनसंपर्क,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

––00––